महानगर नई दिल्ली बुधवार 24 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (22 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

कुमारस्वामी विश्वासमत हासिल करने में नाकाम

कर्नाटक में कांग्रेस-जद (सेकु) की सरकार गिरी

बंगलुरु, 23 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन की सरकार मंगलवार को विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने में विफल रहने के बाद गिर गई। इसी के साथ राज्य में 14 महीने से अस्थिरता के दौर का सामना कर रहे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का कार्यकाल खत्म हो गया। कुमारस्वामी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव हारने के तुरंत बाद राज्यपाल वजूभाई वाला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर करते हुए कुमारस्वामी से वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहने को कहा है।

अधिकारियों ने बताया कि परिणाम के तुरंत बाद कुमारस्वामी, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर और अन्य वरिष्ठ सहयोगियों के साथ राजभवन गए और इस्तीफा सौंप दिया। कुमारस्वामी ने राज्यपाल को सौंपे त्यागपत्र में कहा, 'अपनी कैबिनेट के साथ मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं आपसे इसे स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।' कुमारस्वामी को अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा, 'मैंने तत्काल प्रभाव से बाकी पेज 8 पर

विश्वासमत के बाद येदियुरप्पा भाजपा विधायकों के साथ विजयी मुद्रा में।

99 विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया।

कांग्रेस-जद (सेकु) के 17, बसपा का एक और दो निर्दलीय विधायक गैरहाजिर रहे।

राज्यपाल ने कुमारस्वामी का इस्तीफा मंजूर करते हुए उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रखने को कहा।

मतदान के बाद विजय चिह्न बनाते हुए भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने परिणाम को लोकतंत्र की जीत बताया ।

अमित शाह ने मशविरा किया

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को कर्नाटक के मुद्दे पर पार्टी नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। शाह ने इन संकेतों के बीच पार्टी नेताओं के साथ सलाह-मशविरा किया कि कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी बाकी पेज 8 पर

अब पांच प्रदेशों में ही कांग्रेस की सरकार

कर्नाटक में सरकार गिरने के साथ ही कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला गया। अब कांग्रेस अब पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में सत्तासीन है।

एनबीसीसी लंबित परियोजनाएं करेगी पूरी

आम्रपाली समूह का पंजीकरण और पट्टे रद्द

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली समूह के हजारों मकान खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय इस समूह का पंजीकरण रद्द करने के साथ ही उसकी सभी लंबित परियोजनाओं को पूरी करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एनबीसीसी) को नियुक्त कर दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित के पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों बाकी पेज 8 पर

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दूसरे निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित धनशोधन के मामले की जांच का निर्देश भी दिया।

अदालत ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकारियों ने आम्रपाली समूह के साथ सांठगांठ कर उसे मकान खरीदारों की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल अन्यत्र करने की अनुमति दी।

प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया : जयशंकर

डोनाल्ड का बयान बचकाना : अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमन

कश्मीर मुद्दे पर पिट गया झूठ का ट्रंप कार्ड

एजंसी/जनसत्ता ब्यूरो
वाशिंगटन/नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

कश्मीर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अटपटी टिप्पणी के लिए डेमोक्रेटिक सांसद ने अमेरिका में भारत के राजदूत से मंगलवार को माफी मांगी जबकि कई अन्य सांसद इस मुद्दे पर तीसरे पक्ष की भूमिका के खिलाफ भारत के रुख के समर्थन में सामने आए हैं।

वहीं ट्रंप प्रशासन ने इससे उपजे विवाद को शांत करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका दोनों देश के बीच वार्ता का स्वागत करता है। जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता जैसा कोई अनुरोध नहीं किया है और पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से ही किया जाएगा।

अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमन ने ट्वीट किया, 'मैंने अभी-अभी भारतीय राजदूत हर्ष श्रृंगला से ट्रंप की अटपटी व बचकानी गलती के लिए माफी मांगी है।' पिछले 70 साल से भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के प्रस्ताव का लगातार विरोध करता आया है और एक दशक से भी ज्यादा वक्त से अमेरिका दोहराता रहा है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है। शरमन ने ट्वीट किया, 'जो कोई भी दक्षिण एशिया में विदेश नीति के बारे में कुछ भी जानता है, उसे पता है कि भारत कश्मीर में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का लगातार विरोध करता रहा है। हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का सुझाव कभी नहीं दे सकते।' शरमन ने कहा, 'ट्रंप का बयान बचकाना व भ्रामक है और अटपटा भी।'

वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है और अमेरिका दोनों देश के बीच वार्ता का स्वागत करता है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ निरंतर व स्थिर कार्रवाई करना भारत के साथ उसकी सफल बातचीत के लिए अहम है। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जैसा कि राष्ट्रपति ने साफ किया है, अमेरिका पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से अगर अनुरोध होता है तो वह सहयोग के लिए तैयार है।' इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बाकी पेज 8 पर

प्रधान सहायक उपमंत्री एलिस वेल्स ने ट्वीट कर कहा, 'कश्मीर दोनों पक्षों के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और ट्रंप प्रशासन चाहता है कि भारत व पाकिस्तान इस पर बात करें और अमेरिका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है।'

पेज 7 पर ट्रंप ने टिप्पणी करने से पहले नहीं की थी तैयारी

जनसत्ता विशेष..पेज 20 पर

कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

केंद्र ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद व सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को केंद्र की ओर से मिला वीआइपी सुरक्षा कवर वापस ले लिया। 130 से ज्यादा मामलों की समीक्षा के बाद विभिन्न श्रेणियों में नेताओं और अफसरों की सुरक्षा को कम किया गया है। केंद्र सरकार में एनडीए के दोबारा कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीआइपी सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा की पहली बार पूर्ण समीक्षा की।

लालू यादव

अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिला शीर्ष 'जेड प्लस' श्रेणी का एनएसजी सुरक्षा कवर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है।

गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को जारी 'सीक्रेट' लिखे अपने आदेश में कहा है कि केंद्र और संबंधित राज्यों की खुफिया एजंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह बाकी पेज 8 पर

बच्ची से बलात्कार के दोषी के लिए कोई दया नहीं : अदालत

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में टिप्पणी की है कि किसी बच्ची से बलात्कार करने वाले दोषी व्यक्ति के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जा सकती।

अदालत ने एक बच्ची से बलात्कार करने को लेकर एक व्यक्ति को सुनाई गई 10 साल कैद की सजा को बरकरार रखते हुए यह बात कही। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषी व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत ने उसे बच्ची का अपहरण करने और उससे बलात्कार करने को लेकर कैद की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने उदारता दिखाई और सिर्फ 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई

और प्राधिकारों ने सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील नहीं की। अदालत ने कहा बलात्कार, हर बार और बगैर किसी अपवाद के किसी व्यक्ति की वासना से कहीं अधिक 'ताकत का अपराध' होता है और जब यह किसी बच्ची पर किया जाता है तो यह निर्मम होता है। इस तरह की हरकत बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा बढ़ाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा मंगलवार को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी। लेकिन उसने 20 फीसद नमूनों के पुनः सत्यापन का केंद्र और राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया।

> प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के पीठ ने असम नागरिक पंजी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने के बारे में आदेश पारित किया।

केंद्र और असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में गलत तरीके से शामिल किए गए और उससे बाहर रखे गए नामों का पता लगाने के लिए 20 फीसद नमूने का फिर से सत्यापन करने की अनुमति अदालत से मांगी थी। केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और असम सरकार की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने इस संबंध में पक्ष रखे लेकिन अदालत इससे संतुष्ट नहीं हुई।

दोनों सरकारों ने 19 जुलाई को शीर्ष अदालत से कहा था कि भारत दुनिया के शरणार्थियों की राजधानी नहीं हो सकता और उन्होंने असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी कार्यक्रम को पूरा करने की 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में बड़ी संख्या में बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में गैरकानूनी घुसपैठियों को शामिल किए जाने की अवधारणा को दूर करने के लिए नमूनों के तौर पर 20 फीसद नामों का फिर से सत्यापन करने की अनुमति चाही थी। केंद्र और राज्य सरकार ने 17 जुलाई को बाकी पेज 8 पर

23 फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी ने सूची जारी की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 23 स्वघोषित, फर्जी व गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की, जिनमें से सबसे अधिक आठ उत्तर प्रदेश में है।

उच्च शिक्षा नियामक ने विद्यार्थियों को इन संस्थानों में प्रवेश लेने के खिलाफ आगाह किया है। यूजीसी सचिव रजनीश जैन की ओर से विद्यार्थियों और आम लोगों को सूचित किया गया है कि वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन कर 23 स्वघोषित, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान चल रहे हैं। इनमें से आठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद सात दिल्ली में हैं। पश्चिम बंगाल में दो, ओड़ीसा में तीन और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र व पुडुचेरी में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय है।

दिल्ली के फर्जी विश्वविद्यालय : कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज; यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी; वोकेशनल यूनिवर्सिटी; एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी; इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग; विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फोर सेल्फ बाकी पेज 8 पर

दरअसल

आतंकियों ने अगवा करने के बाद औरंगजेब की हत्या कर दी थी | जज्बा | दोनों भाइयों ने कहा कि वे मौत का बदला लेंगे

शहीद सैनिक औरंगजेब के दो भाई भी सेना में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों द्वारा राइफलमैन औरंगजेब का अपहरण और हत्या कर दिए जाने के 13 महीने बाद उनके दो भाई सेना में शामिल हुए हैं। उनके भाइयों- मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर को राजौरी में सोमवार को प्रादेशिक सेना की 156 वीं इंफैंट्री बटालियन में शामिल कराया गया। उन दोनों ने सेना के आतंकवाद रोधी 'रोमियो' के मुख्यालय में 'पासिंग आउट परेड' में हिस्सा लेने के बाद कहा, 'आतंकवादियों के खिलाफ 'ऑपरेशन ऑल आउट' में शामिल होकर अपने भाई की मौत का बदला लेंगे।' उनके बड़े भाई मोहम्मद कासिम भी सेना में हैं।

औरंगजेब

सेना में भर्ती होने के मौके पर शहीद औरंगजेब के दोनों भाई अपने माता-पिता के साथ।

सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ भी थल सेना में सेवा दे चुके हैं। 'पासिंग आउट परेड' के मौके पर उनके माता-पिता भी मौजूद थे। मोहम्मद हनीफ ने कहा, 'मैंने अपने बेटों को भारतीय थल सेना में सेवा देने और उनके भाई औरंगजेब की कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या का बदला लेने व आतंकवाद का खात्मा तय करने के लिए भेजा है। आतंकवाद के खिलाफ इनकी लड़ाई उनके शहीद बेटे को श्रद्धांजलि होगी।' सेना प्रवक्ता के मुताबिक, इन दोनों को सात मार्च को पुंछ जिले में चलाए गए एक भर्ती अभियान में चयनित किया गया था। उन्हें पंजाब रेजीमेंट में आगे के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।

औरंगजेब को पुलवामा से अगवा कर लिया गया था और बाद में 14 जून 2018 को आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। उस वक्त वह अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए पुंछ स्थित अपने घर लौट रहे थे। वह थल सेना की 44 वीं राष्ट्रीय राइफल में नियुक्त थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद कासिम 12 साल पहले थल सेना में भर्ती हुए थे। उनके दो छोटे भाई - आसिम और सोहैल अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वे भी अपने बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता

क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I hitherto known as Saroj Gupta D/O Ram Avtar Gupta W/O-Narender Jindal R/O AB-59, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as Saroj Jindal. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040504398-7

I hitherto known as Narender Kumar Alias Narender Kumar Gupta S/O Ramesh Chand R/O AB-59, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as Narender Jindal. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040504398-8

I, hitherto known as Rachit S/O-Rakesh Jain R/O-33, Veer Nagar, Jain Colony, G. T. Road, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as Rachit Jain. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040504398-5

I, hitherto known as Neha Alias Neha Prakash Chand Dembla D/O Prakash Chand Dembla W/O Vikram Wadhwa R/O KP-13, 3rd Floor, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as Meherr Wadhwa. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040504398-6

I,Vipin Kumar Mishra S/O-Shri Prem Chandra Mishra R/O-G-23/262, First Floor, Sector-7, Rohini Delhi-110085, have changed my name to Vipin Mishra. 0040504398-4

I, Bijender Topwal R/o D 5, First Floor, Sector-22, Noida, UP-201301 have changed my minor son's name from CHETAN to CHETAN TOPWAL permanently, whereas my name is wrongly written in his birth certificate as VIJENDER TOPWAL instead of BIJENDER TOPWAL. 0040504398-1

I, hitherto known as Nishant D/o Mohd Mobeen Ahmed R/o-4928-B49, Street No-4, Taj Nagar, Old Seelampur, Gandhi Nagar, Delhi-110031 have Changed my name and shall hereafter be known as Nishat Ansari. 0040504406-7

I, Vipin S/o Ram Kumar R/o-80 Teacher Vihar, Chander Vihar Nilothi-Extension, Nangloi Delhi-110041 have changed my name to Vipin Dhawan Permanently. 0040504320-1

I, Vinay Kumar S/o Shyam Sunder Prasad R/o-1187-B, UGF, Street-No-13,Govind Puri,Kalkaji,Delhi-110019 have changed my Name to Vinay Jaiswal. 0040504398-2

I, Vikrant Kumar Maurya S/o Sh. Ramashare Prasad Maurya R/o 100-D,Block 25, LIG Flat Sector 99, Noida, U.P. - 201301 have changed my name to Vikrant Maurya for all future purposes. 0040504372-1

I, Verender Jha (date of birth 01.01.1985) S/o Shri Sukh Lochan R/o House - 4, N.S. Marg, Daryaganj, Delhi - 2, have changed my name to Birender Jha for all future purposes. 0040504355-1

I, Urmila W/o Late Sh.Inderjeet Nimesh R/o 10896/5-A, W.E.A., Gali No.1, Karol Bagh, New Delhi-110005, informs that my husband Late Sh.Indejeet Nimesh was also known as Inderjeet Singh & Inderjeet. All names are of one & the same person. 0040504309-6

I, Urmila w/o Parbhat Poddar R/o-B-81A, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, Delhi-110092.infrom that Urmila and Urmila poddar both are same person for all the future purposes 0040504431-9

I, Tarun S/O Rajesh Kumar R/O Rz-T-58, Shukkar Bazar, Uttamnagar, Delhi-59, Changed My Name To Tarun Sharma. 0040504419-3

I, Swarnjit Kaur/Sowaranjit Kaur/SAWARANJEET Kaur, W/O Ravinder Singh R/O-Rz-238/19, First Floor, Tughlakabad-Extn, Delhi-110019. Changed My Name To Swarn Jeet Kaur. 0040504431-1

I, Suzen S/o Raj Pal Singh R/o D-3/O, Laxmi Park, Shamshan Bhumi, Nihal Vihar, Nangloi, Delhi-41, Inform that Suzen and Suzen Kumar Gautam both names are same person. In future to be known as Suzen only. 0060068255-1

I, Sushila Sharma R/o 1282/87. Shanti Nagar Tri Nagar Delhi-110035 have changed my name to Sushila Devi. 0070666247-1

I DEEPIKA CHADHA, R/o 1705, Tower-1, Lotus Zing Sector-168, Noida 201301, Changed my name as DEEPIKA VERMA CHADHA W/o Madhusudan Chadha 0040504391-1

I Baljit Kaur W/O Kulvinder Singh R/O 83-E, Vikaspuri-Extn., Chander-Vihar, Nilothi Extn., Delhi-110041 Have Changed my Name to Harman Jeet Kaur. 0040504406-6

I Preeti Jain W/o Prabhash Chand R/o C-193 Surya Nagar Ghaziabad have changed my name to Priti Jain. 0040504412-10

I, Surinder Kumar S/o Somnath R/o WZ-3072-TF, Mahindra-Park, RaniBagh, Delhi-110034, have changed my name to Surender. 0040504406-4

I, Surbhi Asthana W/O Sumit Asthana R/O-V-125/1, Dispensary Wali-Street, Arvind Nagar, Ghonda, Delhi-110053. Have Changed My Name To Surbhi Saxena. 0040504431-2

I, Suman W/O Manoj Kumar R/O 558, Janta Quators, Pkt-3, Paschim Puri, Delhi-110063. Have Changed My Name To Sunita. 0040504426-7

I, Shruthi Gururaj Kulkarni D/o, Gururaj Kulkarni W/o Shashank Pathak R/o Flat No 37, Pocket 5, Sec-21, Rohini Sultanpuri, C-Block, Delhi-86, have changed my name to Shruti Kulkarni. 0040504409-1

I, Shorav S/o. Sh.Jawahar Lal R/o D-31, Fateh Nagar, New Delhi, have changed my name to Shorav Kumar for all future purposes. 0040504364-1

I, Sheetal W/o Gautam Syal R/o B-1/47, B-Block, Sewak-Park, Uttam Nagar, N.Delhi-110059 have changed my name to Sheetal Syal. 0040504412-7

I, Sham Sunder S/o Jeewan Dass Chugh R/o 3/90, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019 have changed my name to Sham Sunder Chugh. 0040504419-1

I, Shakuntla Rani W/o, Krishan Lal Grover R/o-B-3/17, Mianwali Nagar, Paschim Vihar, New Delhi-110087.have changed my name to Shakuntla Grover. 0040504431-8

I, Satinder Singh S/o Late Surinder Singh R/o P-3-B Ground Floor Jangpura Extension New Delhi-110014 have changed my name from Satinder Singh to Satinder Singh Bhatia for all purposes. 0040504348-1

I, Sanjay Kumar Sethia S/o Shri Bhaum Singh Sethia R/o 791 First Floor Church Road Bhogal Jangpura New Delhi-110013 have changed my minor Son's name from Vevan Sethia to Veeresh Sethia for all purposes. 0040504348-2

I, Salender Kumar DOB-05/07/1982, S/O Late.Prakash Chand Kanojia R/O-TMQ-30/7 Maud-Line Delhi-Cantt-110010.have changed my name and DOB to Shailendra Kumar DOB-14/07/1987, for all official purposes. 0040504431-10

I, SUSHMA RANI w/o Sushil Kumar Tanwar r/o WZ-199, Basai Dara Pur, Delhi-110015, informs that name of mine has been wrongly written as SUSHMA TANWAR in school records of my daughter (DOB: 07/09/2004), RIYA TANWAR. 0040504316-2

I, Rupal Rawat D/o Sh.Jhabbar Singh Rawat W/o Sh.Raj Jindal R/o H.No.10402/3, Gali No.13, Furni Type Block, Multani Dhanda, Pahar Ganj, Swami Ram Tirth Nagar, Delhi-110055, have changed my name after marriage to Rupal Jindal for all purposes. 0040504309-5

I, Rohan Arora S/O Vijay Kumar Arora S/O Vijay Kumar Arora R/O-L-27, Sriniwaspuri, NewDelhi-110065. Have Changed My Name To Rohan. 0040504431-4

I, Rishabh Sood S/o Sh.Vishal Sood R/o-H.No.1582 Sector-16, Faridabad Haryana,have Changed my name Rishabh Sood to Rishabbh Sood for all purposes 0040504310-2

I, Resham Mahtta D/O Vijay Kumar Mahtta R/O F9/112, Sec-15, Rohini, Delhi-89, Change My Name To Resham. 0040504419-4

I, Repesh Kumar S/o Shashi Bhushan Sharma, Resident of-A-37 First-Floor, Block-A, Dayanand-Colony, Lajpat-Nagar-IV, New Delhi-110024,have changed my name to Rupesh Kumar. 0040504419-6

I, Rekha W/O Nand Kishore R/O KH.No-75/4, Gali No-11, Ajit-Vihar, Near Trimurti-Mandir, Burari, Delhi-110084, Changed my name to Sakuntla Devi. 0040504406-5

I, Reema Khurana D/o Shri Virender Gupta, R/o F-1-314 Madangir New Delhi-110062, have changed my name to Reema Gupta. Reema Khurana and Reema Gupta both are same person for all purposes. 0040504362-1

I, Ravi Kant S/o Naval Kishore R/o A-1/107,House No 103,Gali No 05,Rajapuri,Uttam Nagar,Delhi,declare that my mother's name wrongly written as Urmila in my 10th certificate,correct name of my mother is Urmila Singh. 0050151923-1

I, Ramesh Kumar Sethi S/o Thakur Dass R/o H.No.-J-40, RBI Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my name from Ramesh Kumar to Ramesh Kumar Sethi for all future purposes. 0040504335-1

I Manu Jamba W/o Sunil Kumar R/o 40A/1, TF Ashok Nagar Delhi-18 have changed my name to Manu.for all future purposes. 0040504426-4

I Jyoti jassi d/o Ram Prakash r/o h. no L-1-112 B, first-flr, nr-K P S School, DDA-flats, kalkaji, delhi-110019.have changed my name to Jyoti for all purpose. 0040504426-2

I Prabhash Chand Jain S/o Daya Chand R/o C-193 Surya Nagar Ghaziabad have changed my name to Prabhash Chand. 0040504412-8

व्यक्तिगत

I, Rajvir Sharma S/o Babu Ram Sharma R/o B-219, Sector-105 Noida U.P Have Changed My Name to Rajbir Sharma. 0070666259-1

I, Rajiv Kumar S/o Prem Kumar R/o 2558 Block-H Sainik Colony Sector-49 Faridabad have Changed my Name to Rajiv Khosla 0040504310-1

I, Rajendra Prasad Gupta S/o Ram Darh Prasad Gupta R/o A-186, Block-A, Sector-22, Noida UP have changed my name to Rajendra Gupta. 0040504360-3

I, Raja Bhaiya S/o Sh.Suraj Pal Yadav R/o.73-B, Dr.Ambedkar-Colony (1), Bijwasan Delhi-110061.have changed my name to Raja Bhaiya Yadav permanently. 0040504419-7

I, Raj Kapoor S/o Saligram Kapoor R/o 494, Ground Floor Kohat Enclave Pitampura Delhi-110034 Have Changed My Name to Raj Kumar Kapoor. 0070666258-1

I, RENU W/o Vijender Kumar R/o 1/7022, U.G. Floor, Right Side Shivaji Park, Shahdara, Delhi-32 have changed my name after marriage RENU GARG permanently. 0040504318-1

I, Puspa Pandey@Puspa Baral D/o Hari Prasad Pandey W/o Mahesh Baral R/o-B-71, Gali.No.12, Ganesh Nagar, Delhi-110092,have changed my name to Puspa Pandey. 0040504310-3

I, Priya Mehta W/o Sushit Kumar Mohanto R/O-BE-344-A, Second Floor, Hari Nagar, ND-110064,have changed my minor daughter's name Purvi Mohanto to Purvi Mehta for all future purposes. 0040504310-4

I, Preeti Mehta,W/O Sh.Rajesh Mehta R/O 34d, Dda-Mig-Flats, Motia-Khan Paharganj, New Delhi-110055.Have Changed The Name Of My Minor Daughter Navya Alias Tuktuk (nickname) Aged 15Years And She Shall Hereafter Be Known As Navya Mehta. 0040504426-5

I, Pratham Puneet Aggarwal S/o Puneet Kumar Aggarwal R/o 1184, Venezia, Mahagun Modern, Sector 78, Noida have changed my name to Pratham Aggarwal. 0050151945-1

I Sristhi Jain W/o Piyush Kumar Jain R/o C-193 Surya Nagar Ghaziabad have changed my name to Srishti Jain. 0040504412-9

I, Prakash S/o Ram Bahadur R/o E-185, Sector-25, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Prakash Devkota. 0040504406-2

I, Pinky Gautam W/o Devender Kumar Gautam R/o Flat No. 1402, Block-3, Cleo County, DS Road, Sector-121, Noida UP have changed my name to Pinki Gautam. 0040504360-4

I, Pijush Ray S/o Nepal Chandra Roy R/o 15/393, 3rd Floor, DDA Flats Madangir, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062 have changed the surname of my minor daughter from Dhritika Roy to Dhritika Ray for all future purposes. 0040504331-1

I, Phoolmati W/o Rajendra Gupta R/o A-186, Block-A, Sector-22, Noida UP have changed my name to Phoolmati Gupta. 0040504360-2

I, Pawan Jangid S/o Shyam Sunder Sharma R/o B-35 DUJ Appt, Plot B-5, Sector-14 Extn Rohini-110085 Have Changed My Name to Pawan Sharma. 0070666261-1

I, No.15815322L,SEP. Sanjay Kumar Prasad,S/o Uma Shankar Prasad,R/o-Vill-Nomova, PO-Kharhatar, PS-Simari, Teh-Dumraon, Distt-Buxar, Bihar-802120,that in my service-record my wife's,name has-been written,as Km Pinkee Prajapati. Her correct name is Kumari Pinkee Prajapati,for all future purpose. 0040504426-1

I, Nitin Kumar S/O Chandul Lal, H.No-109/12 Madaiya-Jatan-2, Pilkhua-Dehat, Ghaziabad, Uttar Pradesh-245304. Have Changed My Name To Nitin Kumar Kansal. 0040504412-4

I, Nitika D/o Sh.Manoj Khurana R/o 7A, Belgravia Tower-16 (F), Central Park-2, Sector-48, Near Subhash Chowk, South City-II, Gurgaon, Haryana-122018, have changed my name to Nitika Khurana for all purposes. 0040504309-3

I, Nisha W/o Sh.Manoj Khurana R/o 7A, Belgravia Tower-16 (F), Central Park-2, Sector-48, Near Subhash Chowk, South City-II, Gurgaon, Haryana-122018, have changed my name to Nisha Khurana for all purposes. 0040504309-4

I, Nisha W/o Devender Kanwar, R/o H. No.165, Chanakya Marg, Chhajjupur, Shahdara, Delhi-110032 have changed my name to Laxmi for all future purposes. 0040504336-1

I Sanjeev S/O Daya Ram Resident Flat No-28,Rishikul Vidyapeeth, Devru Road, Sonipat, Haryana Have Changed My Name To Sanjeev Kumar. 0040504412-1

I Sameeksha Srivastava D/o Sumir Kumar Srivastava Resident of A-607, Greenwood apartment Gomtinagar Ext. Lucknow. Inform that my father name Sumir Kumar Srivastava, not Sameer Srivastava. 0060068253-2

I Sunil Kumar S/o Haveli Ram R/o-40A/1, TF Ashok-Nagar Delhi-18.have changed my minor son's name from Aarav alias Aarav Jamba to Aarav Kumar (DOB-12/12/2007) 0040504419-8

व्यक्तिगत

I, Neha Bhalla D/o Naveen Bhalla R/o B-11 2nd Floor, Gulab Bagh, Nawada, Uttamnagar, D.K. Mohan Garden, Delhi-59, have changed my name to Neha Sharma. 0040504429-1

I, Neem Bahadur S/o Govind Bahadur Rai R/o 705, T-16 Ward no-3, Near Lakhi Nath Kuti, Mehrauli Delhi-110030 Have Changed My Name to Neem Bahadur Rai. 0070666257-1

I, Natasha D/o Mr. Satish Gupta and Mrs. Neeraj Gupta R/o 2nd-F,35, Nehru Nagar, Ghaziabad, UP-201001 have changed my name to Natasha Gupta for all purposes. 0040504377-1

I, Munni Devi W/o Kundan Singh Adhikari R/o-2474/A, GaliNo.65, Molarband-Extn., N.Delhi-110044 inform that Mamta and Munni Devi are one and the same person. 0040504419-2

I, Monika Sharma W/o Daleep Khurana R/o 97A E-Pocket GTB Enclave Delhi-110093 have changed my name to Bhawna Khurana. 0040504438-5

I, Mohd Miraj S/o Baboo Miya R/o 2031, Gali Kalyan Pura Ganj Mir Khan, Delhi-110006 have changed my name to Mirajuddin S/o Babu Khan for all purposes. 0040504354-1

I, Mo Gulfam Ali S/o Samayadeen R/o RZ-237, 1st Floor, Gali No.16, Tughlakabad Ext, New Delhi-110019 have changed my name Mo Gulfam Ali to Gulafam Ali permanently 0040504323-1

I, Mohd Faisal S/o Rahimuddin R/o 2140, Gali Ahata Mir Bukhari, Turkman Gate, Delhi-110006 have changed my minor daughter name from Falak to Zainab for all future purposes. 0040504333-1

I, Mo Nadeem Khan S/O Sanif Khan R/O 10, Servant Quarter, South Avenue, New Delhi-110011. Have Changed My Name To Nadeem Khan. 0040504431-6

I, Meera Sukheja, W/o Sh.Tilak Raj, R/o-47-B, DDA-LIG-Flats, Rajouri Garden, New Delhi-110027.affirm that my name is Meera Sukheja but in Passport my name was written as Meera. Meera Sukheja and Meera are the names of one and same Person. 0040504419-9

I, Meenu D/O Tarachand W/O Vipin Kumar R/O-B-1291, B-Block Jahangirpuri Delhi-33. Have Changed My Name To Jyoti, Permanently. 0040504412-2

I, Marilyn C.J. alias Marilyn Congregation of Jesus D/o P.E. Thomas R/o-5-B, Pocket-C, SFS-Flats, Mayur Vihar Phase-3, Delhi-110096.,have changed my name to Merlin C.J., for all future purposes. 0040504406-8

I, Manoj Kumar S/o Sh.Desh Raj Khurana R/o 7A, Belgravia Tower-16 (F), Central Park-2, Sector-48, Near Subhash Chowk, South City-II, Gurgaon, Haryana-122018, have changed my name to Manoj Khurana for all purposes. 0040504309-2

I, Mamta D/o Babu Ram Chhetri R/o A-6/97A, Paschim Vihar Delhi-110063 Have Changed My Minor Daughter's Name From Dikshita to Dixita Chhetri. 0070666260-1

I, Mahesh Chand S/o Babulal R/o House No. E-16, Gali No.2, Mohan Baba Nagar, Badarpur, South Delhi-44, informs that Mahesh Kumar Chauhan name wrongly mentioned in my both son's (Badal Kumar Chauhan and Akash Kumar) in School record. Mahesh Chand known for all future purposes. 0040504361-1

I, Komal S/O Shri Krishan R/O 286, Mcd Colony, Samay Pur, Delhi-110042. Have Changed My Name To Kamal Kumar. 0040504426-8

I, Km Rinki Goyal W/O Neeraj R/O-Mohalla Madaiya-Jatan, Pilkhua-Dehat, Ghaziabad, Uttar Pradesh-245304. Have Changed My Name To Lavi Kansal. 0040504412-3

I, Kishan S/O Daya Chand R/O-286, Mcd Colony, Samay Pur, Delhi-110042. Have Changed My Name To Shri Krishan. 0040504426-9

I, Kavita W/o Sh. Amit Kumar R/o H. No. 11-E, Chirag Delhi, New Delhi - 110017, have changed my name from Balesh to Kavita for all purposes. 0040504313-1

I, Kanwal Jit Singh S/o Prit Pal Singh R/o 23/2B, 2nd Floor, Tilak Nagar, Delhi-110018 have changed my name to Kanwaljeet Singh for all purposes. 0040504381-1

I, JyotsanaRani W/o Sh. Hemant Kumar Labh R/o H.No. C-702, Dew Drops Apartments, Plot No.GH-5, Sector-47, Gurugram-122018, (Haryana), have changed my name JyotsanaRani to Jyotsana Rani Labh for all future purposes. 0040504394-1

I Anil Kumar Bhat S/o Sh.Chaman Lal Bhat R/o-Flat.No-04094, ATS-ADVANTAGE, AhinsaKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014.have changed my name to Anil Bhat. 0040504412-5

I,No.14628982F HAV Kadam Dada Mahadev,serving at-505 ABW,inform that in my service records my Wife's name & DOB is wrongly mentioned as'KUMARI SUDHA MAHADEV-23/05/1977'.Her correct name & DOB is'SUDHA DADA KADAM-23/05/1975'which may be amended accordingly. 0040504357-1

I, Jay Valecha S/O Narender Valecha, R/O 161, New Lahore Colony, Gali No-7, Shastri Nagar, Delhi-110031, Have Changed My Name To Jay Kumar Valecha. 0040504431-5

I, Jagjit Singh S/O, Sukhdev Singh R/o C-5, Gali No-27, Mahendra-Park, Adarsh-Nagar, Delhi-33 have changed my name to Jagjeet Singh for all purposes. 0040504406-1

I, Ikhdam S/o Gohar Khan R/o-A-26, Gali No.2, Jawahar-Park, Chikamberpur, Ghaziabad. have changed my name to Ikdam for all purposes. 0040504412-6

I, Mamta D/o Babu Ram Chhetri R/o A-6/97A, Paschim Vihar Delhi-110063 Have Changed My Name to Mamta Chhetri. 0070666255-1

I, Huma Firdosh/Huma Firdoos W/O Dilshad R/O 25-A, West Laxmi-Market, Krishna Nagar, Delhi-110051. Have Changed My Name To Huma Firdos. 0040504431-3

I, Hemchandra Jha R/o-2/26, Block-2, TrilokPuri, Delhi-110091, have changed my minor son's name Dharamraj Jha to Mohan Jha for all future purposes. 0040504406-9

I, HemantKumar Labh S/o Sh. Shiv Kumar Labh R/o H.No. C-702, DewDrops Apartments, Plot No.GH-5, Sector–47, Gurugram-122018, (Haryana), have changed my name HemantKumar Labh to HemantKumar Labh for all future purposes. 0040504400-1

I, Hardeep Kumar s/o Shree Ram, r/o 62/15, Ground Floor, Ashok Nagar, Delhi-110018, have changed my name to Hardeep Kumar Gauri. 0040504352-1

I, Habib Ullah S/o Mohd Musa R/o S-5/13, Gali No.5, Batla House Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name Habib Ullah to Habib Khan permanently 0040504323-2

I, Gurpreet Singh S/o Amrik Khanuja R/o 2527/83, First Floor, Nalwa Street, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055 have changed my name to Gurpreet Khanuja. 0040504334-1

I, Geeta W/O Vikash Kumar R/O-Hno.567, Ground Floor, Bhai Parmanand Colony, Dr.Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Changed my Name to Geeta Mehendiratta. 0040504426-10

I, Geeta Batra W/o Surender R/o WZ-3072-TF, Mahindra-Park, RaniBagh, Delhi-110034, have changed my name to Shallu Narang, for all purposes. 0040504406-3

I, Devender Gautam S/o Ramesh Chander Gautam R/o Flat No. 1402, Block-3, Cleo County, DS Road, Sector-121, Noida UP have changed my name to Devender Kumar Gautam. 0040504360-1

I, D Sudharshan S/o P R Devanathan R/o House No. 607, Sadbhawna Apartment GH-18, Sector-46, Faridabad (HR), have changed my name from D Sudharshan to Sudharshan Devanathan for all future purposes. 0040504330-1

I, Charmaine Geraldine Voll W/o Klaus Voll R/o B-3 Nizamuddin East Delhi-110013 Have Changed My Name to Charmaine Voll. 0070666253-1

I, Chander Prakash S/o Shri Piyare Lal R/o P/14, Sri Niwas Puri, New Delhi-110065, have changed my name Chander Bhan to Chander Prakash, both are same person. 0040504332-2

I, Babita Khowal D/o Shri Dinesh Kumar R/o 55/2 Masjid Road Bhogal Shiv Mandir Jangpura New Delhi-110014 have changed my name from Babita Khowal to Babbita Khowal for all purposes. 0040504348-3

I, Asha Rani W/O Shyam Singh R/O Rz A-107, Galino.3, Sitapuri, Palam Village, Delhi-110045. Changed My Name To Asha Sirohi. 0040504431-7

I, Arun Pandey S/o Adhya Pandey R/o 6/39, Vinay Nagar, Agwanpur, Faridabad, Haryana-121003. Arun Kumar Pandey and Arun Pandey, both are same person. My actual name is Arun Pandey for all future purposes, 0040504332-1

I, Archna Jain W/o Neeraj Jain R/o-10/1865E, Street-13, Rajgarh-Ext., Gandhi-Nagar, Delhi-110031.have changed my name to Archana Jain for all purposes. 0040504426-6

I, Anil Kumar S/o Jagat Ram Sharma R/o C-89/3 Yadav Nagar, Samay Pur Delhi-110042 Have Changed My Name to Anil Kumar Sharma. 0070666256-1

I, Anshay Verma S/o Late Ajay Verma, Resident of-L-1/61B, DDA-LIG-Flat, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name to Aanshay Thakur. 0040504419-5

I, Amir Hassan S/o Noor Hassan R/o 2724/25, Gali Nanney Khan, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110002, have changed my name to Amir Hassan Ansari. 0040504334-2

I, Ajwanda D/o Sh.Ravi Shankar R/o A-4/47, Sector-18, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Ajwanda Benazir for all purposes. 0040504309-1

I Sunil Kumar S/o-Haveli Ram R/o-40A/1, TF Ashok-Nagar Delhi-18. have changed my minor daughter's name from Vanshika Jamba to Vanshika(DOB-06/03/2006) 0040504426-3

व्यक्तिगत

मैं, दीपक पुत्र श्री विनोद अग्रवाल, निवासी म.नं. 1/3300, गली नं. 5, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110032, ने सभी कार्यों हेतु अपना नाम बदलकर दीपक अग्रवाल रख लिया है।

मैं प्रभात कुमार झा पुत्र लक्ष्मीकांत झा नि. 3/305ए, गली नं. 11, भजनपुरा, जैन धर्मशाला के पास, गढ़ी मैण्डू, दिल्ली–53 ने अपने छोटे पुत्र लक्ष्य पियूष का नाम पियूष कुमार झा कर दिया है।

I, Ankur Sethi S/o Rajender Sethi R/o-D-803 Antriksh Green-F-7 Sector-50, Noida-201301, Uttar-Pradesh,have changed my minor Daughter's name Manya to Manya Sethi Permanently. 0040504320-2

I, Anjali Negi Vashist D/o Manbar Singh Negi permanent R/o-H.No.208/5, New-Vikas-Colony, Near-Dhara-Road, Pauri(Garhwal) Uttarakhand-246001 presently at B1/8,Ground-Floor, Malviya-Nagar, Near-APJ School, New Delhi-110017. have changed my name to Anjali Negi for all purposes. 0040504419-10

I Janki W/o Rohan Devesar R/o FF-32 Street No.17 Laxmi Nagar Delhi-92. have changed my name to Janki Thapa. 0040504406-10

I, Jitendra Kumar Tiwari S/o Mahesh Chandra Tiwari R/o X-994, Gali-4, Chand Mohalla, Gandhi-Nagar, Delhi have changed my name to Jitendra Tiwari. 0040504233-9

I, Gyarsi Devi W/o Mamraj Khanna H.No.C-251,Chanadan Vihar Nihal Vihar,Nangloi,New Delhi-41,in my son's education document my name wrongly mentioned Sharda Khanna my correct name is Gyarsi Devi both are same person. 0040503597-6

खोया+पाया

ज्ञान सिंह पुत्र स्व. प्रताप सिंह निवासी 171 एम. जी. रोड जंगली धार पोर्ट ब्लेयर अण्डमान एवं निकोबार से भवन सं. 779 स्थित उद्यान II शारदा नगर योजना रायबरेली रोड लखनऊ का आबन्टन प्रमाण पत्र एवं कब्जा प्रमाण पत्र कहीं खो गया है।

Myself Rohit kumar s/o kalicharan singh losted my 10thCbse marksheet roll no. 8618991 in 2011 From mayur vihar. if anyone found contact 9599990288 0050151928-1

I, Sanjeeev Bhatnagar,S/O T.B.Bhatnagar,have lost possession-letter and NOC for Electricity and water connection of IA-47C MIG Flat,Ashok-Vihar Phase-1,Delhi-11052. Finder contact-9818530710. 0040504438-4

I, Farida Jamal D/o Syed Jamaluddin R/o-A-56, GaliNo-3, Chandbagh, Karawal Nagar, Delhi-94, lost my Original marksheet.& Certificate of 10th-Class Roll.No.6340797, CBSE.&12th class certificate cum marksheet of NOIS, Roll.No.27017343223. Contact-7042591596 0040504320-3

I, SAFDAR Zafar S/O Zafar Ali R/o.h.no-22 s/f pocket-2 jasola N.D-25.have lost my original-certificate class-10th (1982) Rollno-151972 Class-12th (1984) Rollno-215238 C.B.S.E-Ajmer. 0040504438-3

I, Seema W/o Shri Jasvinder Pal R/o 363, Pocket-7, Sector A-6, Narela, Delhi-110040, have lost my Original Allotment Letter, Possession Letter, NOC for Electricity & Water connection, Site Possession Slip, General Power of Attorney, Agreement to Sell, Payment Receipt & Bank Challans etc. issued by DDA in respect of the above said flat, somewhere. If anybody found, please contact on above address. 0040504367-1

It is notified for information that my original qualifying examination certificate of main Secondary Examination year 2010 Roll No.6410974 issued by CBSE has been Lost. Name:Mahima Dubey Address : T-2, Top Floor, Front Side, Jagran Chowk, Shukar Bazar, Uttam Nagar, New Delhi-110059. 0040504319-1

It is notified for the information that my Original Qualification Examination Certificate of Main Secondary Examination (10th) of Year 2012 and Roll No.8176452 issued by CBSE has been lost. Candidate Name: Saachi Singh, Address C-II/88, North Moti Bagh, New Delhi-110021, Tel 011-26872959. 0040504307-1

My self Nitish Gupta have lost my Original statement of marksheet cum gradesheet of CBSE class 10th, year 2012,Roll no- 7139196 & Original Markseet of UP Board class 12th year 2015,Roll no. 2088044 Any one found please contact:-R76, Model townIII, 9990863899 0050151929-1

सार्वजनिक सूचना

मैं जगदीश नारायन शुक्ला पुत्र स्व. राम चन्द्र शुक्ला, सूचित करता हूं कि मेरे मकान संख्या A-256, Janta Flats Gazipur PH-II, Delhi-110096. का बिजली व पानी की NOC और पोजीसन स्लिप कहीं खो गई है। कृपया मिलने पर सम्पर्क करें 9013362157

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला अनीता शर्मा/ अनीता शर्मा पत्नी किसनलाल शर्मा, निवासी 167 पुराना प्लाट नं. 72/2, खसरा नम्बर 266, हर्ष विहार, फेज–2, भौपुरा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, उ.प्र. के मकान के असली कागजात को गंगासहाय अत्री निवासी म.नं. 99, गली नं. 6, एच ब्लॉक, न्यू गंगा विहार, गोकुलपुरी दिल्ली– 94 ने बहाने से मांग कर रख लिया है अब मांगने पर आनाकानी कर रहे हैं। यदि ये या इनके रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति इन कागजातों के आधार पर लेनदेन, क्रय विक्रय किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो वह शून्य और अवैध होगा।

हस्ता./–
ध्रुव चरित्र
एडवोकेट

सार्वजनिक सूचना/ नोटिस

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती सुरजीत यादव पत्नी श्री नरेन्द्र यादव निवासी प्लाट नं. 754, फर्स्ट फ्लोर–3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. ने अपने भाई दीपक तलवार पुत्र श्री धर्मचंद तलवार व उसकी पत्नी कंचन तलवार व उसके बच्चों समस्त निवासी म.नं. डी–जी 15, गली नं. 1, स्वरूप नगर, दिल्ली– 42 को उनके दुराचरण, दुर्व्यवहार एवं असामाजिक गतिविधियों के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में उनकी गतिविधियों एवं किसी प्रकार का लेन–देन के प्रति मेरी मुवक्किला एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Surender Kumar (Advocate)
Enrl. No. D/152/88

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्रीमति उर्मिला पत्नी श्री हरी चन्द, एवं हरी चन्द पुत्र बाबू लाल निवासी 101, गली पोस्ट ऑफिस, जार्यपुरा, सब्जी मण्डी, दिल्ली–110007, ने अपने दो पुत्रों एवं पुत्रवधुओं क्रमशः दीपक कुमार एवं इसकी पत्नी नेहा, तथा संदीप एवं इसकी पत्नी माधुरी को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, और अपने रिश्ते नाते समाप्त कर लिये हैं क्योंकि वे मेरे मुवक्किल के आज्ञाकारी नहीं रहे हैं अतः वे अपने हर बुरे भले कृत्यों एवं लेनदेन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, मेरे मुवक्किल का उनसे कोई सम्बंध व लेना देना नहीं होगा।

B.K. YADAV - ADVOCATE
Ch. No. 576, Western Wing,
Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Surender Pal Shishodiya son of Shri Sukh Lal, R/o 166/A-Block, Gali No. 4, Kabeer nagar, Babar Pur, Gokal Puri, Delhi-110094 disowned his son MANOJ SHISHODIYA and his to be wife and their to be children, from his all moveable immoveable properties as he is abusing and querrling with my client and my client has broken all relations from him and my client have no concern with any liabilities or any transactions made by him in any manner.

Sd/-
G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD,DELHI-110006

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Smt. Paramjit Kaur W/o Late Bhagvant Singh R/o 3-A/115, Vishnu Garden, Tilak Nagar, New Delhi-110018 do hereby disown and debar her Sons Ravinder Singh, Dilip Singh and Gurmeet Singh from all her movable and immovable properties with immediate effect because they are out of control of my client. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.

Sd/- B.B.N.DEO ADVOCATE
SR-IInd B Coumpus, Janakpuri,N Delhi-58

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Harmesh Kumar S/o Late Sh. Ram Rattan and his wife Smt. Daljeet Kaur R/o RZ-166, First Floor, Gali No.9,Vishnu Garden, New Delhi-110018 hereby sever all their relation from her son namely Manjeet and debarred him from all their movable and immovable properties forever.

Any person dealing with him shall be doing so at his/her own risk and responsibility, in future my client will not be held responsible for their any act and deeds.

Sd/- RAMESH KUMAR, ADVOCATE
SR-IInd B Campus, Janakpuri, N Delhi-58

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Ved Pal S/o Itwari R/o C-74, Hariajan Basti, East Sagarpur, New Delhi-110046 hereby sever all relation from her son namely Shishram and his daughter-in-law Smt Shakuntla alongwith Grandson "Deepak" and debar them from all his movable and immovable properties forever.

Any person dealing with them shall be doing so at his/her own risk and responsibility, in future my client will not be held responsible for their any act and deeds.

Sd/- RAMESH KUMAR, ADVOCATE
SR-IInd B Campus, Janakpuri, N Delhi-58

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mrs. Firdosh acquired the property i.e. Property bearing No. 58 portion area measuring 70 sq. yds. out of Khasra No. 512 situated in D-Block Laxmi Garden Colony Village Gharoli Khurd, Pargana & Tehsil Loni, Distt. Ghaziabad, U.P. vide Sale Deed dated 12-02-2016 executed by Mr. Nisaruddin in favour of Mrs. Firdosh and there is no sale transaction done in regards of above said property till date also Mrs. Firdosh is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn.,
Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

... दिल्ली–110025, मो. ...

PUBLIC NOTICE

My Client Savnesh Kumar Nagpal S/o Jagdish Kumar, age 41 years; Vandana Nagpal, w/o Savnesh Nagpal Age 44 years r/o 2134, Ground Floor, Outram lines, Kingsway Camp, Delhi 110009; Jagdish Kumar, S/o Late Hari Chand Nagpal, Age 66 yrs and Bhagwanti Nagpal, W/o Jagdish Kumar Nagpal, Age 64 years, r/o House No. 97A "Ashadeep" Shaktinagar Green Road Rohtak-124001; hereby disowns their daughter/grand daughter Anavi Nagpal, age 18 years, of their free will and consent from all their movable and immovable assets inclusive of properties they purchase in future whose behaviour and acts not according to their temperaments, her misconduct and for alleged threat to their life, family and property. That, Anavi Nagpal is beyond their control and supervision and hence they severe all their relations with her and disown her from their inheritance absglutely and forever heretofore. Anybody transacting any business with her in respect to them is doing that at his/her own risk and that neither they nor their family shall be liable for any act of the above named (daughter/granddaughter of my client) Ms. Anavi Nagpal, general public please note.

AKHIL P. CHHABRA (Adv)
Ch. NO. 224, 2nd floor
Delhi High Court New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

This is for information of Public in general that Sh. Dayanand S/o Late Sh. Mange Ram, R/o H. No. 304, VPO Pehlad Pur Banger, Delhi-110042, do hereby sever all relations with his son and his daughter in law, namely Sh. Vipin Kumar S/o. Sh. Dayanand & Sh. Manju W/o Sh. Vipin Kumar, absolutely and completely, with immediate effect and Sh. Vipin Kumar & Smt. Manju are also disowned by Sh. Dayanand and shall have no right in all moveable and immovable property owned by Sh. Dayanand, Sh. Dayanand shall not be responsible in any manner whatsoever for the acts of his said son and daughter in law. Any person dealing with his said son and daughter in law shall do so on his own risk and responsibility.

Sd/-
MOOL CHAND VERMA (ADVOCATE)
Ch No. 812, Rohini Courts, Delhi-85.

PUBLIC NOTICE

Known all men by these presents that my client Mohd. Aftab S/o. Mohd Yaseen R/o. 1685, Aziz Ganj, Bahadur Garh Road, Delhi -110006 has severed all his relations with his son Mohd Shuaib thereby debarred and disowned him from all his moveable and immovable properties and my client and his other family members shall not be liable for any act and omission done by him if any person deal with them, he/she shall do the same at their own risks, costs and responsibilities and my client and his other family members shall not be liable for the same.

P.K. SINGH-ADVOCATE
Ch. No. 181, Civil Wing,
Tis Hazari Court, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Gaurav Kumar S/o Paminder Kumar R/o H-1/45, Vikaspuri, New Delhi-18 declare that name of mine has been wrongly written as Gaurav Mall in my minor son's Aayush Mall Birth Certificate No. MCDOLIR-0115 006710370 and my minor daughter's Vanika Mall Birth Certificate No. MCDOLIR-0117-007066316, Voter ID No. NGO1369619 and my Driving Licence DL-0420070359286. The actual name of mine is Gaurav Kumar which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Know all men that my client Mrs. Krishna Dhingra W/o Late Sh. Harbans Lal Dhingra R/o T-182, Baljeet Nagar, West Patel Nagar, New Delhi-110008. Have severed all her relations with her son namely Mr. Vishal Dhingra and disowned him from all to her movable/immovable properties with immediate effect, due to his misconduct and mal treatment. My client shall not be responsible for any kind of claims, acts and deeds in future done with/ by Vishal Dhingra, as he is not in control of my client.

Mukul Girdhar & Associates
Advocates and Legal Advisors
110, Suneja Tower-2, District Centre,
Janak Puri, New Delhi-110058

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सुग्रीव शाह पुत्र स्व. श्री रामपूजन शाह निवासी सी–338, गली नं. 15, गौरव नगर–2, प्रेम नगर–3, किराड़ी, सुलेमान नगर, दिल्ली–110086 ने अपने बेटे मुकेश शाह, उसकी पत्नी रुबी देवी व उनके बच्चों हर्षित शाह व अंकित शाह को उनके दुर्व्यवहार आचरण के कारण अपनी सभी चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और उन सबका मेरे मुवक्किल से किसी प्रकार का कोई संबध नहीं है। अतः जो भी व्यक्ति भविष्य में उपरोक्त से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखेगा व किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन करेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। इनके कृत्यों के लिये मेरे मुवक्किल व उसके परिवार के अन्य सदस्यों व रिश्तेदारों की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

सुमित कुमार चौहान (अधिवक्ता)
चै.नं. 122, वैस्टर्न विंग,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री नरपिन्दर सिंह निवासी T29/123डी, बलजीत नगर, नई दिल्ली–110008 ने अपने पुत्र श्री प्रितपाल सिंह तथा उसकी पत्नी श्रीमती द्रष्टी से उनके गलत व्यवहार के कारण सारे संबंध समाप्त कर दिए हैं तथा उन्हें अपनी चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है।

भविष्य में मेरे मुवक्किल उनके द्वारा किसी भी कार्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे।

VANDANA KHURANA
Advocate
D-1232/95

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Mohan Lal Gupta S/o Late Sh. Lakhi Ram Gupta & his wife Smt. Mithlesh Gupta both R/o H.No. 747, St.No.6, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-32, have debarred/disclaimed their son namely Mayank Gupta from their movable & immovable properties & also have broken down all their ties and relation with him due to his misbehavior & non obeying of direction/order of my clients. My clients & their family members shall not be responsible for any kind of his act, any dealing whatsoever, illegal decision, he shall be responsible for his own act, whether legal or illegal.

Ravi Karan Veshnav (Advocate) Enrl.No. D/433-C/B2, Ch.No. D-508, KKD Court

PUBLIC NOTICE

This is to inform Genral Public at large that my client Mr. Suraj Bhan is intending to purchase a Property area 50 Sq. Yds. Khasra No. -163, situated at Village Dundahera, Paragana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, U.P. from Mrs. Ram Bhulee Yadav who is the absolute owner in possession of aforementioned property by virtue of Sale Deed dated 23{12/2008 and the same is free from all type of lien and encumbrances.
The previous property chain documents from the land owners Ganga Prassad & ors. to Mr. Kheem Chand & ors. are not available."This property is proposed to be mortgage with Hinduja Housing Finance Ltd.
If any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 7 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma
Court , Delhi 110032
Mob.9871603366, 9717476101

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कच्ची कॉलोनियों पर राज्य और केंद्र में बढ़ी तकरार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

- दिल्ली सरकार के दावों के बाद शहरी विकास मंत्री ने खड़े किए सवाल
- कच्ची कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए और समय मांग रही है दिल्ली सरकार

कच्ची कॉलोनियों के नियमितिकरण और मेट्रो बोर्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इन कॉलोनियों के मामले में दिल्ली सरकार के तमाम दावों से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी नाखुश दिखे। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया है और केंद्र सरकार से समय सीमा को जनवरी 2021 तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार इन कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए आदेश जारी करेगी। साथ ही उन्होंने मेट्रो बोर्ड गठन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने बताया कि इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली कैबिनेट के मसौदे को केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में ही मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद कॉलोनियों में मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया पर काम होना था। केंद्र सरकार ने मंजूरी के वक्त ही समय सीमा निर्धारित कर दी थी। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाए कि दिल्ली सरकार ने तय समय सीमा में काम को पूरा नहीं किया। इसके अलावा 2015 में दिल्ली सरकार ने 2008 के प्रावधानों में संशोधन प्रक्रिया के लिए दिल्ली सरकार से सुझाव मांगे थे। इस संबंध में केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने केवल अपने सुझाव भेजे थे।

दिल्ली में इस समय ऐसी 1797 कच्ची कॉलोनियां है। केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली सरकार को इन कॉलोनियों में टोटल स्टेशन मशीन (टीएसएम) से सर्वेक्षण करना था। सर्वे के लिए दो साल पहले दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई 2019 तक का समय मांगा था। इस काम को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने जनवरी 2019 में एक बार फिर केंद्र सरकार से दो साल का समय मांगा है और इस सर्वे को जनवरी 2021 तक पूरा करने का दावा किया है। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रावधान है कि इनमें 50 फीसद तक विकसित क्षेत्र होना चाहिए। अब दिल्ली सरकार को ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित करना है जो इस समय सीमा के दायरे में आती हैं।

मेट्रो बोर्ड में नेताओं के नाम पर वार-पलटवार

दिल्ली मेट्रो बोर्ड में 'आप' नेताओं को शामिल किए जाने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली सरकार को घेरा है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी भाजपा नेता मदन लाल खुराना को मेट्रो बोर्ड में शामिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस आपत्ति के बाद 2003 में मदन लाल खुराना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे दो नेताओं के नाम भेजे गए हैं, जो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हारे हैं। इस बार 'आप' सरकार ने मेट्रो बोर्ड के लिए आप नेता राघव चड्ढा व अतिशी के नाम की सिफारिश की है। इस मामले में आप नेता राघव चड्ढा भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के तर्क के आधार पर भाजपा की तरफ से अमृतसर से चुनाव हारने के बाद अब हरदीप सिंह पुरी को भी अपने इस्तीफे की तैयारी कर लेनी चाहिए।

दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाने देने के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाने देने के विश्वविद्यालय के निर्णय के खिलाफ विद्यार्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि यदि जेएनयू को सही मायने में स्वच्छ करना है तो सबसे पहले परिसर से कूड़े के ढेर को खत्म किया जाए। इसके अलावा पानी की कमी को दूर किया जाए जो सफाई के लिए सबसे जरूरी चीज है।

प्रदर्शन में शामिल जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि जेएनयू प्रशासन विद्यार्थियों की आवाज को दबाना चाहता है। पोस्टर और परचों के माध्यम से हम अपनी बात और विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं जिसपर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी प्रशासन के इस निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सारिका ने कहा कि जेएनयू प्रशासन सही में परिसर को स्वच्छ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले पानी की कमी की समस्या को दूर करना होगा।

सफाई के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा परिसर में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन्हें साफ करने का प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है। प्रशासन के सारे प्रयास विद्यार्थियों की आवाज और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से दबाने का है।

जेएनयू के छात्र ने लगाया रैगिंग का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

- लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद भी प्रशासन की चुप्पी
- पीएचडी कर रहे छात्र ने परिचय के नाम पर पीड़ित छात्र को पीटा

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में स्कूल ऑफ लैंग्वेज के बीए पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्र रवि राज ने अपने साथ रैगिंग और मारपीट के आरोप लगाए हैं। छात्र ने इस संबंध में पुलिस और जेएनयू प्रशासन को शिकायत दी है और अपनी सुरक्षा की मांग की है।

रवि का कहना कि वह 18 जुलाई को शाम छह बजे नर्मदा छात्रावास में अपने दोस्त से मिलने गया था तो एक अन्य छात्र ने उन्हें बुलाया और उनका परिचय पूछा। रवि ने अपना नाम बताया और कहा कि वह बिहार का रहने वाला है तो उस युवक ने उन्हें बिहारी कहा और गालियां दीं। रवि ने बताया कि उस छात्र ने उन्हें कई थप्पड़ भी मारे। इसके बाद कान पकड़ने को कहा और ऐसा नहीं करने उसके साथ मार-पिटाई की और दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा उससे उठक बैठक भी करवाईं और कभी उसके सामने न आने को कहा।

रवि ने बताया कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला छात्र पीएचडी कर रहा है। रवि ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन को लिखित शिकायत की है। इसके अलावा उसने ईमेल के माध्यम से एंटी रैगिंग प्रकोष्ठ को भी इस संबंध में सूचना दे दी है। जेएनयू प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

रवि को मार्च में जेएनयू से निकाला गया था

सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर वायरल हो रहा है जिसके मुताबिक रवि गैर आधिकारिक रूप से जेएनयू परिसर में स्थित नर्मदा छात्रावास में रह रहा था और 3 मार्च, 2019 को उसने नर्मदा में रहने वाले विद्यार्थियों से लड़ाई की थी। इस बात की सूचना जब विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर तक पहुंची तो उन्होंने 25 मार्च, 2019 को रवि को जेएनयू परिसर से बाहर करने का आदेश दिया। साथ ही उसकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इस सर्कुलर में रवि की तस्वीर भी जारी की गई थी।

59 फीसद नए चेहरों को जोड़ना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्त्व ने भाजपा के लिए एक बड़ा लक्ष्य भी तय किया है। इस लक्ष्य के मुताबिक 11 अगस्त तक दिल्ली में करीब 59 फीसद नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना है। पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है लेकिन अब तक भाजपा 4-5 लाख तक के लक्ष्य तक पहुंच पाई है। सदस्यता अभियान से जुड़े नेता मुहिम के पूरा होने तक करीब 10 लाख सदस्य ही जुड़ने का दावा कर रहे हैं। इससे साफ है कि केंद्रीय नेतृत्त्व का तय लक्ष्य पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है।

पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक, इस समय करीब 26 लाख सदस्य है। केंद्रीय नेतृत्त्व के लक्ष्य को भेदना है तो दिल्ली में पार्टी के सदस्यों की संख्या 65 लाख तक लेकर जानी होगी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि यदि सही आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़ा अब तक करीब 3 लाख तक ही पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ सदस्यता अभियान चला रहे भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा बताते हैं कि अब तक करीब 4-5 लाख नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त पार्टी में आने वाले दिनों में सदस्यता अभियान को और तेज किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है। उसके तहत विशेष वर्ग, समुदाय, धार्मिक स्थल, मोर्चों व अन्य टीमों के साथ मिलकर इस अभियान को तेज बनाया जाएगा। इस पहल से पार्टी करीब 10 लाख से अधिक जोड़ने में सफल होगी। उन्होंने बताया कि बीते दो दिन में पार्टी का सदस्यता अभियान नहीं चला है, इसकी वजह पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम का निधन होना रहा है। इसके लिए जल्द ही नए सदस्यों को जोड़ने के लिए नई मुहिम शुरू की जाएगी।

मंगलवार को भी दिल्ली भर में सदस्यता अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा ने तय किया गया है कि वह आने वाले दिनों में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए काम करेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूनम पराशर झा ने की। जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, सह प्रभारी तरूण चुघ, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, सदस्यता अभियान प्रमुख कुलजी चहल, रविंद्र गुप्ता व राजेश भाटिया भी उपस्थित थे। सदस्यता अभियान तेज करने के लिए मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सदस्य प्रमुखों की एक बैठक भी हुई। जहां आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।

जामिया ने शुरू किए चार नए पाठ्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 से चार नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें दो स्नातकोत्तर और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं। विश्वविद्यालय ने एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीटें 18 से 30 करने की घोषणा की है। वहीं, पूर्व में बंद किए गए चार पाठ्यक्रम में दाखिला फिर से खोला है।

जामिया से मिली जानकारी के अनुसार शुरू हो रहे नए पाठ्यक्रमों में बैंकिंग और वित्तीय विश्लेषण में स्नातकोत्तर (40 सीटें), पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर (12 सीटें), तुर्की भाषा में एडवांस्ड डिप्लोमा (30 सीटें) और डिप्लोमा इन मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स (20 सीटें) शामिल हैं। इसमें से डिप्लोमा इन मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक्स पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 18 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं, जबकि अन्य तीन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 17 अगस्त तारीख निर्धारित की गई है।

जामिया ने पूर्व में बंद हो चुके चार पाठ्यक्रमों में फिर से दाखिला खोला है। विशेष बात यह है कि यह चारों पाठ्यक्रम भी इसी शैक्षणिक सत्र से संचालित होंगे। इन पाठ्यक्रमों में तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं, जबकि एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हैं।

एयूडी में ईडब्लूएस श्रेणी की सीटें भरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

डॉक्टर बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पांचवीं कटऑफ सूची मंगलवार को जारी कर दी। इस सूची में ईडब्लूएस श्रेणी के लिए विश्वविद्यालय के कश्मीरी गेट और कर्मपुरा दोनों परिसरों में दाखिले बंद हो गए हैं। बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान में दिल्ली के ईडब्लूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 62.75 फीसद कटऑफ जारी की गई है, जबकि अन्य सभी पाठ्यक्रमों में ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटें भर चुकी है। वहीं, सामान्य वर्ग के साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों के पास दाखिले का मौका उपलब्ध है।

30 YEARS OF TRANSFORMATION

Kajaria

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2019

(₹ in crores, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30 June 2019 (Unaudited)	Quarter ended 30 June 2018 (Unaudited)	Year ended 31 March 2019 (Audited)
1	Income			
	a) Revenue from operations	699.99	657.02	2956.20
	b) Other income	5.28	2.38	18.03
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	80.91	72.35	362.87
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	80.91	72.35	358.03
4	Net Profit for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items and after minority interest)	51.01	45.57	226.57
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	51.05	45.53	226.74
6	Equity share capital (Face value of Re 1/- per share)	15.90	15.90	15.90
7	Other equity (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	1559.00
8	Earnings per share (of Re 1/- each) (not annualised)			
	a) Basic:	3.21	2.87	14.25
	b) Diluted:	3.21	2.86	14.25

Notes:

1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 23 July 2019 and have undergone 'Limited Review' by the statutory auditors of the Company.

2 The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind-AS') as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), specified under section 133 of the Companies Act, 2013.

3 The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" effective 1 April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2019, using modified retrospective method. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit of the current quarter.

4 Additional information on standalone financial results is as follows:

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30 June 2019 (Unaudited)	Quarter ended 30 June 2018 (Unaudited)	Year ended 31 March 2019 (Audited)
1	Income			
	a) Revenue from operations	639.70	614.11	2726.07
	b) Other income	10.79	6.68	34.81
2	Net Profit before tax	87.48	77.34	373.11
3	Net Profit after tax	56.98	50.47	245.90
4	Total comprehensive income for the period	57.02	50.41	246.04

INDIA'S NO. 1 TILE COMPANY

5 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30 June 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the Company's website at www.kajariaceramics.com.

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi
Date: 23 July 2019

Ashok Kajaria
Chairman & Managing Director

KAJARIA CERAMICS LIMITED
Regd Office: SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza, Mehrauli-Gurgaon Road, Village Sikanderpur Ghosi, Gurgaon -122001 (Haryana)
Corporate Office: J-1/B-1 (Extn), Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road
New Delhi-110044 Ph: 91-11-26946409, Fax: 91-11-26949544, 91-11-26946407
CIN: L26924HR1985PLC056150, E-mail: investors@kajariaceramics.com, Website: www.kajariaceramics.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	37.6 डि.से.	37.6 डि.से.	37.3 डि.से.	37.3 डि.से.
न्यूनतम	28.2 डि.से.	28.2 डि.से.	27.0 डि.से.	28.6 डि.से.

शीर्ष अदालत के आदेश से लगा मरहम

42 हजार खरीदारों को घर मिलने की उम्मीद

आशीष दुबे
नोएडा, 23 जुलाई।

विश्वस्तरीय आशियाने का झांसा देख धोखाधड़ी का शिकार हुए आम्रपाली बिल्डर के करीब 42 हजार खरीदारों के जख्मों पर मंगलवार को शीर्ष अदालत के आदेश ने मरहम लगाने का काम किया है। हालांकि नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के करीब 5000 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान और एनबीसीसी- कब, कैसे और कितनी लागत से आशियाना पूरा करेगी? ये सवाल अब खरीदारों के मन में उठ रहे हैं। आदेश आने के बाद नोएडा- ग्रेटर नोएडा इलाके के सभी फ्लैट खरीदार संगठनों ने जोरदार स्वागत किया है। इसे नई उम्मीद बताई है। जानकारों के मुताबिक दोनों शहरों में आम्रपाली की बगैर किसी संपत्ति से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल एनबीसीसी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में कर सकता है। इससे करीब एक हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। साथ ही बैंकों को भी अपना बकाया मिल सकता है। अदालत की कार्यवाही पर भरोसा जमाए खरीदारों को कुछ सालों में अपना घर मिलने की उम्मीद दिखी है।

आम्रपाली बिल्डर की नोएडा के सेक्टर- 45 में सैफायर (फेज एक व दो), सेक्टर- 50 में हार्टबीट सिटी व ईडन पार्क, सेक्टर- 76 में सिलिकॉन व प्रिंसले एस्टेट, सेक्टर- 119 में प्लेटिनम और सेक्टर- 120 में जोडिएक, कुल सात परियोजनाएं हैं। ग्रेटर नोएडा में गोल्फ होम, लेजर वैली, ड्रीम वैली, टेक पार्क, लेजर पार्क व सेंचुरियन पार्क नाम से परियोजनाएं हैं। आम्रपाली पर नोएडा का करीब 2200 करोड़ रुपए और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर करीब 2800 करोड़ रुपए बकाया है। अदालत के फैसले के बाद दोनों प्राधिकरण कैसे अपनी रकम वसूल पाएंगे? फिलहाल इस पर असमंजस कामय है। इस मामले पर नोएडा के विशेष कार्याधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि आदेश की लिखित कापी मिलने के बाद कुछ कहा जा सकता है। बगैर अधिभोग प्रमाणपत्र मिले ही आम्रपाली की पूरी नहीं हो पाई परियोजनाओं में भी करीब 17 हजार खरीदार रह रहे हैं। फ्लैट खरीदारों के संगठन नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (नेफोवा) के संस्थापक इंद्रीश ने कहा कि सालों के इंतजार, प्रदर्शन और प्राधिकरण के चक्कर काटने के बाद भी निराशा हाथ लगी थी। आखिर में शीर्ष अदालत ने उम्मीद जगाई है। फैसले का सभी खरीदार स्वागत करते हैं। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स मैन एसोसिएशन (नेफोमा) की महासचिव रश्मि पांडे ने कहा फैसले के जरिए 42 हजार खरीदारों के हितों की रक्षा हुई है।

दिखाया था सपना

2009 और 2010 में आम्रपाली बिल्डर ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रिहायशी परियोजनाओं की झड़ी लगा दी थी। नामचीन अभिनेताओं और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड प्रचारक (एंबेस्डर) बना कर लोगों को लुभाया। कांच के महल को असली बताकर लोगों को धोनी का पड़ोसी बनने का सपना दिखाकर निवेश कराया। शुरुआती चरण में कुछ परियोजनाओं पर तेजी से काम भी हुआ, जिससे लोगों में भरोसा भी जगा। लेकिन समय के साथ यह रफ्तार कम होते- होते रुक गई। कब्जे की तारीख नजदीक आते सपना टूटने लगा। हालांकि शीर्ष अदालत का आदेश आने से पहले कोर्ट और सरकार की सख्ती पर आम्रपाली ने सैफायर और प्लेटिनम परियोजनाओं में खरीदारों को कब्जा देने शुरू किया था लेकिन तब तक उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डांवाडोल हो चुकी थी।

डीडीए के 8438 फ्लैट आबंटित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आवासीय आबंटन की प्रक्रिया शुरू की। योजना के तहत डीडीए ने 10,294 फ्लैट का आबंटन किया जाना था। डीडीए के मुताबिक मंगलार को विभिन्न श्रेणियों में 8,438 फ्लैट का आबंटन किया गया। इन फ्लैट के लिए डीडीए के पास 45,012 आवेदन आए थे।

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस चरण में 17,921 फ्लैट की योजना लाने की तैयारी थी। लेकिन बाद में इस संख्या में भी बदलाव किया गया और केवल 10,294 फ्लैट के लिए आबंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। यह प्रक्रिया मंगलवार को विकास सदन (डीडीए मुख्यालय) में शुरू की गई। प्रक्रिया जस्टिस एसएन अग्रवाल, प्रोफेसर अंशुल कुमार व विषु चौहान की उपस्थिति में हुई। प्रक्रिया शुरू होने से पहले डीडीए का कहना था कि योजना के तहत वसंत कुंज और नरेला औद्योगिक इलाकों में करीब 18 हजार नवनिर्मित फ्लैटों की बिक्री होनी थी, जिसके लिए डीडीए को लगभग 50,000 आवेदन मिले। अधिकारियों ने हालांकि यह नहीं बताया कि प्रस्तावित फ्लैटों और आवेदकों की संख्या में कमी क्यों आई। डीडीए की आवास योजना 25 मार्च को शुरू की गई थी, जिसमें चार श्रेणियों के फ्लैटों उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई थी, जिसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि 45,012 आवेदकों में से 36,409 सामान्य वर्ग, 5,021 अनुसूचित जाति और 2,025 अनुसूचित जनजाति और 97 युद्ध विधवाएं हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों को भूतल पर बने फ्लैटों के आबंटन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

अदालत का दिल्ली पुलिस को आदेश

कन्हैया व अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी लें

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के वास्ते आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को दो महीने का समय दिया।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर और समय मांगा था कि संबंधित प्रशासन से उसे मंजूरी नहीं मिली है। अदालत ने पुलिस उपायुक्त से मंजूरी हासिल करने के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी और इस पर सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे मंजूरी के संबंध में दिल्ली सरकार के गृह विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य समेत विश्वविद्यालय के कई अन्य पूर्व विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वे नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में लगाए गए राजद्रोही नारों का समर्थन किया था।

अदालत ने इससे पहले पुलिस को इस मामले में कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह संबंधित प्रशासन से इस इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए कहे। गौरतलब है कि नौ फरवरी 2016 को आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तथाकथित रूप से राष्ट्र विरोधी नारे लगे थे। इसके बाद कन्हैया और अन्य कुछ विद्यार्थियों पर राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया

- अदालत ने पुलिस उपायुक्त से मंजूरी हासिल करने के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी और इस पर सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की

खबरों में शहर

एनएमआरसी के कार्यालय में लगी आग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 जुलाई।

सेक्टर- 29 स्थित नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के प्रशासनिक कार्यालय में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एनएमआरसी मीडिया प्रवक्ता के मुताबिक आग से कार्यालय के सामान को नुकसान पहुंचा है। सेक्टर- 29 स्थित गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तीसरे तल पर एनएमआरसी का प्रशासनिक कार्यालय है। सुबह करीब नौ बजे कार्यालय में आग लग गई। जिस तल पर आग लगी, वहां एनएमआरसी के निदेशक, सह निदेशक, मीडिया प्रभारी, तकनीकी स्टाफ समेत अन्य अधिकारियों के ऑफिस हैं। आग लगने के समय कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।

खेल प्रतियोगिता संपन्न

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

निशा फाउंडेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आंबेडकर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में संस्था की प्रमुख प्रियंका कोठारी, अध्यक्ष भास्कर प्रकाश ने सम्मानित किया। संस्था के संयुक्त सचिव दल सिंह मल्लाह के मुताबिक दल दिनों तक चले इस खेल प्रतियोगिता में कई कॉलेजों की टीमों ने भाग लिया। इसे फुटबॉल फॉर नेशन प्रतियोगिता का नाम दिया गया था।

लघु उद्यम महाकुंभ नागपुर में होगा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 जुलाई।

लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष जनक भाटिया ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो लघु उद्यम पांव हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि जीडीपी व रोजगार सृजन के लक्ष्य को बल देने के लिए हम सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे उद्यमियों को मजबूती प्रदान करने के लिए 16 से 18 अगस्त तक नागपुर में लघु उद्यम का महाकुंभ होगा। लघु उद्योग प्रदेश अध्यक्ष का मंगलवार शाम सेक्टर- 20 संस्था के सदस्यों और उद्यमियों ने स्वागत किया। 21 जुलाई, 2019 को कानपुर में हुई उत्तर प्रदेश प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में जनक भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश में संगठन के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाना जरूरी बताया गया।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : सुडान पर चर्चा, सभागार-1, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : विपासना मेडिटेशन पर चर्चा, कमलादेवी ब्लॉक, सभागार-2, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।।

बारिश के पानी में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

रोहिणी जिले के अमन विहार स्थित किराड़ी के समीप खाली परिसर में बारिश के जमा हुए पानी में डूबने से 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। बच्चे की पहचान इमामुद्दीन के रूप में हुई है।

किराड़ी में रहने वाले इमामुद्दीन के पिता वसीम ने पुलिस को बताया कि सोमवार दोपहर इमामुद्दीन खेलने के लिए घर से निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर काफी देर बाद रात करीब 12 बजे परिवार ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करवाई। मंगलवार सुबह दोबारा पिता ने बच्चे को तलाशना शुरू किया तो कॉलोनी के पास में जमीन में इकट्ठा हुए पानी में इमामुद्दीन का शव मिला। मामले की सूचना पुलिस को देकर इमामुद्दीन को तुरंत नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

11 दिन की बच्ची अंगीठी में गिरकर झुलसी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 23 जुलाई।

सेक्टर-49 बरौला में 11 दिन पहले पैदा हुई बच्ची को मां के हाथ से जलती हुई अंगीठी में गिरकर बुरी तरह झुलस गई। परिजनों ने गंभीर हालत में बच्ची को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्ची की हालत गंभीर है। आस-पास के लोगों का आरोप है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महिला ने जानबूझकर बच्ची को जलाने की कोशिश की है। थाना सेक्टर-49 पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएचओ अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक शिकोहाबाद के राम प्रेम यादव टैक्सी चालक है।

नकाबपोशों ने बिल्डर कंपनी के प्रबंधक पर चलाई गोलियां

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 23 जुलाई।

सूरजपुर साइट-सी स्थित ओसिस बिल्डर परियोजना पर मंगलवार दिनदहाड़े मोटर साइकिल सवार दो बदमाशों ने प्रबंधक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। नकाबपोश हमलावरों की चार गोली लगने से प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें नोएडा के सेक्टर-27 स्थित निजी अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना मिलने पर एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपी देहात समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने किसी तरह की रंजिश से इनकार किया है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन टीम लगाई है।

दिल्ली बुराड़ी के रहने वाले राजीव वर्मा (40) ओसिस बिल्डर कंपनी में बतौर बिक्री प्रबंधक के रूप में काम करते हैं। कंपनी की ग्रेटर नोएडा में साइट-सी, बिसरख, ग्रेटर नोएडा वेस्ट व यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे अलग- अलग परियोजनाएं हैं। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे राजीव साइट- सी स्थित कार्यालय पहुंचे। कार से नीचे उतरने के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। परियोजना स्थल पर कार्यरत कर्मचारी शुभम व योगपाल ने बदमाशों को भागते हुए देखा। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों का चेहरा ढका हुआ था। परियोजना स्थल पर लगे सीसीटीवी के खराब होने से पुलिस को कोई मदद नहीं मिली है। बताया गया है कि बदमाशों से राजीव ने पूछा भी था कि गोली मार रहे हो, पहले बात तो कर लो लेकिन बदमाशों ने नहीं सुनी और गोलियां दाग दी। एसएसपी वैभव कृष्ण के मुताबिक गोली मारने के कारणों की जांच की जा रही है।

दवा आपूर्तिकर्ता की संदिग्ध हालात में मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

द्वारका उत्तरी इलाके में एक दवा आपूर्तिकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव कमरे के अंदर अकड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने जयपुर में रहने वाले उसके परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी है। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि द्वारका सेक्टर-16 बी के डीडीए जनता फ्लैट में रहने वाला एक व्यक्ति अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गई। पुलिस ने उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में मृतक की शिनाख्त 49 साल के हेमंत शर्मा के रूप में हुई। वह मूल रूप से जयपुर के आदर्शनगर का रहने वाला है। हेमंत यहां अकेले रहता था और दवा आपूर्ति का काम करता था।

प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते एआइयूएमएम के कार्यकर्ता।

कार भिड़ी तो पीड़ित को ही पीट कर अधमरा करने का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में कार के टकराने पर दूसरे कार चालक को लात-घूसों से बुरी तरह पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया। वारदात के बाद आरोपी उसे धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

पीड़ित चरणजीत सिंह परिवार के साथ सेक्टर-23 रोहिणी इलाके में रहते हैं। चरणजीत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सोमवार देर रात वह सेक्टर-16 से अपने घर सेक्टर-23 रोहिणी कार से जा रहे थे। बाबोसा चौक सेक्टर-24 पहुंचने पर आइ20 कार चालक ने उनकी कार को खतरनाक तरीके से ओवरटेक कर भिड़ा दी थी। पीड़ित ने पीछा कर उसकी कार के आगे अपनी कार लगा दी। पीड़ित ने चालक को कार सही तरीके से चलाने को कहा। इस बीच चालक ने कार से उतरकर पीड़ित के साथ गाली-गलौज की। इस बीच उसके दो साथी भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसके बाल पकड़कर बुरी तरह से पीटा। चालक ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने किसी तरह से पीसीआर को वारदात की सूचना दी।

सेक्टर-16 से अपने घर सेक्टर-23 रोहिणी कार से जा रहे थे

बाबोसा चौक सेक्टर-24 पहुंचने पर आइ20 कार चालक ने उनकी कार को ओवरटेक कर भिड़ा दी थी

केजरीवाल व अन्य 'आप' नेता तलब

मानहानि मामला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता करण सिंह तंवर की ओर से मानहानि की शिकायत पर दिल्ली की निचली अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) नेता दीलिप पांडेय, अमानतुल्लाह खान और सुरिंदर सिंह को नोटिस भेजा है। अदालत ने इन सभी को सात अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। तंवर ने केजरीवाल और 'आप' के तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 'आप' नेताओं ने उनके खिलाफ मीडिया में आरोप लगाया है कि वह एनडीएमसी में संपत्ति अधिकारी एमएम खान की हत्या की साजिश में शामिल हैं। एमएम खान की पिछले साल 16 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तंवर ने आरोप लगाया कि 'आप' नेताओं ने उनकी छवि और राजनीतिक करिअर खराब करने का प्रयास किया।

दक्षिणी निगम में पानी बचाने की पहल

बैठक में जरूरत के हिसाब से मिलेगा जल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

पानी और पर्यावरण को बचाने की मुहिम का असर मंगलवार को दिल्ली नगर निगम की बैठक में दिखना शुरू हो गया। दक्षिणी निगम की स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अब सभी बैठकों में मोटे कागज से बने गिलास में जरूरत के हिसाब से पानी मिलेगा। प्लास्टिक की बोतल बंद पानी निगम में बंद कर दी गई है। अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक में प्रवेश और निकास द्वार पर कागज के गिलास और बोतल में पानी में रख दिया गया। निगम के आला अधिकारी खुद पानी लेकर पीते भी देखे गए। इसके साथ ही बैठक में मोबाइल टावर और शौचालय पर भी पार्षदों ने अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया। अध्यक्ष गुप्ता का कहना था कि इससे निगम को 22 हजार रुपए प्रति महीने की बचत होगी। इस चारों जोन में भी लागू किया जाएगा। दक्षिणी निगम की स्थायी समिति की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ने सबसे पहले इसी बात की घोषणा की। चूंकि प्रधानमंत्री जल संरक्षण और पानी की बर्बादी पर 'मन की बात' में अपनी राय रख चुके हैं। मंगलवार को बैठक में मोबाइल टावर और शौचालय पर चर्चा में भाग लेते हुए ज्यादातर पार्षदों का कहना था कि पूरे निगम इलाके में अधिकतर जगहों पर अवैध टावर लगे हुए हैं, जिससे निगम को राजस्व का घाटा हो रहा है। इस प्रकार के टावर किसकी अनुमति पर लगे हुए हैं और इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया।

मोबाइल टावर पर उठे सवाल

बैठक में कांग्रेस के वेदपाल, 'आप' के नरेंद्र और भाजपा के राजपाल, शिखा राय और कमलजीत शहरावत ने अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी का नतीजा बताया। निगम अधिकारियों ने जो आंकड़े पेश किए उसपर पार्षदों में नाराजगी दिखी। भाजपा के राजपाल ने तो साफ तौर पर कहा कि अधिकारी गलत बयानी कर रहे हैं। आंकड़ें सच्चाई से कोसो दूर हैं, जबकि सतपाल खरवाल ने कहा कि उनके इलाके में बिल्डिंग विभाग ने नौ टावर लगे होने की बात कही है जबकि उन्होंने खुद सर्वेक्षण कर यह संख्या 19 पाई है। शौचालय पर शिखा राय ने कहा कि जिस शौचालय के रखरखाव के लिए गैर सरकारी संस्था एक लाख रुपए निगम को देती है उसी रखरखाव पर निगम का करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी परिणाम शून्य है।

नई दिल्ली में मंगलवार को संसद भवन में एक बच्चे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

जब 'नन्हे दोस्त' से मिले प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक 'बेहद खास दोस्त' मंगलवार को संसद भवन कार्यालय में उनसे मिलने आया।

मोदी ने एक बच्चे को हाथ में थामे हुए दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'आज एक बहुत खास दोस्त मुझसे मिलने संसद आया।' अधिकारियों ने बताया कि बच्चे के अभिभावक उस समूह का हिस्सा थे, जो प्रधानमंत्री से संसद भवन के उनके कार्यालय में मिलने आया था। एक तस्वीर में मोदी बच्चे को गोद में लिए हुए थे और बच्चा टेबल पर रखे चॉकलेट की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। दूसरी तस्वीर में मोदी बच्चे को थामे हुए नजर आए और वह छोटी थाली से खेल रहा था। इंस्टाग्राम पर मोदी के 2.53 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन वह किसी को फॉलो नहीं करते हैं।

जूनागढ़ निकाय चुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत

जूनागढ/दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

भाजपा ने मंगलवार को जूनागढ़ नगर निगम (जेएमसी) चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ निगम पर कब्जा बरकरार रखा। भाजपा को 60 सदस्यीय निगम में 51 सीटों पर जीत मिली जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत नसीब हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा विकास की राजनीति पर अपना भरोसा रखा है। उन्होंने कहा, 'गुजरात के लोगों ने विकास की राजनीति पर हमेशा अपना भरोसा बनाए रखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।'

जूनागढ़ नगर निगम की 56 सीटों पर 21 जुलाई को हुए चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए। भाजपा ने इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले सात सीटें ज्यादा जीती हैं। पिछले चुनाव में उसे 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) चार सीटों पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही।

निगम की कुल 60 सीटों में से 56 सीटों पर चुनाव हुआ जबकि तीन सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया। एक अन्य सीट पर भाजपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। राकांपा ने चार सीटों पर जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है।

कांग्रेस को इस चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा और वह 15 सीटों से सिर्फ एक सीट पर आ गई। कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर-4 पर सामान्य सीट से मंजुलाबेन पंसारा को जीत मिली है।

भाजपा की जीत से गदगद राज्य इकाई के अध्यक्ष जीतू वाघानी ने कहा, इस बड़ी जीत के लिए हम जूनागढ़ के लोगों के शुक्रगुजार हैं। कांग्रेस को एक ही सीट पर जीत मिली, जो दर्शाता है कि पार्टी लोगों की स्मृति से लुप्त हो रही है। जूनागढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व पर भरोसा जताया।

राष्ट्रीय चिह्न के दुरुपयोग पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे, 23 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने लेटरहेड और विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिह्न का दुरुपयोग करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस की एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि आरोपी लालमन पांडे ने अपने लेटरहेड व विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग कर खुद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का एक अधिकारी बताया। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग भारत का राष्ट्र चिह्न (अनुचित प्रयोग की मनाही) कानून 2005 के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है। किसी भी तरह का अनधिकृत प्रयोग कानून के तहत दंडनीय है।

प्रवक्ता ने बताया कि एनएचआरसी से मिली शिकायत के आधार पर शहर पुलिस ने जांच की और पाया कि पांडे ने राष्ट्रीय चिह्न मुद्रित फर्जी लेटरहेड व विजिटिंग कार्ड के जरिए खुद को सरकार के हिंदी परामर्श बोर्ड का सदस्य भी बताया। उन्होंने कहा- पांडे का दावा है कि नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में गुलाम अली खान ने उससे मुलाकात कर 22 जनवरी, 2019 को उसे एनएचआरसी का नियुक्ति पत्र और विजिटिंग कार्ड दिया जिसके बाद आरोपी यहां कल्याण कस्बे में मानवाधिकार संगठन का एक कार्यालय चलाने लगे।

नरसिंहपुर : बच्चा चोर समझ कर ग्रामीणों ने तीन लोगों को पीटा

नरसिंहपुर (मप्र), 23 जुलाई (भाषा)।

बच्चा चोर होने के संदेह में जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में स्थानीय निवासियों ने तीन लोगों की पिटाई कर दी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि उदयपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति को साईखेड़ा गांव में रविवार को ग्रामीणों ने पीट दिया। यह व्यक्ति गांव में घर के बाहर खेल रहे बच्चों से किसी ग्रामीण के बारे में पूछ रहा था। इस पर लोगों को संदेह हुआ कि वह बच्चों को उठाने वाला व्यक्ति है और फिर ग्रामीणों ने उसे पीट दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसको पुलिस को सौंप दिया।

तिवारी ने बताया कि एक अन्य घटना कुछ दिन पहले हुई, जिसमें गाडरवारा पुलिस थानाक्षेत्र के नंदनेर गांव में ग्रामीणों ने दो लोगों को बच्चा चोर समझ कर पीट दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित और ग्रामीण दोनों पक्षों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई कर रही है।

झारखंड में भाजपा नेता, पत्नी व बेटे को गोलियों से भूना

खूंटी, 23 जुलाई (भाषा)।

झारखंड के खूंटी जिले में अज्ञात लोगों ने भाजपा के एक नेता और उनके परिवार के दो सदस्यों को गोलियों से भून दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेता मागो मुंडा सोमवार रात साढ़े आठ बजे मुरहू थाना क्षेत्र के हेथगुहा गांव में अपने मकान के पास परिवार के साथ बैठे थे। इसी बीच अज्ञात लोगों ने आकर उन पर गोलियां चलाईं। उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद मुंडा, उनकी पत्नी लखमणि और उनके बेटे लिपराय की मौत हो गई।

मुंडा परिवार की रिश्तेदार एक महिला भी गोलियों से घायल हो गई और उसे रांची में राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान भेजा गया। मुंडा भाजपा की अनुसूचित जनजाति कार्यकारी समिति के सदस्य थे। खूंटी के पुलिस अधीक्षक आलोक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

एनआइए ने कश्मीर में कई जगहों पर मारे छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने मंगलवार को श्रीनगर और पुलवामा में सीमा पार से कारोबार के सिलसिले में कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। इस कारोबार के जरिए आतंकवादी समूह जम्मू कश्मीर में समस्या खड़ी करने के लिए धन भेजने का काम कर रहे थे।

एनआइए के अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यापारियों के यहां छापे मारे गए हैं, उनमें तनवीर वानी और उसके पिता गुलाम अहमद वानी उर्फ बर्दाना भी शामिल हैं। बर्दाना का बेटा तनवीर अहमद पूर्व अलगाववादी था। एनआइए ने उनकी श्रीनगर की पारिमपोरा फल मंडी वाली दुकान पर छापा मारा।तनवीर अहमद वानी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एलओसी (क्रॉस-लाइन ऑफ कंट्रोल) ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है। वानी के पुलवामा स्थित मकान को एनआइए ने सील कर दिया है। छापेमारी के दौरान एनआइए के साथ राज्य पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के जवान भी शामिल थे। ये छापे सबूत इकट्ठा करने के मकसद से सुबह मारे गए।

एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर वानी और उसके पिता का मकान सील

एनआइए ने एक बयान में पहले कहा था कि उसके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि भारत में पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह हो रहा है। कैलिफोर्निया बादाम के आयात के बहाने सीमा पार कारोबार के जरिए पाकिस्तान से भारत में हवाला कारोबार किया जा रहा था।

एनआइए ने कहा कि राज्य की नीति के तहत सीमा पार कारोबार व्यवस्था के जरिए तीसरे पक्ष के सामान के व्यापार करने पर प्रतिबंध है और ऐसा इस नीति का घोर उल्लंघन करके किया जा रहा था। ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे संकेत मिलता है कि इस धन का इस्तेमाल राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद की आग को हवा देने में हो रहा है।

मां ने दो महीने से बीमार बच्चे को चौथी मंजिल से फेंका, मौत

लखनऊ, 23 जुलाई (भाषा)।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर की चौथी मंजिल से मंगलवार को एक मां ने अपने बीमार नवजात शिशु को नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चे की तत्काल मौत हो गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के प्रवक्ता डॉ संदीप तिवारी ने बताया कि कुशीनगर जिले की महिला शांति को 26 मई को सात माह का लड़का पैदा हुआ था। चूंकि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसलिए वह बहुत ही कमजोर था और उसका वजन केवल 750 ग्राम था। इस बच्चे को ट्रॉमा सेंटर की चौथी मंजिल पर पीडियाट्रिक इमरजंसी विभाग में रखा गया था। करीब दो माह से बच्चा अस्पताल में भर्ती था और उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी स्थिति में बहुत धीमी गति से सुधार हो रहा था।

डॉ तिवारी ने बताया कि मंगलवार की सुबह मां शांति अपने बच्चे के साथ थी कि अचानक उसने बच्चे को उठा कर चौथी मंजिल पर स्थित वार्ड की खिड़की के बाहर फेंक दिया। बच्चे को चौथी मंजिल से फेंकने के कारण उसकी तत्काल मौत हो गई। चौंक कोतवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि मां शांति से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दो माह से बच्चे के इलाज के बाद भी ठीक न होने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी।

दलित किशोरी के अपहरण, बलात्कार का मामला दर्ज

बांदा (उप्र), 23 जुलाई (भाषा)।

बांदा जिले के तिंदवारी क्षेत्र में पुलिस ने एक दलित किशोरी के अपहरण के बाद उससे सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से मंगलवार को बताया कि पिछली 29 मई को तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 साल की एक किशोरी को मोटरसाइकिल सवार दो युवक बेहोशी की दवा देकर उठा ले गए।

महाराष्ट्र में तीन गोदामों में लगी आग, कोई हताहत नहीं

ठाणे, 23 जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक गांव में कम से कम तीन गोदामों में सोमवार देर रात आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

भिवंडी शहर के दापोड़ा गांव में स्थित रासायन के एक गोदाम में देर रात करीब 1.50 बजे आग लग गई जो जल्दी ही पास के दो और गोदामों में फैल गई।

संपत्ति के विवाद में महिला ने की खुदकुशी

सतना (मध्य प्रदेश), 23 जुलाई (भाषा)।

सतना जिले के गिंजारा गांव में संपत्ति विवाद को लेकर अगड़ी जाति के कुछ लोगों द्वारा अपशब्द कहने व मारपीट करने से व्यथित होकर 45 वर्षीय एक दलित महिला ने कथित तौर पर खुद को आग लगाकर सोमवार को खुदकुशी कर दी।

सतना जिले के पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि मृतका के बच्चों के बयान पर राधा अहिरवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अनंत ब्राह्मण और उसके दो भाइयों मनोज ब्राह्मण व सुलक्षण ब्राह्मण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, हमने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि राधा अहिरवार और इन आरोपियों की जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। पटवारी दीपिका बागरी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार सोमवार शाम को नागौद पुलिस थाने इलाके में एक सरकारी स्कूल के नजदीक इस जमीन की माप करने के लिए वह मौके पर आई थी, ताकि मामला सुलझाया जा सके।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank
(A Government of India undertaking)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with
www.iob.in

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अ-लेखापरीक्षित (समीक्षित) वित्तीय परिणाम

(रु.लाख में)

क्र. सं.	विवरण	30.06.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	5 00 648	5 32 671	21 83 758
2.	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर से पहले, अपवाद और/या असाधारण मद)	(32 966)	(1 26 857)	(5 96 054)
3.	कर से पहले अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदें)	(32 966)	(1 26 857)	(5 96 054)
4.	कर के बाद अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदें)	(34 208)	(91 944)	(3 73 788)
5.	अवधि के लिए कुल समेकित आय (कर के बाद) अवधि के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) और अन्य समेकित आय (कर के बाद)]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	इक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	9 14 165	4 89 077	9 14 165
7.	पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शायी गई आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के अलावा)			4 73 324
8.	प्रति शेयर लाभ (जारी और रोके गये परिचालनों के लिए) (प्रत्येक कर पर 10/-) (गैरवार्षिकीकृत)			
	1. मूल :	(0.37)	(1.18)	(6.83)
	2. घटाया गया	(0.37)	(1.18)	(6.83)

नोट:
1. उपर्युक्त जानकारी सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 स्टॉक एक्स्चेंजों के पास आज की तारीख तक दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्स्चेंजों के www.bseindia.com/www.nseindia.com वेबसाइटों के साथ-साथ बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर भी उपलब्ध है।
2. नए भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) वर्तमान में भारत में बैंकों पर लागू नहीं हैं।

स्थान : चेन्नै (अजय कुमार श्रीवास्तव) कार्यपालक निदेशक | (के स्वामिनाथन) कार्यपालक निदेशक | (कर्नम शेखर) प्रबंध निदेशक व सीईओ
दिनांक : 23.07.2019

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, प्रथम तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110125

सार्वजनिक सूचना

संजीव जैन

ममता जैन

कर्जदार : श्री संजीव जैन एवं श्रीमती ममता जैन, मैसर्स श्री बांके बिहारी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक
बकाया राशि : रू. 1192.09 लाख + 31-03-2013 की प्रभावी तिथि से ब्याज

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि श्री संजीव जैन एवं श्रीमती ममता जैन ने बैंक से रू. 2900.00 लाख का ऋण प्राप्त किया है तथा उसको चुकाने में की गई चूक के कारण खाता 31-03-2013 को एनपीए घोषित किया जा चुका है। बैंक द्वारा कर्जदार दिनांक 27-05-2014 को "साशय चूककर्ता" घोषित किया जा चुका है।

कर्जदार से रू. 1192.09 लाख की राशि उस पर 31-03-2013 की प्रभावी तिथि से भावी ब्याज तथा अन्य लागतों/राशियों सहित चुकाने की मांग की जाती है, जिसके लिए बैंक ने उसके विरूद्ध वसूली कार्यवाही आरंभ कर दी है।

जनहित में, यह सूचना दी जाती है कि बैंक द्वारा साशय चूककर्ता घोषित किए जाने के कारण, कर्जदार किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

तिथि : 22-07-2019, स्थान : नई दिल्ली — शाखा पदाधिकारी

द करुर वैस्य बैंक लि.
Karur Vysya Bank — Smart way to bank

मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, मेट्रो पिलर नं. 80 के सामने, पूसा रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005

संदर्भ: अधोलिखित को भेजी गई मै. वर्ल्डवाइड इन्टीग्रेटेड सॉल्यूशन्स प्रा.लि. की ऋणखाता में बकाये की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना 1) मै. वर्ल्डवाइड इन्टीग्रेटेड सॉल्यूशन्स प्रा.लि., पंजी. कार्यालय: ई-7बी, शंकर मार्ग, बाणी पार्क, कान्ति चंद रोड, जयपुर-302016, 2) श्री मूल चंद शर्मा, पुत्र श्री चिरंजी लाल शर्मा, 3) श्री विकास साबू, पुत्र श्री बृज मोहन साबू, बी-10, अपोलो अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर नं. 3, विद्याधर नगर,जयपुर-302016 तथा 4) श्रीमती सरोज शर्मा, पत्नी श्री मूल चंद शर्मा, दोनों 2 एवं 4 निवासी: 113 ए, भावती नगर, कर्तापुर, जयपुर- 302018

जैसा कि आप ने प्रतिभूत क्रेडीटर बैंक को उपरोक्त ऋण खाता में ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है। तथा यह खाता 28.01.2019 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंक ने 10.7.2019 को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 29,61,571.00 (रुपये उन्नतीस लाख इकसठ हजार पांच सौ इकहत्तर मात्र) की बकाया राशि के पुनर्भुगतान का निर्देश दिया था। सूचना की प्रति ई-7बी, शंकर मार्ग, वाणी पार्क, कान्ति चन्द रोड, जयपुर-302016 के परिसरों में चिपकाई गई है। जैसा कि पंजी. डाक/ कूरियर से हमारे द्वारा भेजी गई सूचना सर्व नहीं हो सकी। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि बैंक में आएं तथा बकाया ऋणों, बैंक के पास चार्ज्ड प्रतिभूतियों आदि का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिये अपने हित में सूचना की प्रति प्राप्त करें।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 01.06.2019 से भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ ऊपर दर्शाई गई राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडीटर सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक के पास नीचे वर्णित हाइपोथेकेट/ गिरवी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्त्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा।

ऋणधारकों तथा गारन्टरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

तिथि: 22.7.2019 — मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: जयपुर — द करुर वैस्य बैंक लिमिटेड

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

आवासीय प्लॉट्स नं. 493, 494 तथा 176, गोकुल रेजीडेन्सी स्कीम, ग्राम जयसिंहपुरा, नेवता रोड, सांगनेर, जयपुर

आवेदन की सूचना

राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण मुख्य खंडपीठ, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी आवेदन सं. (सीएए) 90/ पीबी/ 2019 जो संबंधित है कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)- 06/ पी बी/ 2019 से
तथा
कम्पनी आवेदन सं. सीए (सीएए)- 36/ 230 (एचडीबी)/ 2019
तथा
कंपनी आवेदन सं. सीए-153 (पीबी)/ 2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
रीन क्लाउड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के साथ हिटाची वन्तरा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों के समामेलन की योजना के मामले में
तथा
मामले में:

रीन क्लाउड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 3रा तल, मेलंगे टावर्स, यूनिट नं. 3 बी, माधापुर गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500081 में है।

- आवेदक कम्पनी 1/ अंतरक कम्पनी

तथा

हिटाची वन्तरा इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 6 ए तथा यूनिट नं. 7, 12वां तल, ईरोस कॉर्पोरेट टावर्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है।

- आवेदक कम्पनी 2/ अंतरक कम्पनी

आवेदन की सूचना

ऊपर नामित आवेदक कम्पनियों तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं क्रेडीटरों के बीच समामेलन की योजना की स्वीकृति पर आदेश के लिये 13 जून, 2019 को ऊपर वर्णित आवेदक कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एक संयुक्त आवेदन दाखिल किया गया था तथा उक्त संयुक्त आवेदन पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मुख्य खंडपीठ, नई दिल्ली के समक्ष 27 अगस्त, 2019 को सुनवाई निर्धारित की गई है।

उक्त संयुक्त आवेदन का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक व्यक्ति अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं या अपने अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना आवेदक के अधिवक्ता के पास इस तरह से भेजें ताकि वह आवेदन की सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व आवेदक के अधिवक्ता के पास पहुंच जाये। यदि वे आवेदन का विरोध करना चाहते हों तो उस सूचना के साथ विरोध के कारणों अथवा अपने शपथ-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

आज, 22 जुलाई, 2019 को
हस्ता./-
एजेडबी एंड पार्टनर्स, आवेदक कम्पनियों के एडवोकेट्स,
पता: श्री वरुण लाम्बा, एजेडबी एंड पार्टनर्स,
प्लॉट नं. ए-8, सेक्टर-4, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
टेली: + 91 120417 9999, फैक्स: + 91 120 417 9900

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016. फोन: 011-49857894
टेलीफैक्स: 011-49857894, ईमेल: engg.cwhc@cewacor.nic.in

सं: केभंनि/नि.का.-इंजी./प्रेस नोट/2019-20/2211 — दिनांक: 22.07.2019

ई-टेंडर आमंत्रण प्रेस सूचना

केन्द्रीय भण्डारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित करता है:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	टेंडर ऑनलाइन भेजने तथा खोलने की अंतिम तिथि
1.	निगमित कार्यालय, हौजखास, नई दिल्ली तथा गेस्ट हाउस, ए-5, एनडीएसई-II एवं 311, एजीवीसी, नई दिल्ली में मरम्मत एवं रख-रखाव के सिविल कार्य हेतु वार्षिक रख-रखाव का ठेका।	23.04	20.08.2019

अनुबंध की शर्तें और ई-टेंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत टेंडर सूचना निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टेंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app. से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस टेंडर संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र / परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट www.cewacor.nic.in या ई-टेंडर वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC अथवा सीपीपी पोर्टल http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP) पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। — हस्ता./- मुख्य अभियंता

नियुक्तियां

Rajkiya Engineering College
Agra Road, Mainpuri- 205119
Mob. + 917081066665 e-mail: director.gecm@gmail.com Website: recmainpuri.in

APPOINTMENTS

ADVERTISEMENT No. 05/Advt./REC/MAINPURI/2019 Dated: 20.07.2019
Applications are invited for the Post of Director, Rajkiya Engineering College Mainpuri (U.P.) in the pay band of Rs. 37400-67000 grade pay Rs. 10000/- (Level-14) Special allowance Rs. 3000 per month. The appointment will be on contract basis for a period of 3 Years.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE: The Qualification and Experience for the post shall be as per AICTE Regulations notified on dated 05 March, 2010 (as amended from time to time by AICTE). For details please visit the College website: **www.recmainpuri.in**

AGE: The applicant should not be more than 57 years of age on the date of Advertisement. The eligible candidate may submit their application on plain paper giving their complete BIO-DATA with attested copies of testimonials, certificate of age, administrative experience and research work etc. Application of the candidates in service will be considered only if it is received through proper channel. However, such candidates may send an advance copy of their application directly within prescribed time. The complete application along with documents should be sent to **Secretary, Technical Education Room No. 19, 3rd floor, Sachiv Bhawan, U.P. Secretariat, Lucknow, Pin 226001 lated by 14 August, 2019.** The name of the post should be clearly written on the envelope containing the application. **Incomplete applications and applications received after the due date i.e. 14 August, 2019 will be summarily rejected.**

(Member Secretary)
Board of Governors

BHARAT ELECTRONICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence)
(CIN: L32309KA1954GOI000787)

Bharat Electronics Ltd., a Navratna Company and India's premier Professional Electronics Company requires Electrical Engineer on **FIXED TERM BASIS** for a period of **5 (FIVE) YEARS** for its Panchkula Unit.

Sl. No.	Post	Qualification/ Experience	Upper Age Limit on 01.07.2019	Reser--vation	No. of Post	Grade & Pay Scale
1	Senior Engineer	B.E/B.Tech/AMIE/ GIETE in Electrical/ Electrical & Electronics discipline from AICTE Approved college or a recognized University in first class with 4-5 years of relevant (post qualification)experience. (Teaching experience will not be considered)	32 Years	UR	1	E- III Rs 50,000-3% - 1,60,000 + Admissible allowances

Interested candidates may visit our web site www.bel-india.in to download the detailed advertisement, application format and instructions to apply. Applications should be submitted only in the prescribed format on or **before 07.08.2019.**

जनसत्ता

ट्रंप का झूठ

कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे और गैर-जिम्मेदाराना बयान ने भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने वाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में यह कह डाला कि भारत ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने को कहा है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मांगने अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे इमरान खान ने ट्रंप से बातचीत में कश्मीर का मुद्दा उठाया और इसी प्रसंग में यह बात निकली। ट्रंप का कहना है कि दो हफ्ते पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिला था और उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या आप कश्मीर मामले में मध्यस्थता करेंगे। लेकिन भारत ने ट्रंप के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसका खंडन किया और दो-टूक कहा कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात नहीं की। भारत ने जिस तरह से ट्रंप के बयान का खंडन करते हुए उसे झूठा करार दिया है, उससे साफ है कि कश्मीर को लेकर ट्रंप ने सरासर मनगढ़त बात की है। ट्रंप की इस हरकत से भारत में हर कोई सकते में है। भारत की संसद से लेकर सोशल मीडिया तक में मामला गरमाया है और पूछा जा रहा है कि जब भारत ने ऐसी कोई बात की ही नहीं तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कैसे इतनी बड़ी बात कह डाली और वह भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में! सवाल है कि क्या ट्रंप ने झूठ बोला है? आखिर इस झूठे बयान के पीछे ट्रंप की मंशा क्या है?

दरअसल ट्रंप जिस फितरत के शख्स हैं, उसमें उनके लिए इस तरह की बातें करना कोई नया नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश के भीतर और बाहर और वैश्विक मंचों से भी कई बार जिस तरह की और जिस अंदाज में बातें की हैं, ऊटपटांग और विवादित बयान दिए हैं, वे उनके हल्के और विवादास्पद व्यक्तित्व का परिचायक हैं। हल्की-फुल्की और गैरजिम्मेदाराना बातें करना उनके मिजाज में हैं। अपने विवादित बयानों और व्यवहार से वे कई बार असहज स्थितियां पैदा करते रहे हैं। ऐसे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ट्रंप ने झूठ बोला होगा। लेकिन मामला गंभीर इसलिए है कि भारत की राजनीति में इससे तूफान खड़ा हो गया है। इससे न केवल घरेलू मोर्चे पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत मुश्किल में पड़ सकता है। विपक्ष हकीकत जानता चाह रहा है। संसद में भारत के विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ऐसी कोई बात ही नहीं की।

ट्रंप के बयान से देश-दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत कश्मीर के मुद्दे पर अपनी नीति में बदलाव लाने जा रहा है। जबकि कश्मीर को लेकर भारत की नीति शुरू से ही स्पष्ट रही है। भारत हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर का मसला द्विपक्षीय है और इसे शिमला समझौते के तहत ही सुलझाया जाएगा। भारत ने आज तक किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात नहीं की है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ही वैश्विक मंचों से कश्मीर का राग अलापता रहा है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात करता रहा है। भारत का रुख साफ है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सीमापार आतंकवाद बंद होने पर और शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणापत्र के अंतर्गत ही होगी। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा-माना जाता है। अगर एक जिम्मेदार नेता इस तरह के झूठ से सुर्खियां बटोरे और विवादों को जन्म दे तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है!

अंधविश्वास की त्रासदी

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिस दिन विज्ञान की दुनिया में 'चंद्रयान-2' के कामयाब प्रक्षेपण के रूप में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, उसी दौरान झारखंड से अंधविश्वास की वजह से चार लोगों को बर्बरता से मार डालने की परेशान करने वाली खबर आई। राज्य में गुमला जिले के सिसकारी गांव में दो महिलाओं सहित चार बुजुर्ग आदिवासियों को लोगों ने इसलिए पीट-पीट कर मार डाला कि किसी तांत्रिक या ओझा ने उन्हें 'डायन' बता दिया। इसके अलावा, पिछले हफ्ते झारखंड के ही गिरिडीह में दो महिलाओं सहित तीन लोगों को मानव मल खाने पर मजबूर किया गया। दोनों ही घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे मामलों के तूल पकड़ने के बाद इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी होती रही हैं। सवाल है कि उनका हासिल क्या है? आमतौर पर ऐसी हर घटना के बाद कानून अपना काम करता है और आरोपियों को गिरफ्तार करके कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है। मुश्किल यह है कि सोच-समझ और मानसिकता में गहरे पैठी जड़ताओं से जुड़ी इस समस्या की मूल वजहों को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है।

झारखंड में हुई ये घटनाएं कोई नई नहीं हैं। 'डायन' होने के अंधविश्वास की वजह से इस तरह किसी को मार डाले जाने या मानव मल खिलाने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। इस पर काबू पाने के मकसद से सख्त कानूनी प्रावधान भी किए गए, लेकिन आज भी अगर यह अंधविश्वास बदस्तूर कायम है तो यह न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों की नाकामी है, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि विकास की चमकती तस्वीर में सामाजिक जड़ताओं की जंजीरों को तोड़ने के मुद्दे किस तरह दरकिनार हैं। सिसकारी गांव में कुछ लोगों की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। लोगों को लगा कि गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है और इस मुद्दे पर बाकायदा एक सभा या पंचायत की बैठक की गई और किसी ओझा से संपर्क किया गया। फिर उसी की सलाह के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि गांव वालों ने चार लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी। गिरिडीह में भी तीन लोगों को मानव मल खिलाने के पीछे ठीक इसी तरह का अंधविश्वास है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के अंधविश्वासों के बने रहने के पीछे मुख्य वजह अशिक्षा और गरीबी है। अभाव के बीच अशिक्षा की हालत में लोग इतना भी समझ पाने में सक्षम नहीं होते कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। कई स्तर पर आधुनिक तकनीकी दूरदराज के इलाके में पहुंच जाती है, बदहाल स्कूलों में कभी किताब की शक्ल में शायद विज्ञान भी पढ़ा दिया जाता हो, लेकिन चेतना के स्तर पर लोगों की सोच में बदलाव लाने और वैज्ञानिक दृष्टि के विकास की कोई कोशिश नहीं होती। यह बेवजह नहीं है कि न केवल झारखंड या दूरदराज के इलाकों, बल्कि शहरों में भी 'डायन' या भूत-प्रेत जैसी अंधविश्वास पर आधारित धारणाएं लोगों के बीच जड़ें जमाए रहती हैं। यह वैज्ञानिक सोच के अभाव का ही नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर ओझा-तांत्रिकों से लेकर बाबाओं का जाल फैला हुआ है और अंधविश्वास समाज के कमजोर तबकों के लिए त्रासदी साबित हो रहा है। सवाल है कि लंबे समय से इसके एक गंभीर समस्या के रूप में कायम रहने के बावजूद सरकार को इस पर काबू पाने के लिए ठोस और कुछ साहसपूर्ण कदम उठाने की जरूरत क्या इसलिए महसूस नहीं होती कि इन अंधविश्वासों की मार सहने और मरने वाले लोग समाज के बेहद कमजोर तबके से आते हैं?

कल्पमेधा

मूर्ख आदमी हमेशा उस पर श्रद्धा रखता है,
जिसे वह समझ नहीं सकता।
- सेजारे लोमब्रोसो

खोज की राह पर चंद्रयान

अभिषेक कुमार सिंह

अगर चांद पर खनिज और भरपूर पानी मिलता है तो वहां न सिर्फ इंसानी बस्तियां बसाने की संभावनाओं को एक ठोस आधार मिल जाएगा, बल्कि इससे चांद ही नहीं बल्कि पृथ्वी के निर्माण के नए रहस्यों का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भविष्य में मंगल आदि ग्रहों को भेजे जाने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए संसाधन मुहैया कराने और पड़ाव के रूप में चंद्रमा का इस्तेमाल हो सकता है।

दुनिया में जब भी कोई देश चांद के किसी नए मिशन (मून मिशन) की सूचना देता है, तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि आखिर चंद्रमा में अब ऐसा क्या बचा है, जिसे जानना जरूरी है और जिससे मानव सभ्यता के विकास में कोई मदद मिलेगी। इधर जब चंद्रमा पर इंसान के पदार्पण के पचास साल पूरे हुए तो एक अनोखा संयोग यह बना कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने अपना दूसरा चंद्रयान चांद की ओर सफलतापूर्वक रवाना कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 की मदद से प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान-2 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा चुका है और अगले अड़तालीस दिनों में अपने परिक्रमा पथ पर बढ़ते हुए यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। चंद्रयान-2 दुनिया में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर उतारेगा और एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के चौदह दिन तक वहां सक्रिय रह कर तमाम खोजबीन करेगा। इसके अलावा चंद्रयान-2 (यानी उसका ऑर्बिटर) एक साल तक चांद की परिक्रमा करते हुए वह सारा जरूरी डाटा जमा करेगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष मिशनों की राह तय होगी और पता चलेगा कि दुनिया में अंतरिक्ष अनुसंधानों के नए अभियानों को अब किस दिशा में मोड़ा जाना है।

यह किसने सोचा था कि आज से करीब सैंतालीस साल पहले यानी 1972 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी- नासा के अपोलो अभियानों की शृंखला एक बार खत्म होने के बाद दोबारा चंद्रमा को खंगालने की कोई पहलकदमी होगी। खासतौर से चांद की बनावट और उसके वातावरण से जुड़े रहस्यों की थाह लेने के लिए ऐसी कोशिशें फिर कभी होंगी- इसका अनुमान तक नहीं लगाया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में चंद्रमा भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों के अंतरिक्ष कार्यक्रम में फिर से शामिल हो गया है। नासा भी 2030 तक चांद पर एक बार फिर इंसान को उतारने और वहां इंसानी बस्तियों से लेकर दूरगामी अंतरिक्ष अभियानों के पड़ाव के रूप में चंद्रमा के इस्तेमाल के बारे में सोचने लगा है। भारत-चीन जैसे देश अपने चंद्र अभियानों की बदौलत अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। चीन तो चंद्रमा पर दो मिशन उतार चुका है। चीन ने 2012 में अपना यान चांग-ई3 चंद्रमा पर भेजा था जो 1975 के सोवियत संघ के लूना-24 के बाद चंद्रमा पर उतरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। यही नहीं, इस साल यानी 2019 के आरंभ में भी चीन अपना यान चेंग-4 चंद्रमा पर उतार चुका है। यह यान अपने साथ एक मून रोवर भी लेकर गया है तो चांद के डार्क (अंधेरे) या फार-साइट कहलाने वाले हिस्से की सतह की संरचना और वहां मौजूद खनिजों का पता लगा रहा है। साल के अंत तक चीन की योजना चंद्रमा पर ऐसा ही एक और मिशन भेजने की है। इस बीच इजरायल ने भी 22 फरवरी 2019 को अपना चंद्रयान- बेरेशीट रवाना किया था जो 11 अप्रैल 2019 को चंद्रमा पर उतरते वक्त नष्ट हो गया था। जापान ने भी 14 सितंबर 2007 को अपना पहला लूनर ऑर्बिटर सेलेने-1 छोड़ा था और अब 2020 में पहला मून लैंडर और मून रोवर चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। जापान का ज्यादा फोकस चंद्रमा पर इसकी संभावना तलाश करना है कि कैसे चांद लंबे स्पेस मिशनों के लिए एक पड़ाव बन सकता है और कैसे वहां इंसानी रिहाइश की कोई गुंजाइश बन सकती है ताकि वहां लंबी अवधि वाले वैज्ञानिक प्रयोग-परीक्षण किए जा सकें और चांद के खनिजों के इस्तेमाल की राह निकाली जा सके।

अगर पूछा जाए कि आखिर चंद्रमा का ऐसा कौन सा रहस्य बाकी है जो अब तक के मिशनों से खंगाला नहीं जा सका है। इस सवाल के कुछ जवाब इसरो द्वारा छोड़े गए चंद्रयान-2 से मिलने की उम्मीद है। भारत 2008 में चंद्रयान-1 भेज चुका है, लेकिन वह यान चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा था। चंद्रयान-2 में एक लैंडर (विक्रम) और एक रोवर (प्रज्ञान) हैं जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरेंगे और जानकारियां जमा करेंगे। चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर और रोवर के माध्यम से इसरो के वैज्ञानिक वहां पानी की मौजूदगी, चट्टानों और मिट्टी की संरचना, चंद्रमा के आयनमंडल (आयनोस्फीयर) और चंद्रमा की जमीन की भीतरी पड़ताल से नए रहस्यों पर रोशनी पड़ने की

उम्मीद लगा रहे हैं। इन जानकारियों की जरूरत इसलिए है क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक के चंद्र अभियानों से ऐसी जानकारियां विस्तार से नहीं मिल सकी हैं, जबकि सौरमंडल के अन्य ग्रहों की बनावट को समझने के लिए ऐसी जानकारियों का अत्यधिक महत्त्व है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की बनावट पृथ्वी से काफी अलग है और यह बड़े एस्टेरॉयड (क्षुद्र ग्रहों) और बुध जैसे ग्रहों की संरचना के ज्यादा करीब है। निश्चित तौर पर जब चंद्रमा से ये सारी जानकारियां मिलेंगी, तो ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों पर से परदा उठ पाने में भी आसानी होगी।

यह पहला मौका है जब कोई यान पहली बार चंद्रमा के जटिल हिस्से में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चांद का दक्षिण ध्रुव कई मायनों में भावी चंद्र मिशनों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। इसकी पहली वजह तो यह कि हमेशा छाया में रहने वाले इस हिस्से के बेहद ठंडे क्रेटर (गड्ढों) में जमी हुई बर्फ के भंडार हो सकते हैं जो पानी का बड़ा स्रोत होंगे। यहां जीवाश्मों का खजाना मिल सकता है। यहां हीलियम-3 जैसा बहुमूल्य खनिज मिलने की भी उम्मीद है। एक टन हीलियम की मौजूदा कीमत करीब पांच अरब डॉलर हो सकती है और अंदाजा है कि चंद्रमा से ढाई लाख टन हीलियम-3 पृथ्वी तक ढोकर लाया जा सकता है। यह ऐसी अकूत संपदा होगी, जिसकी कीमत कई लाख करोड़ डॉलर मानी जा रही है। इसरो ने दक्षिणी ध्रुव की चट्टानों में लोहे के अलावा मैग्नीशियम, कैल्सियम आदि की मौजूदगी का भी अंदाजा लगाया है। अनुमान से आशय यह है कि दक्षिणी ध्रुव की अभी तक कायदे की पड़ताल चंद्रमा की परिक्रमा कर चुके पहले के चंद्र अभियानों से नहीं हो पाई है, हालांकि इसके संकेत उन्होंने अवश्य दिए हैं। यह खोजबीन बिना वहां रोवर उतारे मुमकिन नहीं है, जिसकी पहली कोशिश चंद्रयान-2 अपने रोवर- प्रज्ञान की मार्फत करेगा।

अगर चांद पर खनिज और भरपूर पानी मिलता है तो वहां न सिर्फ इंसानी बस्तियां बसाने की संभावनाओं को एक ठोस आधार मिल जाएगा, बल्कि इससे चांद ही नहीं बल्कि पृथ्वी के निर्माण के नए रहस्यों का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भविष्य में मंगल आदि ग्रहों को भेजे जाने वाले अंतरिक्ष अभियानों के लिए संसाधन मुहैया कराने और पड़ाव के रूप में चंद्रमा का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ की चंद्रमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आगे चल कर चंद्रमा को दुर्लभ अंतरिक्षीय सूचनाओं के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।

यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसानी पहुंच का दायरा वायजर-पायनियर जैसे यानों की मार्फत भले ही चांद से बाहर चला गया हो, पर अपने इस सबसे नजदीकी अंतरिक्षीय पिंड को अच्छी तरह जाने बगैर ब्रह्मांड के दूसरे ठौर-ठिकानों तक होने वाली पहुंच कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। इसलिए मौजूदा और भावी मून मिशन अगर चंद्रमा से जुड़ी कुछ गुत्थियां सुलझाने में हमारी मदद करते हैं तभी मानव सभ्यता की और उन्नति संभव है।

भूल से आगे

रजनीश जैन

यह आमतौर पर कहा जाता है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। इस कहावत में गलतियों के लिए माफ कर देने का भाव छिपा हुआ है। एलेक्जेंडर पोप के एक लेख में इस कहावत का पूरा भावार्थ स्पष्ट किया गया है कि गलतियों के बावजूद मनुष्य को क्षमा कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जख्म बन जाया करती है। उन्हें चाह कर भी माफ नहीं किया जा सकता।

बीसवीं सदी मनुष्य के मशीनी विकास को रफ्तार देने वाली सदी मानी जाती है। इस सदी में मानव जाति ने अकल्पनीय आविष्कारों की मदद से मनुष्य के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है। इस सदी ने मशीनों पर मनुष्य की निर्भरता को बढ़ावा दिया। नतीजतन, मानवीय भूलों की वजह से हुए मशीनी हादसों में किसी प्राकृतिक प्रकोप के बनिस्बत कहीं अधिक लोग हताहत हुए। बीसवीं सदी की शुरुआत में ही 'टाइटेनिक' जहाज के डूब जाने की वजह से एक साथ पंद्रह सौ से ज्यादा लोग काल के ग्रास बन गए थे। काफी दिनों बाद जांच से यह निष्कर्ष सामने आया कि जहाज को जिस स्टील की चद्दरों से ढका गया था, उनमें लगे रिबेट निहायत ही हल्के किस्म के थे।

इस दुर्घटना के बाद अमेरिका के प्रकाशन उद्योग में जबर्दस्त उछाल आया। इस हादसे पर सैकड़ों किताबें लिखी गईं, जिसमें हरेक लेखक ने इस ढंग से वर्णन किया, मानो वह इस दुर्घटना का प्रत्यक्ष गवाह रहा था। हादसे के पचासी बरस बाद जेम्स कैमरून ने इस दुर्घटना में प्रेम कहानी मिला कर एक प्रभावशाली फिल्म 'टाइटेनिक' (1997) का निर्माण किया।

दुनिया मेरे आगे

जिम्मेदार लोगों की लापरवाही और शीर्ष पर बैठे प्रभावशाली लोगों की लोलुपता के चलते घटित हुए हादसे में भोपाल गैस त्रासदी ऐसा हादसा है, जिसने दुनिया को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति बरती जाने वाली ढिलाई से अवगत कराया था। यह मानवजनित हादसा था, जिसके निशान भोपाल की मौजूदा पीढ़ी पर आज भी दिखाई दे रहे हैं। इस दुर्घटना पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी हैं। एक उल्लेखनीय फिल्म 'ए प्रेयर फॉर रेन' (2014) है, जिसमें एक रिक्शा चालक के नजरिए से पूरे घटनाक्रम को देखा गया है। 'भोपाल एक्सप्रेस'(1999) भी प्रभावशाली फिल्म थी, जिसमें एक नवदंपति को केंद्र में रख कर हादसे को दर्शाया गया था। वास्तविकता को एकदम नजदीक से टटोलती बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'वन नाइट इन भोपाल' (2004) हरेक पीड़ित के हाल बयान करती है।

भोपाल हादसे के महज दो बरस बाद ही दो मानवीय गलतियों से उपजे हादसों ने विश्व की दोनों ही महशक्तियों रूस और अमेरिका को अंदर तक हिला दिया था। 1986 की गरमी में अविभाजित रूस के प्रिप्याट शहर से सटे चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुए विस्फोट ने पूरी मानव जाति को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था। बाद की जांच में जाहिर हुआ कि संयंत्र के सुपरवाइजर अपने पदोन्नति के लिए किसी को बताए बिना कुछ टेस्ट कर रहे थे।

इस तरह के हादसों से निपटने में सभी देशों की सरकारें एक ही नीति अपनाती हैं- हादसों को छिपाना। सोवियत सरकार ने भी यही किया था। पांच लाख की आबादी वाला प्रिप्याट आज भुतहा शहर हो गया है, लेकिन सरकारी आंकड़े आज भी महज इकतीस मौत पर अटके हुए हैं। हाल ही में इस हादसे के एक हफ्ते के घटनाक्रम को केंद्र में रख कर डॉक्यू-ड्रामा 'चेर्नोबिल' का प्रसारण एचबीओ टेलीविजन पर हुआ है। पांच किस्तों में प्रसारित इस टीवी शो ने तत्कालीन सोवियत रूस के आम जीवन, साम्यवादी पार्टी की कार्यशैली और गुप्तचर संस्था केजीबी की जीवन के हर क्षेत्र में घुसपैठ को परत-दर-परत उजागर किया है। इस हादसे पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'द बैटल ऑफ चेर्नोबिल' सबसे विश्वसनीय मानी जाती है।

1986 की सर्दी के मौसम में अमेरिका का स्पेस शटल चैलेंजर उड़ान के महज तिहत्तर सेकेंड बाद ही आकाश में फट गया। इस घटना में सातों अंतरिक्ष यात्री मारे गए, क्योंकि उनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सोचा गया था। अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' के लिए यह हादसा एक काला अध्याय है। इस घटना में मानवीय भूल का पक्ष यह था कि ठंडे तापमान के आंकड़े नहीं जुटाए गए थे, लिहाजा शून्य से नीचे तापमान में उड़ान भरने से उत्पन्न समस्याओं पर कंप्यूटर गौर नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप करोड़ों डॉलर और कीमती जिंदगियां पल में खाक हो गई। 1990 और 2013 में इस विषय पर दो काल्पनिक फिल्में बन चुकी हैं। नासा ने इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता को दर्शाने के लिए 'द चैलेंजर डिजास्टर' (2019) को तकनीकी और तथ्यात्मक मदद उपलब्ध कराई है।

जब तक मनुष्य है, तब तक उससे गलतियां होती रहेंगी। गलतियों से सीख कर ही मानव जाति अगली पीढ़ी के लिए बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन अफसोस कि कई बार बड़े हादसे के जरूरी ब्योरे और उसमें हुई गलतियां छिपाई जाती हैं और इस तरह अगले हादसे की जमीन तैयार की जाती है।

चांद के पार

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने चांद के पार जाने की कल्पना को सच सच कर दिखाया। सोमवार को इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया जब जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान-2 ने श्री हरिकोटा से उड़न भरी और चंद्रयान को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया। तमाम तरह की बाधाओं को तोड़ते हुए हर बार कामयाबी की नई कहानी लिखना इसरो की पुरानी फितरत रही है। इस रॉकेट में वही क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल हुआ है जिसकी तकनीक भारत को देने पर अमेरिका ने कई साल पहले पाबंदी लगा दी थी। इतना ही नहीं जूसरे देशों को भी उसने भारत को यह तकनीक देने से रोक दिया था। लेकिन भारत ने अपना क्रायोजनिक इंजन खुद विकसित कर लिया और अब इस इंजन की तीसरी पीढ़ी के रॉकेट को तैयार कर उसके प्रक्षेपण में भी सफलता हासिल कर ली है। आज चंद्रयान-2 मिशन में ज्यादातर स्वदेशी तकनीक का ही इस्तेमाल हुआ है। इससे हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। चंद्रयान-2 का लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है और इस हिस्से को धरती से भी नहीं देखा जा सकता। इसरो का यह प्रयास बताता है कि अंतरिक्ष की दुनिया में अभी और झंडे गाढ़े जाने हैं। चंद्र मिशन के लिए हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं।

● *संस्कृति चौधरी, सहरसा, बिहार*

सूचनाओं पर लगाम

सरकार ने जिस आनन-फानन में लोकसभा में बिना उचित बहस किए आरटीआइ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, वह काफी चिंताजनक है। सूचना का अधिकार देने वाले इस कानून से जनप्रतिनिधियों की दुश्मनी कोई नई नहीं है। इस बिल के पास होने के छह महीने के भीतर ही इसमें संशोधन करने की कोशिश की गई थी, किंतु भारी विरोध के कारण इसे टाल दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने किसी की नहीं सुनने की ठान ली है। संशोधन के अनुसार मूल विधेयक के 13,16 और 27 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद केंद्र और राज्य स्तरीय सूचना आयोग चुनाव आयोग की जगह अब केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा। अब सूचना आयोग में काम करने वालों के वेतन और अवधि का ख्याल भी सरकार रखेगी। और तो और इस आयोग में भर्ती भी सरकार ही करेगी।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

इन संशोधनों ने कहीं न कहीं सूचना के अधिकार बिल को अपंग कर दिया है जिसके बाद लोग अपने प्रतिनिधियों के बारे में भी खुल कर नहीं जान पाएंगे।

● *आदित्य झा, सीतामढ़ी, बिहार*

कुरीतियों की मार

झारखंड के गुमला जिले के सिसकारी गांव में हुई चार बुजुर्ग आदिवासियों की हत्या किसी भी पढ़े-लिखे और सभ्य कहे जाने वाले समाज के लिए शर्म की बात है। आज सूचना-तकनीक और ज्ञान-विज्ञान से जुड़ने के बावजूद हम जादू-टोने-टोटके पर जीवन जी रहे हैं, जो किसी भी शिक्षित समाज के लिए चिंता का विषय है। हमारे देश में आज भी ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जो शिक्षा से दूर होने के साथ सामाजिक कुरीतियों से अभिशप्त हैं। इसका खमियाजा समाज के कमजोर वर्गों को भुगतना पड़ता हैं जैसा कि सिसकारी गांव में घटित हुआ। जादू-टोनों का जन समुदाय में प्रचलित होना इस बात का जीवंत उदाहरण है कि निरंतर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए भी हम वास्तविक शिक्षा से दूर हैं।

स्थितियां कुछ भी हो, ऐसे कृत्य को किसी भी तरह से प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए और दोषियों को जल्द ही कठोर सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेने का हक नहीं। पंचायत के नाम पर कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले आज भी समाज के पिछड़े और कमजोर लोगों पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों को नसीहत देना बहुत जरूरी है जिससे आने वाले समय में ऐसा कुकृत्य करने वालों को रोका जा सके। साथ ही, जो विकास की धारा में ज्ञान-विज्ञान और शिक्षा में पीछे छूट गए हैं उन्हें शिक्षित कर मुख्यधारा में शामिल करने की आवश्यकता है। आज भी आदिवासी समुदाय देश की मुख्यधारा से बाहर हैं। इसके लिए सरकार, निजी संस्थाओं और शिक्षितों को आगे आकर व्यापक जन-आंदोलन छेड़ना पड़ेगा जिससे पिछड़े आदिवासी समुदायों चेतना लाई जा सके। संदेह के कारण हो रही हत्याओं में बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है जो देश की कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान है। देश और समाज को पीछे ले जाने वाली एसी घटनाओं को रोकने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े और सजा दिलवाए।

● *धर्मेंद्र प्रताप सिंह, कासरगोड, केरल*

साइबर खतरा

एक तरफ देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ युवाओं की एक बड़ी संख्या साइबर लत का शिकार हो रही है। किशोर और नौजवान आबादी का बड़ा हिस्सा इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जाल में बुरी तरह उलझ कर रह गया है। यह संकट सिर्फ भारत ही नही, बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि युवाओं में बेरोजगारी सहित देश की वास्तविक समस्याओं के बारे में सोचने-समझने की क्षमता और प्रवृत्ति ही खत्म हो गई है। मशहूर लेखक निकोलस कार ने मन-मस्तिष्क पर इंटरनेट के प्रभाव पर अपनी चर्चित पुस्तक 'द शैलोज' में कहा है कि इंटरनेट हमें सनकी बनाता है, हमें तनावग्रस्त करता है, हमें उस ओर ले जाता है जहां हम इस पर ही निर्भर हो जाएं। भारत में बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध डेटा भी नोजवानों को साइबर लत की ओर धकेलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

● *सोनू कुमार सोनी, बेतिया*

बेकाबू जुबान

कई बार राजनेता अपनी संयमित वाणी से तो, कई नेता अपनी टीकी-टिप्पणियों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने हाल में फिर ऐसी बात कह डाली जिससे विवाद खड़ा हो गया है। ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ है। ऐसा करके वे जनता के बीच खुद का ही मखौल ही उड़वा रही हैं। ऐसी बयानबाजी से पार्टी की छवि को भी धक्का लगता है। स्वच्छ भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना सरकार का ही उपहास करने जैसा है।

● *विभाष जैन, पारा, मप्र*

आस्ट्रेलिया में दिखी चमकीली रोशनी, विशेषज्ञ ने बताया चंद्रयान-2

मेलबर्न, 23 जुलाई (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में सैंकड़ो लोगों ने आसमान में चमकीली रोशनी देखी। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि हो सकता है कि वह भारत का चंद्रमा मिशन 'चंद्रयान-2' हो।

लोगों ने आस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) चैनल से संपर्क कर उसे आसमान में चमकीली रोशनी दिखाई देने की जानकारी दी। एक खगोलविद ने कहा वह 'चंद्रयान-2' हो सकता है। एबीसी ने एक स्थानीय निवासी शॉना रॉएस के हवाले से कहा कि उन्होंने उत्तर-पश्चिमी क्वींसलैंड के सुदूर जूलिया क्रीक कैरवन पार्क में सोमवार रात करीब 7:30 (स्थानीय समयानुसार) आसमान में यह रोशनी देखी।

मैककिनलेशर के काउंसलर ने कहा कि हम वास्तव में रात्रिभोज के लिए कैरवन पार्क में थे, जहां लगभग 160 लोग जमा थे। इस दौरान पर्यटकों ने आसमान में कुछ देखा और दूसरे लोगों को भी देखने को कहा। काउंसलर ने कहा कि वह बेहद चमकीली और अजीब सी रोशनी थी, जो उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रही थी। हमने 2-3 मिनट तक उसे देखा और फिर वह ओझल हो गई। हमें नहीं पता कि वह क्या था। वह सचमुच बहुत अजीब था। लोगों ने उसकी तस्वीरें भी उतारीं।

सदर्न क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जोंटी हॉर्नर ने कहा कि यह किसी रॉकेट की तरह दिखता है। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि आज दोपहर भारत ने अपने दूसरे चंद्रमा मिशन 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण किया था। लिहाजा हो सकता है कि लोगों ने चंद्रयान-2 के ही दीदार किए हों।

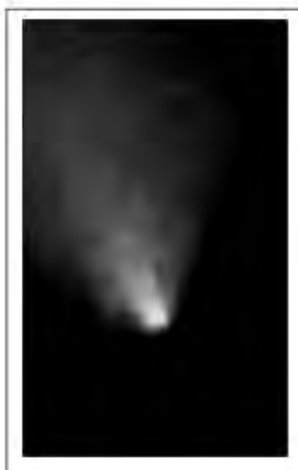

कौतूहल की चमक

- वह बेहद चमकीली और अजीब सी रोशनी थी, जो उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रही थी। हमने 2-3 मिनट तक उसे देखा और फिर वह ओझल हो गई। हमें नहीं पता कि वह क्या था। वह सचमुच बहुत अजीब था। लोगों ने उसकी तस्वीरें भी उतारीं। - **मैककिनलेशर के काउंसलर**
- यह किसी रॉकेट की तरह दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि आज दोपहर भारत ने दूसरे चंद्रमा मिशन 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण किया था। लिहाजा हो सकता है कि लोगों ने चंद्रयान-2 के ही दीदार किए हों। - **प्रो. जोंटी हॉर्नर, सदर्न क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर**

- **क्वींसलैंड और आशपाल के क्षेत्र में दिखी रोशनी**
- **स्थानीय समयानुसार सोमवार रात 7:30 बजे की घटना**

दक्षिण कोरिया ने रूसी लड़ाकू विमानों पर गोलियां चलाईं

सियोल, 23 जुलाई (एएफपी)।

दक्षिण कोरिया का कहना है कि उसने देश की हवाई सीमा में घुस आए रूस के लड़ाकू विमानों को चेतावनी देते हुए उन पर गोलियां चलाईं। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने हवाई सीमा का किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार तड़के देश के पूर्वी हिस्से में प्रवेश किया। मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी और चेतावनी के लिए रूस के विमानों पर गोलियां चलाईं। उसका कहना है कि मंगलवार को ही चीन के लड़ाकू विमानों ने भी देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग ईई-योंग ने रूस के सुरक्षा सचिव को संदेश में ऐसा दोबारा होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

योंग ने कहा, 'हम इस घटना का बारीकी से आकलन कर रहे हैं और अगर ऐसा दोबारा होता है तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।' दूसरी ओर मास्को ने हवाई सीमा लांघने के इन आरोपों को खारिज करते हुए कि उसके विमानों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्र पर नियोजित अभ्यास किया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के दो टीयू-95 सामरिक बमवर्षकों ने जापान सागर पर नियोजित अभ्यास किया। अभ्यास जहां किया गया, वह किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

खबर कोना

यूएई आने वाले भारतीयों को सलाह

दुबई, 23 जुलाई (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने यहां आने वाले भारतीयों को सलाह दी है कि वे अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण यात्रा करने से कम से कम छह महीने पहले करवा लें ताकि उनकी यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो। एक मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। गल्फ न्यूज ने बताया कि दूतावास ने पासपोर्ट के नवीनीकरण को लेकर यह सलाह इसलिए जारी की है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में यहां घूमने आने वाले लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अबू धाबी में भारतीय दूतावास के काउंसलर एम राजामुरूगन ने कहा कि आने से पहले पासपोर्ट की वैधता अवधि की जांच करें, यात्रा दस्तावेज की जांच करें और यह न भूलें कि यूएई में रहने की अंतिम तारीख क्या है।

दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होने का खुलासा

लॉस एंजिलिस, 23 जुलाई (भाषा)।

मानव में हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ने का कारण हमारे पूर्वजों में 20 से 30 लाख साल पहले एक जीन का नष्ट हो जाना रहा होगा। अमेरिका में यूनिर्विसटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधार्थियों ने कहा कि इसी जीन के नष्ट हो जाने ने संभवतः मांसाहारी मनुष्यों में इस खतरे को और बढ़ा दिया होगा। वसा जमने के कारण धमनियों का बाधित होना (एथेरोस्कलेरोसिस) दुनिया भर में हृदय रोगों से होने वाली एक तिहाई मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाना, शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं रहना, आयु, उच्च रक्तचाप, मोटापा और धूम्रपान जैसे ऐसे कई ज्ञात कारण हैं जिनसे हृदय रोग होता है। एथेरोस्कलेरोसिस के चलते पहली बार होने वाले 15 फीसद हृदय रोगों के पीछे इनमें से कोई कारण जिम्मेदार नहीं होता। यह अध्ययन पीएनएएस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग का निधन

बेजिंग, 23 जुलाई (एएफपी)।

थ्यानमेन चौक पर दमनकारी कार्रवाई में अपनी भूमिका को लेकर 'बुचर ऑफ बेजिंग (यानी बेजिंग का हत्यारा) नाम से चर्चित चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग का निधन हो गया। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिग कमिटी के पूर्व अध्यक्ष ली का सोमवार को अज्ञात बीमारी से निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। वैसे उन्हें पहले ब्लैडर कैंसर हुआ था। 4 जून, 1989 को राजधानी में लोकतंत्र समर्थक व्यापक प्रदर्शन पर नृशंस कार्रवाई को लेकर ली दुनियाभर में कुख्यात हो गर थे। वह एक दशक से अधिक समय तक कम्युनिस्ट शासन के शीर्ष पर रहे। उन्हें जीवन के आखिरी क्षण तक लोग दमन के प्रतीक के रूप में नफरत से देखते रहे।

अफगान राष्ट्रपति ने ट्रंप से मांगी सफाई

काबुल, 23 जुलाई (एएफपी)।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी पर सफाई देनी चाहिए कि वह आसानी से अफगान युद्ध जीत सकते थे लेकिन वह एक करोड़ लोगों को मारना नहीं चाहते थे। ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान खत्म हो जाता और वाकई इसमें महज दस दिन लगते। उन्होंने कहा, 'मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता' और यह कि वह लाखों लोगों की हत्या नहीं करना चाहते थे।

बोरिस बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री

नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने देश को एकजुट करने, ब्रेग्जिट को अंजाम देने का वादा किया

लंदन, 23 जुलाई (भाषा)।

यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर जारी राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बोरिस जानसन ने मंगलवार को कंजर्वेटिव पार्टी की नेतृत्व दौड़ में बाजी मार ली और वह देश के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए। यह पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि पूर्व विदेश मंत्री व लंदन के पूर्व मेयर जानसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट की लड़ाई में विदेश मंत्री जेरेमी हंट को हरा देंगे। पार्टी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री पद की दौड़ पिछले महीने तब शुरू हुई थी जब ब्रेग्जिट मुद्दे पर कंजर्वेटिव पार्टी में बढ़ती बगावत के चलते टेरेसा मे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।

परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद संसद भवन के पास क्वीन एलिजाबेथ सेंटर में टोरी पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए 55 वर्षीय जानसन ने कहा, 'मंत्र ब्रेग्जिट को संभव कर दिखाने, देश को एकजुट करने और जेरेमी कोरबिन (लेबर नेता) को हराने का है।' उन्होंने कहा, 'मैं आपकी विश्वास बहाली के लिए काम करूंगा। काम अब शुरू होता है।' सांसद व टोरी पार्टी की '1922 समिति' की सह-अध्यक्ष चेरिल गिलान ने लिफाफा खोला और घोषणा की कि जानसन को 92,153 वोट मिले हैं जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी हंट को 46,656 वोट मिले हैं। नया नेता चुनने के लिए टोरी पार्टी के 87.4 सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 509 वोट खारिज कर दिए गए। जानसन के बुधवार को प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। नए प्रधानमंत्री अपना नया मंत्रिमंडल चुनने के वास्ते कुछ समय ले सकते हैं। भारतीय मूल के सांसदों प्रीति पटेल और ऋषि सुनाक सहित जानसन के कई समर्थकों और ब्रेग्जिटियर्स को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है।

भारतीय मूल के सांसदों प्रीति पटेल और ऋषि सुनाक सहित जानसन के कई समर्थकों और ब्रेग्जिटियर्स को मंत्री पद मिलने की उम्मीद है।

पटेल ने नेतृत्व संबंधी चुनाव परिणाम के संदर्भ में कहा, 'कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जानसन के मिलने से देश के पास एक ऐसा नेता होगा जो ब्रिटेन में विश्वास करता है। वह देश के भविष्य के लिए नया दृष्टिकोण पेश करेंगे और आगे बढ़ने का खाका तैयार करेंगे। वह ब्रिटेन को एक ऐसा देश बनाने के लिए काम करेंगे जो विश्व में भारत जैसे हमारे मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करे।'

जानसन और हंट दोनों ने पार्टी के भारतीय समुदाय तक पहुंच के लिए विशेष प्रयास किए। हंट ने जहां यह कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर वह ब्रेग्जिट के बाद भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर काम करेंगे, वहीं जानसन ने कहा था कि अगर वह प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं तो भारत के साथ 'नवीन और उन्नत' व्यापार संबंध स्थापित करेंगे। लंदन के पूर्व मेयर जानसन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत निजी संबंध रह रहे हैं। वह अपने से अलग हुई अपनी पत्नी मैरिना व्हीलर की मां के भारतीय होने के कारण विगत में खुद को भारत का दामाद करार दे चुके हैं।

चांसलर फिलिप हैमंड और न्याय मंत्री डेविड गाउके सहित कई कैबिनेट मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वे ब्रेग्जिट की 31 अक्तूबर की समयसीमा पर जानसन के करो या मरो संकल्प की वजह से उनके अधीन काम करने की जगह इस्तीफा देना पसंद करेंगे। विदेश कार्यालय मंत्री एलन डंकन परिणाम घोषित होने से पूर्व ही जानसन की ब्रेग्जिट रणनीति के विरोध में पहले-पहल इस्तीफा देने वालों में शुमार हो गए। शिक्षा विभाग से संबंधित मंत्री एने मिल्टन ने भी परिणाम घोषित होने से पहले मे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। एक महीने तक चले नेतृत्व संबंधी अभियान के दौरान जानसन की रंगीनमिजाजी वाली निजी जिंदगी को लेकर भी खूब बातें हुईं। ब्रिटिश मीडिया कयासबाजी में लगी है कि जानसन की महिला मित्र कैरी सिमोंड्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री के साथ होंगी या नहीं।

उधर, टेरेसा मे ने मंगलवार को डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बुधवार को वह हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री संबंधी अंतिम चर्चा में शामिल होंगी। उसके बाद वह महारानी को अपना इस्तीफा सौंपने बकिंघम पैलेस जाएंगी। इसके बाद 93 वर्षीय महारानी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जानसन को सरकार के गठन का आमंत्रण देंगी।

इसके बाद जानसन प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में बुधवार की शाम अपना पहला संबोधन देंगे। नए प्रधानमंत्री गुरुवार की सुबह अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ब्रिटिश संसद की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी जो सितंबर के शुरू तक रहेंगी।

ईरान रविवार को विएना में परमाणु समझौते वाले देशों से करेगा मुलाकात

तेहरान, 23 जुलाई (एएफपी)।

ईरान रविवार को विएना में 2015 परमाणु समझौते में अब भी बने हुए देशों के राजनयिकों के बीच होने वाली बैठक में हिस्सा लेगा और ऐतिहासिक समझौते को बचाने की कोशिश करेगा।

अमेरिका के पिछले साल इस समझौते से हटने और ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान के तहत कड़े प्रतिबंध लगाने से 'ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन' (जेसीपीओए) समझौते पर खत्म होने का खतरा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, 'उसने 28 जुलाई को विएना में जेसीपीओए संयुक्त आयोग की असाधारण बैठक के आयोजन पर सहमति जताई है।'

बयान में कहा गया कि बैठक उप-मंत्रियों और राजनीतिक निदेशकों के स्तर पर होगी। उसने कहा कि अमेरिका के इससे हटने के जवाब में ईरान के परमाणु प्रतिबद्धताओं को कम करने पर चर्चा के लिए यूरोपीय दलों ने नई स्थिति पर चर्चा का अनुरोध किया था।

ट्रंप ने टिप्पणी करने से पहले नहीं की थी तैयारी : अमेरिकी राजनयिक

वाशिंगटन, 23 जुलाई (भाषा)।

पूर्व राजनयिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस विवादास्पद टिप्पणी से द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए उनसे मध्यस्थता के लिए कहा था। उनमें से एक ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी करने से पहले तैयारी नहीं की है।

अमेरिका की विदेश मंत्रालय की पूर्व राजनयिक एलिसा आयरेस ने कहा कि ट्रंप बैठक के लिए तैयारी करके नहीं आए थे। एलिसा फिलहाल काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस थिंक टैंक के साथ हैं। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो एश्ले टेलिस ने कहा, 'शुक्र है कि भारत और पाकिस्तान से किसी भी देश की सरकार को वास्तव में यह विश्वास नहीं है कि ट्रंप की वास्तव में कश्मीर मामले में हस्तक्षेप की कोई संभावना है। वह अमेरिका के शासन में अत्यंत व्यस्त हैं।' अमेरिका के तत्कालीन बुश प्रशासन में उप विदेश मंत्री (राजनीतिक मामले) रहे निकोलस बर्न्स ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका के एक मध्यस्थ के तौर भूमिका को भारत सरकार ने लगातार खारिज किया है।

भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रहे रिचर्ड वर्मा ने कहा, 'राष्ट्रपति ने आज बहुत बड़ा नुकसान किया है। कश्मीर और अफगानिस्तान पर उनकी टिप्पणी बिल्कुल भी ठीक नहीं है।' अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के अनुसार राष्ट्रपति को जल्द ही दक्षिण एशियाई मुद्दों की जटिलता समझ आएगी। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान पर समझौते के साथ पाकिस्तान की मदद चाहते हैं, और उन्होंने मदद की संभावना पेश की है जो उनके अनुसार पाकिस्तान चाहता है।' उन्होंने कहा, 'उन्होंने इमरान खान की उसी तरह प्रशंसा की जिस तरह उन्होंने उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन की प्रशंसा की थी। यह करार करने की कोशिश में उनकी मानक प्रक्रिया है।'

मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति के शीर्ष सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। ट्रंप के मुख्य आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो से वाइट हाउस में जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या यह (राष्ट्रपति का दावा) मनगढ़ंत है तो उन्होंने कहा, 'यह बहुत अशिष्ट सवाल है।' उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं। मेरी राय में यह बहुत ही अशिष्ट सवाल है। मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। यह मेरे क्षेत्र से बाहर का है। यह (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन) बोल्टन, (विदेश मंत्री) पोम्पिओ और राष्ट्रपति के लिए है। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। राष्ट्रपति कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं।'

अर्जेंटीना में मंगलवार को एक बैठक को संबोधित करते वेनेजुएला के विपक्षी नेता जॉन गुइदो (स्क्रीन पर दिखाई देते)। गइदो को कई देशों ने अर्जेंटीना के अंतरिम शासक के तौर पर मान्यता दी है।

ओसामा का पता लगाने में आइएसआइ ने दी थी मदद : पाक

वाशिंगटन, 23 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान की गुप्तचर एजंसी आइएसआइ ने सीआइए को वह खुफिया सूचना मुहैया की थी, जिसने पाकिस्तान में अमेरिका को अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का पता लगाने और उसे मार गिराने में मदद पहुंचाई। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को महत्त्वपूर्ण खुलासा करते हुए यह जानकारी दी।

बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले अमेरिकी दौरे पर पहुंचे खान ने इसका खुलासा फॉक्स न्यूज के साथ साक्षात्कार के दौरान किया। दरअसल, उनसे यह सवाल किया गया कि क्या उनका देश जेल में कैद पाकिस्तान के डाक्टर शकील अफरीदी को रिहा करेगा जिन्होंने ओसामा का पता लगाने में सीआइए की मदद की थी।

खान का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ओसामा के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी होने से तब तक इनकार करता रहा था, जब तक कि 2 मई, 2011 को इस्लामाबाद के छावनी नगर ऐबटाबाद में यूएस नेवी सील की टीम ने अभियान में उसे मार नहीं गिराया। खान ने कहा, 'वह आइएसआइ थी जिसने वह सूचना दी थी जिससे ओसामा बिन लादेन के ठिकाने का पता चला था। अगर आप सीआइए से पूछें तो वह आइएसआइ थी जिसने फोन पर शुरुआती स्थान के बारे में जानकारी दी।'

आफिया के बदले डा. शकील की रिहाई पर हो सकता है विचार

वाशिंगटन, 23 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी जेल में बंद न्यूरोसाइंटिस्ट आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में सीआइए की मदद के लिए पाकिस्तानी जेल में बंद सर्जन शकील आफरीदी को रिहा करने की पेशकश की है।

आफिया को अफगानिस्तान में एफबीआइ एजेंटों और अमेरिकी सैनिकों पर गोली चलाने के लिए 2010 में दोषी ठहराया गया था। वह अमेरिका की जेल में 86 वर्ष के कारावास की सजा काट रही हैं। अपने पहले आधिकारिक अमेरिकी दौरे पर आए इमरान फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में पाकिस्तानी डाक्टर आफरीदी की रिहाई को लेकर कोई भी वादा करने में अनिच्छुक दिखाई दिए। बाद में इमरान ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी न्यूरोसाइंटिस्ट आफिया की रिहाई के बदले आफरीदी को मुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। खान ने कहा कि हम उनकी अदला-बदली को लेकर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान इस बारे में बातचीत नहीं हुई।

कौन है आफिया

आफिया को अफगानिस्तान में एफबीआइ एजेंटों और अमेरिकी सैनिकों पर गोली चलाने के लिए 2010 में दोषी ठहराया गया था। वह अमेरिका की जेल में 86 वर्ष के कारावास की सजा काट रही हैं।

कौन है डा. शकील

आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में सीआइए की मदद के लिए पाकिस्तान की जेल में सर्जन शकील आफरीदी है।

'सबसे आजाद मीडिया में पाकिस्तान का मीडिया'

वाशिंगटन, 23 जुलाई (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक में अमेरिकी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि पत्रकारों ने उनके साथ खान से बदतर व्यवहार किया।

ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खान ने कहा 'पाकिस्तान की मीडिया दुनिया की सबसे आजाद मीडिया में से एक है। अपनी खुद की मीडिया द्वारा जो मेरी आलोचना की जाती है, वह अभूतपूर्व है। पाकिस्तानी मीडिया पर प्रतिबंध की बात कहना मजाक होगा।' खान के जवाब पर तुरंत हस्तक्षेप करते हुए ट्रंप ने कहा, 'एक मिनट रुकिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ मुझसे बदतर व्यवहार किया गया हो।' पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी ने सोमवार को प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर विपक्षी नेताओं की कवरेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया था।

कश्मीर के बारे में ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया से चकित हूं : इमरान

वाशिंगटन, 23 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर मुद्दे के हल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया से वह चकित हैं। साथ ही, खान के मुताबिक इस विषय ने 70 साल से (भारतीय) उपमहाद्वीप को उलझा रखा है।

दरअसल, जनवरी 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के एअरबेस पर किए गए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर रहा है और नई दिल्ली यह कहता आ रहा है कि वार्ता व आतंकवाद साथ-साथ नहीं हो सकते। अमेरिका की तीन दिनों की यात्रा पर यहां आए खान ने ट्वीट किया कि उपमहाद्वीप को 70 साल से उलझा कर रखने वाले कश्मीर मुद्दे के हल के लिए वार्ता की मेज पर पाक और भारत को लाने के लिए मध्यस्थता करने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया से चकित हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की अपनी पहली यात्रा की समाप्ति पर कहा कि कश्मीर की कई पीढ़ियों ने इसे (कश्मीर मुद्दे को) झेला है और वे रोजाना इसे झेल रहे हैं व संघर्ष का समाधान किए जाने की जरूरत है।

चुनावी हलफनामे में 'भूल चूक' का मामला

फडणवीस मामले में फैसला कर सकती है निचली अदालत : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 2014 में चुनाव के समय हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देने की 'भूल चूक' के बारे में निचली अदालत निर्णय कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस के पीठ ने देवेंद्र फडणवीस पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए सतीश यूकी की अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी की और कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

सतीश यूकी का तर्क है कि दो लंबित उन आपराधिक मामलों का, जिनका अदालत संज्ञान ले चुकी है, चुनावी हलफनामे में उल्लेख करने में विफल रहने की वजह से फडणवीस पर जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि हमारा सरोकार बहुत ही सीमित मुद्दे पर है कि क्या इस मामले में पहली नजर में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 लागू होती है या नहीं। यह धारा मूल रूप से गलत हलफनामा दाखिल करने से संबंधित है और यदि कोई प्रत्याशी या उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र के साथ लंबित आपराधिक मामलों के बारे में कोई जानकारी देने में विफल रहता है या उसे छुपाता है और यह साबित हो जाता है तो प्रत्याशी को छह महीने की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपके पास मौका था, आप उन मामलों की जानकारी दे सकते थे जिनमें अदालत ने संज्ञान लिया है। यह चूक धारा 125 के तहत मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय निचली अदालत कर सकती है। फडणवीस ने अपने हलफनामे में उन मामलों का जिक्र किया था जिनमें निचली अदालत आरोप निर्धारित कर चुकी थी। फडणवीस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कानून के प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि हलफनामे में जानकारी छुपाने की वजह से नामांकन खारिज करने का चरण निकल चुका है और अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या विधायक पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बंबई हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता यूकी की याचिका खारिज कर दी थी।

पीठ ने कहा कि कुल मिलाकर मामला यह है कि आपको उन लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देनी है जिनमें आरोप निर्धारित हो चुके हैं। यह आपने किया। लेकिन दो मामलों (जिनका अदालत संज्ञान ले चुकी है) की जानकारी देने में आपसे चूक हुई है। पीठ ने रोहतगी से सवाल किया कि तथ्य छुपाने के मुद्दे पर आप धारा 125ए के प्रावधान से कैसे निबटेंगे। यूकी की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दो आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करके हलफनामे में गलत जानकारी दी लेकिन इसके बावजूद निचली अदालत और हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के लिए सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

संसद भवन में मंगलवार को चीन से आए प्रतिनिधिमंडल से मिलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

अमित शाह ने मशविरा किया

पेज 1 का बाकी

नीत गठबंधन सरकार के मंगलवार को गिरने के बाद बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा की पसंद हो सकते हैं। राज्य में शीर्ष पद के लिए भाजपा की पसंद के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के एक नेता ने कहा कि येदियुरप्पा जाहिर तौर पर दावेदार हैं लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह सहित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बारे में निर्णय करेगा। गौरतलब है कि येदियुरप्पा को ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने राज्य में कांग्रेस-जद (सेकु) सरकार को सत्ता से हटाने के अभियान का नेतृत्व किया। कर्नाटक से आने वाले एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि येदियुरप्पा इस पद के लिए स्वाभाविक पसंद हैं लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी।

कुमारस्वामी सरकार के गिरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, 'आखिर में सच्चाई की जीत हुई और कर्नाटक को लोकप्रिय भाजपा सरकार मिलेगी। सत्ता की भूखी कांग्रेस और जद (सेकु) ने सभी अलोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता में बने रहने का अपना पूरा प्रयास किया।'

कश्मीर मुद्दे पर पिट गया झूठ का ट्रंप कार्ड

पेज 1 का बाकी

कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है और पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय तरीके से ही किया जाएगा। एस जयशंकर ने कहा, 'हम सदन को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है।' विदेश मंत्री ने यह भी कहा, 'पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत सीमा पार से जारी आतंकवाद बंद होने के बाद, लाहौर घोषणापत्र और शिमला समझौते के अंतर्गत ही होगी।' विदेश मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री से इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर सरकार को घेरते हुए विपक्षी दलों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण दे कर भ्रम की स्थिति दूर करने की मांग की। विदेश मंत्रालय ने हालांकि ट्रंप की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान की गई इन टिप्पिणयों को सिरे से खारिज कर दिया कि मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कश्मीर पर मध्यस्थता का अनुरोध किया था। संसद के दोनों सदनों में दिए गए बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ट्रंप के दावे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस विषय पर देश को बताया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री व ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि अगर ट्रंप की बात सही है तो फिर प्रधानमंत्री ने देश के हितों के साथ विश्वासघात किया है।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में विपक्षी दलों के नेताओं ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप ने अपने कथित बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया है। ऐसे में मोदी को खुद संसद के दोनों सदनों में बयान दे कर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, राजद के मनोज कुमार झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजिद मेनन और आप के संजय सिंह सहित अन्य दलों के नेताओं ने कहा कि ट्रंप ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि मोदी ने खुद उनसे कश्मीर मामले में मध्यस्थता करने की पहल की थी, इसलिए मोदी को स्वयं देश के समक्ष स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिक पंजी के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा बढ़ाई

पेज 1 का बाकी

अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि राष्ट्रीय पंजी के मसौदे में बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में 20 फीसद और शेष अन्य जिलों में 10 फीसद नमूनों का फिर से सत्यापन करने की अनुमति दी जाए। सरकार का तर्क था कि भारतीय नागरिकों के नाम पंजी में शामिल नहीं किए गए हैं और गैरकानूनी तरीके से आए बांग्लादेशी नागरिकों के नाम इसमें जोड़े गए हैं। आवेदन में किए गए अनुरोध के समर्थन में सरकार ने शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश का हवाला दिया था। जिसमें उसने कहा था कि नागरिक पंजी के मसौदे में से 10 फीसद लोगों के नामों के फिर से सत्यापन पर विचार किया जा सकता है। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार करने का कार्यक्रम शीर्ष अदालत की निगरानी में चल रहा है। इस संबंध में नागरिक पंजी का पहला मसविदा 31 दिसंबर, 2017 और एक जनवरी, 2018 की दरम्यानी रात में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल किए गए थे।

सीमा चौकियों पर महीने में 25 रातें बिताएं कमांडर

- सीमा सुरक्षा बल ने जारी किया निर्देश
- एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बटालियन कमांडरों के रात्रि पड़ाव का यह आदेश कुछ समय के लिए है। रणनीति को स्थिति के अनुसार संशोधित किया जा सकता है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ रोधी अभियान को मजबूत करने के अपने नए प्रयासों के तहत अपनी बटालियन के कमांडरों को जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) के पास स्थित अग्रिम चौकियों पर महीने में कम से कम 25 रातें बिताने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, कमांडरों और उनके दूसरे क्रम के अधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और इस मोर्चे पर प्रत्येक गतिविधि की जांच करने वाली इकाइयों की निगरानी करें, जो कि पाकिस्तानी धरती से आतंकवादियों की घुसपैठ और अकारण गोलीबारी की घटनाओं को देखते हुए अति संवेदनशील और असुरक्षित है।

सुरक्षा बल के वरिष्ठ कमांडरों ने हाल के दिनों में फील्ड कमांडरों द्वारा की गई अपर्याप्त रात्रि पहरेदारी पर गंभीर विचार किया और इसलिए उन्हें अब सीमा चौकियों पर कम से कम 25 रात रुकने के लिए कहा गया है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में भी बीएसएफ अधिकारियों को इसी तरह के उपाय करने के लिए कहा गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बटालियन कमांडरों के रात्रि पड़ाव का यह आदेश कुछ समय के लिए है। रणनीति को स्थिति के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। बटालियन प्रभारियों को जम्मू सीमांत क्षेत्र के किसी अग्रिम इलाके में एक सामरिक शिविर या परिचालन केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा में कोई कमी न हो और एक प्रभावी निगरानी बनी रहे।

23 फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी ने सूची जारी की

पेज 1 का बाकी

एम्पलॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी।

उत्तर प्रदेश के फर्जी विश्वविद्यालय : वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी; महिला ग्राम विद्यापीठ, प्रयागराज; गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज; नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर; नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़; उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, मथुरा; महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, माकनपुर (नोएडा फेस टू)।

पश्चिम बंगाल के फर्जी विश्वविद्यालय : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता।

कर्नाटक में कांग्रेस-जद (सेकु) की सरकार गिरी

पेज 1 का बाकी

आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है । वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहिए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस दौरान कोई कार्यकारी फैसले नहीं लिए जाने चाहिए।' इससे पहले, विधानसभा में अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने एलान किया कि 99 विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मत दिया है। इस प्रकार यह प्रस्ताव गिर गया। बहस पर जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विचारमग्न अवस्था में कार्यवाही देखते रहे। कुमारस्वामी को संख्या बल का साथ नहीं मिला और उन्होंने विश्वास मत प्रस्ताव पर चार दिन की चर्चा के खत्म होने के बाद हार का सामना किया। विधानसभा में पिछले गुरुवार को उन्होंने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था।

चार दिनों तक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कुमारस्वामी ने कहा, 'मैं खुशी से इस पद का बलिदान करने को तैयार हूं।' कार्यवाही में 21 विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया, जिससे सदन की प्रभावी क्षमता घटकर 204 रह गई। कार्यवाही में कांग्रेस-जद (सेकु)(17), बसपा (एक), निर्दलीय (दो) के विधायक नहीं आए। इस तरह 103 का जादुई आंकड़ा नहीं जुट पाया। कुमारस्वामी ने कहा कि विश्वास मत की कार्यवाही को लंबा खींचने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा, 'मैं विधानसभाध्यक्ष और राज्य की जनता से माफी मांगता हूं।' कुमारस्वामी ने कहा, 'यह भी चर्चा चल रही है कि मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और कुर्सी पर क्यों बना हुआ हूं।' उन्होंने कहा कि जब विधानसभा चुनाव का परिणाम (2018 में) आया था, वह राजनीति छोड़ने की सोच रहे थे। कुमारस्वामी ने कहा, 'मैं राजनीति में अचानक और अप्रत्याशित तौर पर आया था।'

कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती

पेज 1 का बाकी

मंत्रालय ने खतरे के आकलन के आधार पर यह फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की सुरक्षा पाने वाले नेताओं की सुरक्षा कवर की समीक्षा के बाद फैसला किया है कि इन नेताओं को अब केंद्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। लालू यादव को अब केंद्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी। लालू प्रसाद के अलावा राजीव प्रताप रूडी को भी अब केंद्र की सुरक्षा नहीं मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने संबंधित सुरक्षा बलों और राज्यों को नेताओं के सुरक्षा इंतजाम में कटौती और नए इंतजामों के बारे में इत्तला की है। आने वाले दिनों में कम से कम दो दर्जन अन्य वीआइपी लोगों की सुरक्षा या तो वापस ली जाएगी या घटाई जाएगी। इस बारे में आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी होगा। ताजा आदेश के मुताबिक, विधायक संगीत सोम को वाई श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलेगी। विधायक अवतार सिंह भड़ाना की भी सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है।

जिन अन्य नेताओं की सुरक्षा हटी या कम कर दी गई है, वे हैं- चिराग पासवान (सुरक्षा घटाकर वाई श्रेणी), संगीत सोम (सिर्फ उत्तर प्रदेश में वाई श्रेणी), बिहार के नेता साबिर अली (सुरक्षा हटी), बाबूलाल मरांडी (सिर्फ झारखंड में ही जेड श्रेणी), वीरप्पन को मारने वाले आइपीएस अधिकारी विजय कुमार (सिर्फ नक्सल क्षेत्रों में ही जेड प्लस), अवतार सिंह (सुरक्षा हटी), बिहार के पूर्व सांसद जितेंद्र स्वामी (सुरक्षा हटी), पंजाब के नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी (सुरक्षा हटी), आइजी नलिन प्रभात (जेड श्रेणी कुछ राज्यों में), बिहार के नेता उदय सिंह (सुरक्षा हटी), बिहार की नेता वीना देवी (सुरक्षा हटी) और सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक प्रकाश मिश्रा (सुरक्षा कम)।

इनके अलावा भाजपा के पूर्व नेता कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, हिमाचल प्रदेश के नव-नियुक्त राज्यपाल कलराज मिश्रा, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के तीन नाती-पोतों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक बेटी और नाती के नामों को भी सुरक्षा देने वाली केंद्रीय सूची से हटाया गया है। इन वीआइपी को सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, प्रतिष्ठित आतंकवाद रोधी बल एनएसजी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएएफ) के कमांडो और दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी।

भाजपा के नेता अनुपम हाजरा, इसरो के अध्यक्ष के सिवन, पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार आर चिदंरबम और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की भी सुरक्षा वापस ली गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ओपी माथुर, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, भाजपा के पूर्व सांसद उदित राज, इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया के नाम भी केंद्रीय सुरक्षा देने वाली सूची से बाहर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा, मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आदय प्रसाद पांडे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक टीके एलेक्स और कुछ अन्यों के नाम भी केंद्र की सूची से हटा दिए गए हैं।

शहीद सैनिक औरंगजेब के दो भाई भी सेना में शामिल

पेज 1 का बाकी

भाइयों के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं।

औरंगजेब के पिता ने अपने दोनों बेटों के सेना से जुड़ने के मौके पर कहा, 'मेरे बेटे को आतंकियों ने धोखे से मारा। यदि वह लड़कर मर जाता तो कोई दुख नहीं था, लेकिन धोखे से जान ली गई। दोनों बेटों की भर्ती पर गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो रहा है, लेकिन सीने पर जख्म भी हैं। मेरा दिल करता है कि उन दुश्मनों से मैं खुद लड़ूं, जिन्होंने मेरे बेटे को मारा।'

प्रधानमंत्री ने तिलक व चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के स्वतंत्रता अभियान में उनके योगदान को सराहा। तिलक की 163वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा।

मोदी ने ट्वीट किया, 'लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।

आम्रपाली समूह का पंजीकरण और पट्टे रद्द

पेज 1 का बाकी

द्वारा आम्रपाली समूह को दी गई संपत्तियों के पट्टे भी रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दूसरे निदेशक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित धनशोधन के मामले की जांच का निर्देश भी दिया है। पीठ ने वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणी को अदालत का रिसीवर नियुक्त किया है। समूह की तमाम संपत्तियों के पट्टे रद्द होने के बाद इनके सारे अधिकार वेंकटरमणी को मिल जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वेंकटरमणी को बकाया रकम की वसूली के लिए समूह की संपत्तियों को तीसरे पक्ष को बेचने के लिए समझौता करने का अधिकार होगा। पीठ ने रीयल एस्टेट विनियमन प्राधिकार (रेरा) के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द करते हुए कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मानकों का उल्लंघन करके मकान खरीदारों के धन का अन्यत्र इस्तेमाल किया गया। अदालत ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्राधिकारियों ने आम्रपाली समूह के साथ सांठगांठ कर उसे मकान खरीदारों की गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल अन्यत्र करने की अनुमति दी और कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की। पीठ ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अपनी बकाया रकम वसूल करने के लिए आम्रपाली समूह की संपत्तियों को बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अदालत ने आम्रपाली समूह के 42,000 से अधिक खरीदारों को राहत देते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह समूह की विभिन्न परियोजनाओं में पहले से ही रह रहे मकान खरीदारों को परियोजना पूरी होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करें। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे परियोजनाएं समय से पूरा कर उसे नहीं सौंपने वाले बिल्डरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।

शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में मकान लेने वाले खरीदारों की याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी। इससे पहले, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों ने अदालत से कहा था कि उनके पास समूह की अधर में लटकी परियोजनाओं को पूरा करने के संसाधन और दक्षता नहीं है। दोनों प्राधिकरणों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की निगरानी में इन अधूरी परियोजनाओं को किसी प्रतिष्ठित भवन निर्माता को सौंपने की हिमायत की थी। प्राधिकरणों ने थोक में मकान खरीदारों और राजनीतिक दबाव की वजह से आम्रपाली समूह, जो भुगतान करने में विफल रहा था, की संपत्तियों के पट्टों के समझौते रद्द करने जैसी कार्रवाई करने में असमर्थता जताई थी। इन प्राधिकरणों ने शीर्ष अदालत से कहा था कि आम्रपाली समूह पर मूलधन और ब्याज के रूप में करीब पांच हजार करोड़ रुपए बकाया है।

सिख विरोधी दंगों के मामले में 33 लोगों को मिली जमानत

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में दंगे, मकानों को जलाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए गए 33 लोगों को मंगलवार को जमानत दे दी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के एक पीठ ने आरोपी लोगों की अपील पर उन्हें राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर की। इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए मामले में पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई गई है।

निचली अदालत ने इन लोगों को दोषी ठहराया था और हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ 34 लोगों की अपीलों पर शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। इनमें से एक अपीलकर्ता की हाल में जेल में मौत हो गई थी।

वकील विष्णु जैन के जरिए अपनी अपीलों को दायर करने वाले दोषी ठहराए गए लोगों ने विभिन्न आधारों पर उन्हें रिहा किए जाने का आग्रह किया है। पूर्व में हाई कोर्ट ने 89 लोगों में से 70 लोगों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था जिन्हें दंगा, घरों में आग लगाने और कर्फ्यू के उल्लंघन के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। 27 अगस्त 1996 के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान शेष 19 लोगों में से 16 की मौत हो चुकी है।

बच्ची से बलात्कार के दोषी के लिए कोई दया नहीं : अदालत

पेज 1 का बाकी

करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई उदारता या दया नहीं दिखाई जा सकती, खासतौर पर तब जबकि अपराध पूरे होशोहवास में किया गया हो।

अभियोजन के मुताबिक दोषी ठहराया गया व्यक्ति पीड़िता का पड़ोसी था। वह कपड़े खरीदवाने के बहाने उसे फरवरी 2013 में ले गया।

उसने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से एक टैक्सी ली और उसे पिथौड़ागढ़ (उत्तराखंड) स्थित अपने गांव ले गया, जहां उसने उसे महीने भर से अधिक समय तक एक मकान में बंधक बना कर रखा।

पीड़िता के मुताबिक इस व्यक्ति ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

अदालत ने कहा कि इस व्यक्ति ने उसके माता पिता के सानिध्य से उसे वंचित कर दिया।

कुलदीप बिश्नोई के घरों पर आयकर छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

आयकर विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के हिसार और मंडी आदमपुर स्थित आवासों पर मंगलवार को एक साथ छापेमारी की। विभाग की टीम सुबह करीब साढ़े सात बजे बिश्नोई के दोनों घरों पर पहुंच गई। तलाशी शाम तक जारी रही।

गुरुग्राम और दिल्ली के उनके ठिकानों पर भी छापे मारे गए। कर चोरी के आरोप में ये छापे मारे गए। कुलदीप हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे हैं।

आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। जब आयकर विभाग की टीम मंडी आदमपुर (हिसार) में उनके घर पहुंची, तो उनका बेटा भव्य बिश्नोई वहां मौजूद था। भव्य को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए निकलना था, लेकिन आयकर अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। छापों के दौरान उन्हें मकान में ही रखा गया।

छापों के बाद कुलदीप और उनकी पत्नी रेणुका ने फेसबुक पर प्रतिक्रिया देते हुए इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया। कुलदीप ने लिखा, 'घबराएं नहीं कार्यकर्ता। ये दबाव के लिए रूटीन छापे हैं। साफ सुथरी राजनीति की है और करता रहूंगा।' वहीं हांसी से विधायक रेणुका ने भी फेसबुक पर लिखा, 'हमारे आवास पर छापेमारी हुई है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि घबराएं नहीं।'

आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता से संबंधित गुरुग्राम, दिल्ली व अन्य परिसरों पर भी छापेमारी की। दिल्ली में रजोकरी इलाके में स्थित कुलदीप के फार्म हाऊस में सुबह से शाम तक तलाशी जारी रही। आयकर विभाग की टीम ने सुबह यहां छापा मारा और पूरे फार्म हाऊस को अपने घेरे में ले लिया। टीमों ने तलाशी व जांच-पड़ताल के साथ वहां मौजूद कर्मचारियों व लोगों से भी पूछताछ की।

दिल्ली-चंडीगढ़ के लिए अगस्त से रोजाना उड़ान

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

एअरएशिया इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग पर एक अगस्त से रोजाना सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह उड़ान सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली से रवाना होगी और 11 बजकर 50 मिनट पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे पहुंचेगी। वापसी उड़ान दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे से निकलेगी और एक बजकर 55 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी।

इसके अलावा, एअरलाइन ने कहा कि वह नई दिल्ली-बंगलुरू मार्ग पर पांच अगस्त से चार अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगी। फिलहाल, वह इस मार्ग पर तीन उड़ानों का परिचालन कर रही है।

डायन बताकर पीट-पीट कर महिला की हत्या

नवादा, 23 जुलाई (भाषा)।

बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर थाने के कोयलीगढ़ गांव में मंगलवार को कुछ लोगों ने एक महिला को डायन बताकर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी।

गोविंदपुर थाना प्रभारी ज्योति पुंज ने बताया कि मृतक महिला का नाम मंती देवी (50) है, जो कोयलीगढ़ गांव निवासी प्रसादी मांझी की पत्नी थी। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक के पति ने इस मामले में कुल 12 लोगों बिरजु मांझी, सुरेश मांझी, नरेश मांझी, कारू मांझी, कुना मांझी, अनील मांझी, तुलसी मांझी, मुनी मांझी, सुखदेव मांझी और संजय मांझी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुंज ने बताया कि इस मामले प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मुख्य आरोपी बिरजु मांझी और तीन अन्य आरोपियों सुरेश मांझी, कारू मांझी और नरेश मांझी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
(भारत सरकार का उपक्रम)
जेड ओ एस ए आर बी, 13वीं तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482,
ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 22.06.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि क्र.सं. 1 **मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि.** के खाते की सम्पत्ति की ई-नीलामी की तिथि दिनांक 29.07.2019, और धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 25.07.2019 **के स्थान पर ई-नीलामी की तिथि दिनांक 07.08.2019, धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 05.08.2019** पढ़ा जाए। शेष नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 23-07-2019 — बैंक ऑफ बड़ौदा

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष मामला तत्संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

वेस्टर्न एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U36100DL1995PTC064334)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **बी-23, एस/एफ प्लॉट नं. 8, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092** में है, के मामले में
....**आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन करने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को पारित करने हेतु **13 जून, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"राजस्थान राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए अपने हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **बी-23, एस/एफ प्लॉट नं. 8, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **वेस्टर्न एनर्जेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांक: 23 जुलाई, 2019 — इरफान खान (निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली — डीआईएन: 08169611

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत) शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 5801427 (चन्दर शेखर जुनेजा)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की श्री चन्दर शेखर जुनेजा, श्री रक्षित जुनेजा, मोनिका जुनेजा, सभी निवासीः एच.नं. 40, 4था तल, टैगोर पार्क, मॉडल टाउन, नई दिल्ली-110009 से 11 दिसम्बर, 2017 को 2,42,26,801/- (रुपये दो करोड़ बयालिस लाख छब्बीस हजार आठ सौ एक मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर 9 अगस्त, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 11 दिसम्बर, 2017 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 2,42,26,801/- (रुपये दो करोड़ बयालिस लाख छब्बीस हजार आठ सौ एक मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में उक्त 9 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी उक्त 8 अगस्त, 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 15, माप 2184.63 वर्ग फीट, व्यावसायिक स्थान का सुपर एरिया जो "यूनिवर्सल ट्रेड टावर" नाम से विदित बिल्डिंग के भू तल पर स्थित है तथा उसके साथ उक्त व्यावसायिक स्थान के नीचे भूमि में अविभाजित आनुपातिक शेयर जिसकी गणना खेवत/खाता नं.-15/7, खतौनी नं.-19, मुस्ततिल नं.-17, खसरा नं. 19 (2-15-0) कित्ता नं. 1, माप 2 बीघा, 15 बिसवा तथा खेवत/खाता नं. 13/5 मिन, खतौनी नं. 17, मसूति नं.-17, खसरा नं.-18 (1-17-0), कित्ता नं.-1 माप 1 बीघा 17 बिसवा, सिवना मौजा टिकरी, तहसील एवं जिला गुड़गाँव में (अब, सेक्टर 49 के नाम से विदित जिसका विशेष रूप से विवरण सब-रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्स गुड़गाँव के पास पंजीकृत बही नं.1, जिल्द नं. 13, 149 पेज नं. 19 के अंतर्गत पंजीकरण सं. 30, 522 में पंजीकृत कॉन्वियेन्स डीड तिथि 2.3.2016 में वर्णित है) में स्थित प्लॉट माप 2.87 एकड़ पर निर्मित उक्त बिल्डिंग में सभी व्यावसायिक स्थान/अपार्टमेन्ट के कुल सुपर एरिया में उक्त व्यावसायिक स्थान के सुपर एरिया के अनुपात में किया गया है। यूनिवर्सल ट्रेड टावर की सीमाएंः उत्तरः सम्पर्क सड़क, दक्षिणः सम्पर्क सड़क, पूर्वः सम्पर्क सड़क, पश्चिमः सम्पर्क सड़क।

कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिकः भौतिक
आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 2,12,50,000/- (रुपये दो करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र)
धरोहर राशि (रु.): रु. 21,25,000/- (रुपये इक्कीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 9 अगस्त, 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/ रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 2 अगस्त, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल पच्चीस प्रतिशत क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा। उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी की इच्छा पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोनः 07961200520/598/554/587/559/587/538, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net एवं tilak@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीप सहरावत, ई-मेलः jagdeep.sehrawat@ TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 8588806158 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://sarfaesi.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली — हस्ता./-
तिथिः 24.7.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे आयकर रिटर्न

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। इस कदम से करदाताओं को राहत मिलेगी।

इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है।

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
CIN : L29199DL1985PLC015796
Regd. Office: 139 A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
E-mail ID: compsect @ udtltd.com, Website: www.udtltd.com
Phone No. 0120-4213490, Fax No. 0120-2462674

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019
(Rs. in Lacs)

S. No	Particulars	Quarter ended			Year ended
		30.06.2019 Unaudited	31.03.2019 Audited	30.06.2018 Unaudited	31.03.2019 Audited
1	Total Revenue (I+II)	2723.88	2422.02	3895.18	15712.80
2	Net Profit before Tax	1191.49	1203.64	470.82	2530.58
3	Net Profit after Tax	1018.20	1273.55	434.67	2473.55
4	Total Comprehensive Income for the period net of tax	1017.21	1269.57	434.67	2469.57
5	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	2030.31	2030.31	2030.31	2030.31
6	Reserves excluding Revaluation Reserve				11133.50
7	Earning Per Share (for Continuing Operations)				
	(a) Basic	5.01	6.25	2.14	12.16
	(b) Diluted	5.01	6.25	2.14	12.16

Notes:-
1 The company's business activities falls within a single business segment (Engineering) in terms of Accounting Standard - 17 of ICAI.
2 The figures for the quarter ended 31st March 2019 being the balancing figure between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures up for the third quarter of the relevent financial year.
3 Given the nature of business of the company and product mix in the respective quarter the result of any quarter may not be a true and/or proportionale reflaction of the annual performance of the company. Further quarter to quarter results are also affected by the type of the products manufactured/sold during that quarter.
4 The above financial results have been approved by the Audit Committee & Board of Directors at their meeting held on 23rd July, 2019. The statutory auditors have carried out a limited review of the results quarter ended 30th June, 2019 and have issue an unmodified report on these results.

For United Drilling Tools Ltd.
Sd/-
Pramod Kumar Gupta
Managing Director

Place: Noida
Date : 23.07.2019

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 332/2018

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम सुश्री किरण शर्मा

(सीडी # 1) सुश्री किरण शर्मा, पत्नी श्री अजय शर्मा, मै. जेएमडी क्लॉथ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर जोन के प्रॉपराइटर, 1/7225, मैन बाबरपुर रोड, शिवाजी पार्क, ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110032
साथ हीः 1/5304-सी, गली नं. 12, बलवीर नगर एक्स्टेंशन, शाहदरा, दिल्ली-110032
(सीडी # 2) श्री अजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री सुख पाल शर्मा, निवासी 1/7225, मैन बाबरपुर रोड, शिवाजी पार्क, ईलाका शाहदरा, दिल्ली-110032

(1) जैसा कि रु. 1,50,000/- की लागत के साथ ओए दाखिल करने की तिथि अर्थात् 7.4.2017 से उसकी वसूली तक 12% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ रु. 2,70,84,678/- (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख चौरासी हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) की राशि का उल्लेख करते हुए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा रिकवरी प्रमाणपत्र सं. 332/2018 तैयार किया गया है।

2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 23.8.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हो, 12.00 बजे अप. के बाद) 5 मिनट के स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन-लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम से वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net पर होगी।

4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

6. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।

7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

7.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) (रु. में)
1.	खसरा नं. 237 तथा 423/239, ग्राम बाबरपुर कॉलोनी, शिवाजी पार्क, ग्राम शाहदरा, दिल्ली-110032 में शमिल 1/7225, माप 105.34 वर्ग मीटर	2,72,00,000/-	27,20,000/-
2.	फर्नीचर मद (संलग्णक-1)	4,40,000/-	44,000/-
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स (संलग्णक-1)	55,000/-	5,500/-
4.	क्लॉथिंग (संलग्णक-1)	55,000/-	5,500/-

7.3 जो इच्छुक बोलीदाता अधिकतम 21.8.2019 के 4 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, आवास के प्रमाण सहित दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 23.8.2019 को 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

7.4 बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र लॉट 1 के लिये) तथा रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र लॉट 2, 3 एवं 4 के लिये) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।

7.5 असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।

7.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 332/2018" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे इस तरह से भेजना होगा ताकि वह नीलामी की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

7.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष रजिस्ट्रार डीआरटी- II, दिल्ली के पक्ष में देय रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता "आर.सी. नं. 332/2018" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

7.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

8. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार**" "**तथा जो भी वहां है आधार**" पर की जाएगी।

9. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

सम्पत्ति की अनुसूची

क्रम सं.	बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण
1.	खसरा नं. 237 तथा 423/239, ग्राम बाबरपुर कॉलोनी, शिवाजी पार्क, ग्राम शाहदरा, दिल्ली-110032 में शमिल 1/7225, माप 105.34 वर्ग मीटर
2.	फर्नीचर मद (संलग्णक-1)
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स (संलग्णक-1)
4.	क्लॉथिंग (संलग्णक-1)

संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्वः **ज्ञात नहीं**
ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय हैः **ज्ञात नहीं**
दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरणः **ज्ञात नहीं**

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 9.7.2019 को दी गई। — न्यायालया की मुहर — (अविनाश चन्द्रा) रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

PTC India Ltd.
PTC India
Regd. Office : 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
(CIN : L40105DL1999PLC099328)
Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 7th day of August 2019 inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2019 amongst other items mentioned in the agenda.

By order of the Board
For PTC India Ltd.
Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Company Secretary
FCS- 4998

Place: New Delhi
Date: 23/07/2019

Note:- Futher details on the matters above said may be accessed at the link of the Company's website http://www.ptcindia.com ,('Notice to Exchanges' in Statutory Information) and Stock Exchange website i.e.NSE: www.nseindia.com and BSE www.bseindia.com.

फॉर्म-जी
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	**लेंकॉ थर्मल पॉवर लिमिटेड**
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	06.02.2002
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़- हैदराबाद
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U40109TG2002PLC038452
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** प्लॉट नं. 4, सॉफ्टवेयर यूनिट्स लेआऊट, एचआइटीइसी सिटी, माधपुर हैदराबाद तेलगाना 50008। **प्रधान कार्यालयः** लेंकॉ हाऊस, प्लॉट नं. 397, उद्योग विहार, फेज़-3, गुड़गांव 122016
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेसी शुरुआती तिथि	09.05.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	24.07.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in www.lancogroup.com
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in www.lancogroup.com
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	08.08.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	18.08.2019
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	23.08.2019
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	02.09.2019
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	22.08.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव पेशेवर आईबीसी, 2016 की धारा 29ए के अंतर्गत केवाईसी, निवेश की क्षमता, प्रबंधन की योग्यता और पात्रता, पूर्व-योग्यता मानदंड के सत्यापन के बाद इलैक्ट्रोनिक फार्म में प्रस्ताव योजना/मूल्यांकन सारणी/सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध को शेयर करेगा।
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21.09.2019
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	बिन्दू नंबर 21 पर दिए गए पते पर इ-मेल आइडी द्वारा इलैक्ट्रोनिक फार्म में ।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) के सदस्यों द्वारा जल्द से जल्द अनुमोदित।
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	श्री प्रवीण बंसल, आइपी रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	**नामः** श्री प्रवीण बंसल, **पताः** जे-347, ब्लॉक जे, सरिता विहार, नई दिल्ली, इ-मेलः pkbansal00@gmail.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	**पताः** इ-10ए, कैलाश कॉलानी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली 110048 इ-मेलः lanco.thermal@aaainsolvency.com,parveen-bansal@aaainsolvency.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in www.lancogroup.com
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	24.07.2019

श्री प्रवीण बंसल, लेंकॉ थर्मल पॉवर लिमिटेड के विषय में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344
इ-मेलः lanco.thermal@aaainsolvency.com, parveenbansal@aaainsolvency.com
संपर्कः एएए इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, इ-10ए, कैलाश कॉलानी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली 110048
संपर्क नं.: 011-46664600

टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(सीआईएनः L65910DL1989PLC034812)
पंजीकृत कार्यालयः चौथा तल, टॉवर 1, एनबीसीसी प्लाज़ा, सैक्टर-V, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017, फोनः 011-29561180, फैक्स : 011-29561171
ईमेलः complianceofficer@tfciltd.com, वेबसाइटः www.tfciltd.com

इक्विटी शेयरधारकों की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की तीसवीं (30वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को प्रातः 11.00 बजे** लिटिल थिएटर ग्रुप ऑडिटोरियम, मण्डी हाउस, 1, कॉपरनिकस मार्ग, दूरदर्शन भवन के सामने, कनॉट प्लेस के नजदीक, नई दिल्ली-110001 में, एजीएम बुलाये जाने की सूचना में वर्णित बिजनेस के संचालन के लिये, आयोजित की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक बुलाये जाने की सूचना सहित उन सदस्यों को, जिन्होंने इसकी हार्ड प्रति के लिये अपना अनुरोध दर्ज नहीं कराया है, इलेक्ट्रानिक पद्धति से भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी उनके डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट(एस)/ कंपनी/ आरएंडटीए के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी गई है जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी कंपनी अथवा डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं। कंपनी ने एजीएम बुलाये जाने की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट भौतिक तौर पर और ई-मेल से भेजने का काम 17 जुलाई, 2019 को पूरा कर लिया है।

एजीएम बुलाये जाने की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.tfciltd.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। सदस्य वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति के लिये कंपनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर लिखित अनुरोध कर सकते हैं। वार्षिक आम बैठक में संचालित किये जाने वाले बिजनेस की मदों से संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियमन 42 और सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स के नियम **3 अगस्त, 2019 से 9 अगस्त, 2019** (दोनों दिन सम्मिलित) कंपनी के एजीएम के उद्देश्य से और घोषित किए गए इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए बंद कर दिया गया।

ई-वोटिंग अवधि **मंगलवार 06 अगस्त, 2019 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)** शुरू होगी और **बृहस्पतिवार, 08 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त हो जायेगी। इसके उपरांत ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा हटा दिया जायेगा। कृपया नोट कर लें कि जिन शेयरधारकों ने कट ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) अर्थात **02 अगस्त, 2019** को डीमैटीरियलाइज्ड अथवा भौतिक स्वरूप में से किसी भी रूप में शेयर धारण किये हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रानिकी दे सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के लिये विस्तृत प्रक्रिया/अनुदेश सभी सदस्यों को भेजे जा चुके हैं। ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान की स्थिति, दोनों के लिये मैसर्स ए एन कुकरेजा एंड कंपनी के श्री ए एन कुकरेजा, कार्यरत कंपनी सचिव को बैठक में मतदान के साथ-साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया की जांच के लिए स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायत के मामले में सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंटस लिमिटेड, से एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, नई दिल्ली-110020, फोन 011-41406149/51 **ई-मेल admin@mcsdel.com** पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सीडीएसएल के टॉलफ्री नंबर **1800 200 5533** पर संपर्क करें अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल कर सकते हैं।

कृते टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
हस्ता./-
(संजय आहूजा)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 जुलाई, 2019

विधायकों के बयान की सीडी पेश करने संबंधी याचिका पर पटेल पर जुर्माना

अमदाबाद, 23 जुलाई (भाषा)।

गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर तब पांच हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया, जब उनके वकील ने 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले दिए गए विधायकों के बयानों की सीडी पेश करने के लिए एक गवाह को अनुमति देने की मांग की।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पटेल पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था और फिर से वही आग्रह करना 'प्रतिवादी नंबर-एक (पटेल) की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।' पटेल के वकील पीएस चंपानेरी ने सोमवार को निवेदन किया था कि गवाह बलदेवजी ठाकोर को

● अदालत भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

सीडी पेश करने की अनुमति दी जाए, जिसमें विधायकों के बयानों की उस समय की रिकॉर्डिंग है, जब वे 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले बंगलुरु में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे।

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत की नजरों में यह और कुछ नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर-एक की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और आगे कुछ विस्तार में कहे बिना, गवाह बलदेवजी ठाकोर की ओर से सीडी पेश करने का निवेदन पूर्व के पांच जुलाई के आदेश के मद्देनजर खारिज किए जाने योग्य है। अदालत ने आदेश में कहा कि इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है, इसलिए आवेदन पांच हजार रुपए के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो प्रतिवादी नंबर-एक द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को जमा किया जाएगा।

हाई कोर्ट ने पांच जुलाई को आदेश पारित कर गवाह रोहन गुप्ता को पैन ड्राइव पेश करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसमें बंगलुरु रिजॉर्ट में ठहरने के दौरान कांग्रेस विधायकों के कथित बयानों की रिकॉर्डिंग थी। अदालत भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। राज्यसभा चुनाव में बलवंत सिंह राजपूत हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि पटेल ने अपने पक्ष में मतदान के लिए कांग्रेस विधायकों को रिश्वत दी थी।

पायल तड़वी खुदकुशी : तीन महिला डॉक्टरों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

मुंबई, 23 जुलाई (भाषा)।

जातिगत आधार पर प्रताड़ना के बाद एक अस्पताल में आत्महत्या करने वाली पायल तड़वी के मामले में अपराध शाखा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तीन वरिष्ठ डॉक्टरों के खिलाफ मंगलवार को आरोपपत्र दाखिल किया।

विशेष अदालत के सामने 1800 पन्ने का आरोपपत्र दाखिल किया गया है। इसमें छात्रावास में खुदकुशी करने से पहले तड़वी द्वारा कथित तौर पर लिखे गए तीन पन्ने के सुसाइड नोट की एक प्रति भी है। तीन आरोपी डॉक्टरों- हेमा आहुजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को 29 मई को गिरफ्तार किया गया था। तीनों तब से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। निगम संचालित बीवाइएल नायर अस्पताल से जुड़ी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के दूसरे साल की छात्रा तड़वी (26) ने 22 मई को खुदकुशी कर ली थी। उनके परिजनों ने आरोप लगाया था कि तीनों वरिष्ठ डॉक्टर तड़वी के बारे में आए दिन जातिसूचक टिप्पणी करती थीं और इसी कारण से उन्होंने खुदकुशी कर ली।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की टिप्पणी पर एतराज

श्रीनगर, 23 जुलाई (भाषा)।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी असंवैधानिक है। यह टिप्पणी राज्यपाल पद की विश्वसनीयता, आजादी और निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।

राज्यपाल ने रविवार को कहा था कि आतंकवादियों को मासूम लोगों को मारने की बजाए भ्रष्टाचारियों को निशाना बनाना चाहिए, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था।

IN THE COURT OF SH. AJAY KUMAR JAIN, SPL. JUDGE, NDPS ACT PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON
(See Section 82 Cr.P.C)

NCB Vs IKECHUKWU CHUKWUBUIKEM STANELY & Ors
Crime Case No. SC/225/17,PS-NCB U/S21/23/29 NDPS ACT

WHEREAS complaint/case has been made before me that Ikechukwu Chukwubuikem Stanley S/o Shri Ikechukwu R/o TA-28, Shukar Bazar, Uttam Nagar, New Delhi has committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section 21/23/29 NDPS ACT vide Crime Case no. SC/225/17. and it has been returned to a warrant of arrest there upon issued that the said Ikechukwu Chukwubuikem Stanley cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that Ikechukwu Chukwubuikem Stanley has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant), Proclamation is hereby made that said Ikechukwu Chukwubuikem Stanley is required to appear before this Court (or before me) to answer the said complaint/case on 07.09.2019

Sd-
(AJAY KUMAR JAIN)
Special Judge, NDPS Act
Patiala House Court New Delhi

बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर सैट ने सेबी को केयर्न इंडिया की जांच का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) को केयर्न इंडिया द्वारा बाजार नियमों के उल्लंघन की जांच का निर्देश दिया है। सैट ने केयर्न यूके होल्डिंग्स को देय लाभांश को रोकने को लेकर वेदांता की अनुषंगी केयर्न इंडिया की जांच का निर्देश दिया है। केयर्न यूके होल्डिंग्स ने सेबी से पारित आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण में अपील की थी। इस अपील पर सैट ने यह निर्देश दिया है। साल 2017 में ब्रिटेन की कंपनी ने सेबी केयर्न इंडिया की तरफ से 340 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान नहीं करने को लेकर अपील की थी। ब्रिटिश कंपनी ने सेबी से वेदांता को उसके लाभांश का 18 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। अपनी अपील में केयर्न यूके होल्डिंग्स ने केयर्न इंडिया के हरेक उस निदेशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया था जिनको इस लाभांश का भुगतान नहीं किए जाने की जानकारी थी। हालांकि, बाजार नियामक ने इस शिकायत का निपटान करते हुए कहा था कि 660.63 करोड़ रुपए के जिस लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है वह कंपनी ने आयकर विभाग को सौंप दिया है और ऐसे में सेबी के लिए इस पर आगे कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।

सैट ने अपने 19 जुलाई के आदेश में कहा है कि सेबी की यह दलील सही है कि यह राशि आयकर विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है ऐसे में लाभांश भुगतान का सवाल खड़ा नहीं होता। अब यह नियामक का कर्तव्य है कि वह केयर्न इंडिया द्वारा कंपनी कानून के तहत कथित उल्लंघन की जांच करे।

पत्नी की खुदकुशी से दुखी होकर बेटे का गला दबाया, फिर फांसी लगाई

बांदा, 23 जुलाई (भाषा)।

बांदा से सटे हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में पत्नी की आत्महत्या से क्षुब्ध व्यक्ति ने डेढ़ साल के बेटे की गला दबा कर हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने मंगलवार को बताया कि जिले के राठ कस्बे के गुलाब नगर मुहल्ले में घर से सोमवार को बृजेन्द्र राठौर (31) और उसकी पत्नी गीता (25) के शव फांसी से लटके पाए गए जबकि डेढ़ साल के बेटे पार्थ का शव जमीन पर पड़ा था। ये शव कई दिन पुराने मालूम होते हैं। बच्चे का शव चादर से ढंका था और उसके ऊपर कथित सुसाइड नोट रखा था जिसमें बृजेन्द्र ने आपसी विवाद होने पर पत्नी गीता द्वारा फांसी लगाए जाने के बाद अपने डेढ़ साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर खुद फांसी लगा लेने की बात लिखी है। मीना ने बताया कि नोट के अंत में बृजेन्द्र ने खुद को हत्यारा लिखा है। सोमवार को जब बृजेन्द्र का चचेरा भाई उससे मिलने उसके घर गया तब घटना का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि शव सड़ चुके थे। इससे लगता है कि घटना लगभग तीन दिन पुरानी है। पोस्टमार्टम कराने के बाद तीनों शव परिजन को सौंप दिए गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पार्सन्स ब्रिनकेरहॉफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 210, दूसरा तल, एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर ओल्ड मथुरा रोड, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110044, भारत
CIN : U74210DL1998PTC094533

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी कम करने की सूचना (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अंतर्गत सी.पी. नं. 258/66/ND/2018)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली पीठ कोर्ट-III ने अपने आदेश दिनांक 12.07.2019 के माध्यम से उसमें निर्धारित कार्यवृत्त के अनुमोदन द्वारा उपरोक्त नामित कम्पनी की शेयर पूंजी को कम करने की मंजूरी दी है :

"कम्पनी की शेयर पूंजी अब से रु. 10 प्रत्येक (रुपए दस मात्र) पूर्णतः प्रदत्त 73,60,314 इक्विटी शेयरों में विभाजित वर्तमान शेयर पूंजी रु. 7,36,03,140 (सात करोड़ छत्तीस लाख तीन हजार एक सौ चालीस रुपए) से घटकर रु. 10 प्रत्येक (रुपए दस मात्र) पूर्णतः प्रदत्त 47,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित रु. 4,70,00,000 (चार करोड़ सत्तर लाख रुपए) हो गई है"।

यह विज्ञापन एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ के अपने आदेश दिनांक 12.07.2019 के निर्देशों के अनुसार प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता/-
(राजेश चोपड़ा)
निदेशक
तिथि : 23.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

केंद्र की रोक के बावजूद एअर इंडिया ने कर्मचारियों को पदोन्नति दी

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

एयर इंडिया में हिस्सेदारी की बिक्री प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने के मद्देनजर इसमें पदोन्नति और नई नियुक्तियों पर केंद्र सरकार ने रोक लगाया था। बावजूद एयरलाइन ने सोमवार को सात सहायक महाप्रबंधकों (एजीएम) को वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक (सीनियर एजीएम) के पद पर पदोन्नत कर दिया। एक आधिकारिक दस्तावेज से यह बात सामने आई है।

राष्ट्रीय एयरलाइन ने सोमवार को एक आधिकारिक आदेश जारी कर कहा कि सात एजीएम की सीनियर एजीएम के रूप में नियुक्ति मंजूरी हो गई है लेकिन ये सेवा नियमों में निर्भर करेगी। आदेश में कहा गया है कि ये नियुक्तियां उस दिन से प्रभावी होंगी जिस दिन वे अपना प्रभार संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग (डीआईपीएएम) ने एअर इंडिया से कहा था कि वह सभी पदोन्नति और नई नियुक्तियां रोक दे क्योंकि एयरलाइन के विनिवेश की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने की उसकी योजना है।

दस दिन बढ़ाया जा सकता है संसद सत्र

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

सरकार संसद के वर्तमान सत्र को 10 दिन बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की सोमवार को हुई बैठक में संसद के वर्तमान सत्र को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य मंत्री व सांसद मौजूद थे।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में अमित शाह ने सांसदों से कहा कि 10 दिन के लिए संसद सत्र को बढ़ाया जा सकता है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों से कहा कि सत्र 10 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए सांसदों को तैयार रहना चाहिए। इस बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि इसकी संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में शाह ने कहा कि सरकार ने इस सत्र में दो दर्जन विधेयक सूचीबद्ध किए हैं जिन्हें सरकार पारित करवाना चाहती है।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में नए संगठन महामंत्री बीएल संतोष का भी परिचय कराया गया जो बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी प्रस्तुति दी गई जिसमें पानी की कमी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जल संचय के महत्व पर चर्चा की गई और सभी सदस्यों से उनके क्षेत्रों खासकर आकांक्षी जिलों में जल संचय से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ता की हत्या

आरामबाग (पश्चिम बंगाल), 23 जुलाई (भाषा)

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता लालचंद बाग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी मंगलवार को दी। टीएमसी नेता दिलीप यादव ने कहा कि यह हत्या भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ममता बनर्जी की शहीद दिवस रैली में हिस्सा लेने के लिए की गई। भाजपा ने इस आरोप से इनकार किया है। पुलिस अधीक्षक तथागत बसु ने कहा, 'बाग के पिता की 27 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत पर अभी तक छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है।'

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 663/2018 बिक्री उद्घोषणा दिनांक: 02.07.2018

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स वी. वी. ज्वैलर्स (पी) लिमिटेड व अन्य

सीडी नं.1. मैसर्स वी. वी. ज्वैलर्स (पी) लिमिटेड
इसके निदेशकों के माध्यम से
विशाल वैश्य, प्रिया वैश्य,
पंजीकृत कार्यालय: 3128, गली नं. 34, दूसरी मंजिल, बीडोन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
इसके अलावा: 2578-79, दूसरी मंजिल, गली नं 5, बीडोन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी नं. 2. विशाल वैश्य, पुत्र गौरी शंकर,
(निदेशक/गारंटर)
पता बी-5बी, अवंतिका एन्कलेव, सेक्टर - 2, रोहिणी, दिल्ली 110085
इसके अलावा: ए-126, पॉकेट - 00, सेक्टर - 2, तीसरी मंजिल, रोहिणी, दिल्ली-110085
सीडी नं. 3. प्रिया वैश्य, पत्नी विशाल वैश्य, (निदेशक/गारंटर)
पता बी-5 बी, अवंतिका एन्कलेव, सेक्टर - 2 रोहिणी, दिल्ली-110085
इसके अलावा: ए-126, पॉकेट - 00, सेक्टर - 2, तीसरी मंजिल, रोहिणी, दिल्ली-110085

जैसा कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओए नं. 308/2016/डीआरटी-III में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 1,17,66,927.98/- (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ सत्ताईस और अठानवे पैसे मात्र) के साथ खर्च एवं आनुषंगिक खर्च तथा उस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तिथि 29.03.2016 से, के साथ सम्पूर्ण रकम का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 13.09.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" द्वारा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्योर), ए-201/208, वॉल स्ट्रीट- II, ओरिएंट क्लब के सामने गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) दूरभाष: +91 07940230808 -816/817/818/821/824/831/832 फैक्स +91 7940016876 की वेबसाइट:- http://www.drt.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जाएगी। किसी भी शंका के मामले में, श्री कुशल कोठारी मोबाइल नं. 08980690773 ईमेल: kushal@auctiontiger.net, श्री रिकिन, मोबाइल नं. 09978591888, ईमेल rikin@auctiontiger.net पर सम्पर्क करें।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: श्री नीरज रस्तोगी, सीएच बैंक के अधिकारी, मोबाइल नं 9871286176

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावें, जो अब तक सुनिश्चित है, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसका बिक्री के सिलसिले में कोई कर्तव्य/निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य और ईएमडी निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	वाणिज्यिक संपत्तियों दो दुकानें, प्राईवेट नंबर 3 और 4 दक्षिणी ओर, सुपर एरिया मापदंड 106.7 वर्ग फुट प्रत्येक दुकान तीसरी मंजिल पर, बिना छत फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नगर निगम नंबर 2519-20, गली नंबर 7, वार्ड नंबर XVI, खसरा नंबर 2121/297, बीडोनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित (प्लॉट क्षेत्र 83 वर्ग गज में से)।	रु.16,00,000/- (रूपये सोलह लाख मात्र) ईएमडी: 1,60,000/- (रूपये एक लाख साठ हजार मात्र)

संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रोपर्टी को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
3. उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल उच्चतम बोलीदाता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
4. ईएमडी का भुगतान 11.09.2019 तक रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा मुहरबंद लिफाफे में जमा किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल न. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हो तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद वाले मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच की के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
6. सफल उच्चतम बोलीदाता को अगले कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपरलिखित पैरा में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
7. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी- I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
8. संपत्ति दिनांक 06.09.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
10. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है तथा जो भी वहां है आधार पर" की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में संपत्तियों के खिलाफ राजस्व/अतिक्रमण या दावे का कोई विवरण नहीं है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने से पहले, स्वैच्छिक से बिजली/पानी/हाउस टैक्स के बिलों या किसी अन्य नकदीकरण आदि की बकाया राशि जमा करने की सलाह दी जाती है।
13. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 2 जुलाई 2019 को दी गई।

(अनिल कुमार यादव)
रिकवरी अधिकारी- I,
डीआरटी-III, दिल्ली

HARYANA GLOBAL LIMITED
CIN No.U27320DL1997PLC089540
Regd. office: A-5/11, Sector-16, Rohini, New Delhi-110085
NOTICE
"Form No. INC-26 Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI AND IN THE MATTER OF SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF COMPANIES ACT, 2013 AND CLAUSE (A) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF HARYANA GLOBAL LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT A-5/11, SECTOR-16, ROHINI, NEW DELHI-110085.
……., PETITIONER

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the CentralGovernment under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 18th July 2019 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Haryana"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan CGO Complex , New Delhi within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below

A-5/11, Sector-16, Rohini, New Delhi-110085
For and on behalf of the Applicant
HARYANA GLOBAL LIMITED
Sd/-
Narender Kumar Gupta(Director)
Date: 20th July 2019. Place:- Delhi, DIN No. 00242965

HARYANA COATING PRIVATE LIMITED
CIN No.U24222DL1999PTC098067
Regd. office: A-5/11, Sector-16, Rohini, New Delhi-110085
NOTICE
"Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI AND IN THE MATTER OF SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF COMPANIES ACT, 2013 AND CLAUSE (A) OF SUB- RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF HARYANA COATING PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT A-5/11, SECTOR-16, ROHINI, NEW DELHI-110085.
……., PETITIONER

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central, Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 18th July 2019 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan CGO Complex , New Delhi within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

A-5/11, SECTOR-16, ROHINI, NEW DELHI-110085
For and on behalf of the Applicant
HARYANA COATING PRIVATE LIMITED
Sd/-
Hanuman Parsad Aggarwal (Director)
Date: 20thJuly 2019, Place:- Delhi DIN No. 00243237

UNIQUE AUTORUBBER UDYOG PRIVATE LIMITED
CIN No.U34300DL2005PTC139634
Regd. office: Shop No. 4474, First Floor Main Bazaar, Pahar Ganj New Delhi-110052
NOTICE
"Form No. INC-26 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, DELHI AND IN THE MATTER OF SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF COMPANIES ACT, 2013 AND CLAUSE (A) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF UNIQUE AUTORUBBER UDYOG PRIVATELIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT SHOP NO.4474, FIRST FLOOR MAIN BAZAAR, PAHAR GANJ NEW DELHI-110052.
……., PETITIONER

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the CentralGovernment under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 13th July 2019 to enable the company to change its Registered Office from 'NCT of Delhi' to 'State of Haryana'.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the the Regional Director, Northern Region at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan CGO Complex , New Delhi within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Shop No.4474, First Floor Main Bazaar, Pahar Ganj New Delhi-110052
For and on behalf of the Applicant
UNIQUE AUTORUBBER UDYOG PRIVATE LIMITED
Sd/-
Shalender Kumar Garg (Director)
Date: 18thJuly 2019, Place:- Delhi DIN No. 00066103

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
सर्किल कार्यालय : पीएनबी हाउस, यमुना पुरम, बुलंदशहर-203001
सार्वजनिक सूचना

बैंक द्वारा जब भी केवाईसी दस्तावेजों के अद्यतनीकरण हेतु अनुरोध किया जाता है, बैंक के सभी ग्राहकों से, पीएमएल अधिनियम/नियमावली तथा आरबीआई दिशानिर्देशों के निबन्धनों में, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

तदनुसार, बैंक के सभी खाता धारकों, जिनके द्वारा अपना केवाईसी अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है, से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे अतिशीघ्र अपनी शाखा में आवश्यक केवाईसी दस्तावेज (आधार / पैन / वोटर आईडी कार्ड / ड्राइविंग लाइसेन्स/ पासपोट / एनआरईजीए जॉब कार्ड इत्यादि) जिसमें पहचान एवं पता प्रमाण दिया गया हो, एक हाल की फोटो और घोषित पेशे/गतिविधि, व्यवसाय के प्रकार, वार्षिक आय, टर्नओवर (व्यवसाय के मामले में) के समर्थन में कम से कम एक दस्तावेज के साथ सम्पर्क करें। न्यून जोखिम ग्राहक एक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि उनकी पहचान एवं पते के संबंध में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कानूनी संस्थाओं को अद्यतित केवाईसी दस्तावेजों की नई प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

इसके अतिरिक्त, जिन ग्राहकों ने अभी तक अपने खाते में पैन अथवा फार्म नंबर 60 जमा नहीं किया है, उनसे अपनी शाखा में अतिशीघ्र जमा करने का अनुरोध किया जाता है। यदि शाखा पधारना संभव नहीं है, केवाईसी दस्तावेज/आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति पत्र डाक द्वारा अग्रसरित किया जा सकता है।

कृपया नोट करें कि केवाईसी अपेक्षाओं का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में, बैंक का खाता बंद करने/खाते में प्रचालन प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्षेत्रीय प्रबंधक

SRF
एस आर एफ लिमिटेड
सीआईएन: L18101DL1970PLC005197
पंजीकृत कार्यालय: द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091
कॉर्पोरेट कार्यालय: ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003
फोन: +91-124-4354400, फैक्स: +91-124-4354500
ई-मेल: info@srf.com; वेबसाइट: www.srf.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 42 तथा 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 5 अगस्त 2019 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 जून 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु समता अंशों पर अंतरिम लाभांश की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव, यदि हो, पर विचार करने हेतु आयोजित की जाएगी।

अंतरिम लाभांश का भुगतान, यदि घोषित होता है तो, उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम रिकॉर्ड डेट अर्थात् बुधवार, 14 अगस्त 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में उपस्थित हो तथा जो नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त तिथि को लाभभोगी स्वामी होंगे।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एसआरएफ लिमिटेड
हस्ता./-
रजत लखनपाल
एवीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कम्पनी सचिव
स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 23 जुलाई, 2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
पंचशील पार्क शाखा, पंचशील क्लब कैम्पस, नई दिल्ली-17
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंचशील पार्क, नई दिल्ली शाखा, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 02/05/2019 जारी की थी, जिसके द्वारा कर्जदारः श्री सुरेश कुमार, श्रीमती सुशमा राठौर, को सूचना में उल्लिखित राशि रु.29,17,276/- (उनत्तीस लाख सत्रह हजार दो सौ छिहत्तर रूपये मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 18.07.2019 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.29,17,276/- (उनत्तीस लाख सत्रह हजार दो सौ छिहत्तर रूपये मात्र) प्लस दिनांक 02.05.2019 से ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंचशील पार्क, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं.329/जीएफ, एफएफ, एसएफ एवं टीएफ, वार्ड सं.04, महरौली, नई दिल्ली-110030 से सम्बन्धित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से परिमाप 200 वर्ग गज, जो घिरा है:
उत्तर: मकान नं.329/IV (नया) दक्षिण: एवेक्यू प्लॉट
पूर्व: गली पश्चिम: मकान नं.329/IV (नया)

कृपया नोट करें कि इस सूचना के पूर्व में "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(4) तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन" के अंतर्गत जारी सभी सूचनाएं, यदि कोई हो, निरस्त की जाती हैं।

स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 18/07/2019 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पहाड़ी राज्य मांग पर अडिग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने केंद्र सरकार के सामने ग्रीन बोनस दिए जाने की मांग जोरशोर से उठाई थी। राज्य सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार बजट में उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों के लिए ग्रीन बोनस का प्रावधान रखेगी। परंतु उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों को निराशा हाथ लगी। उत्तराखंड सरकार ने नीति आयोग के सामने भी ग्रीन बोनस का मामला बड़े जोर शोर से रखा है।

चिकित्सा शिक्षा में व्यापक बदलाव लाएगा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनसीएम) बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक 2019 पेश किया। इस विधेयक के जरिए 63 साल पुराने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआइ) को भंग कर उसकी जगह मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा वृति और मेडिकल संस्थाओं के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) गठित करने का प्रावधान किया गया है। 16वीं लोकसभा में भी यह विधेयक पेश किया गया था और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों की संसदीय स्थायू समिति ने इस पर मुहर लगा दी। लेकिन 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद यह समाप्त हो गया।

विधेयक में क्या हैं प्रावधान

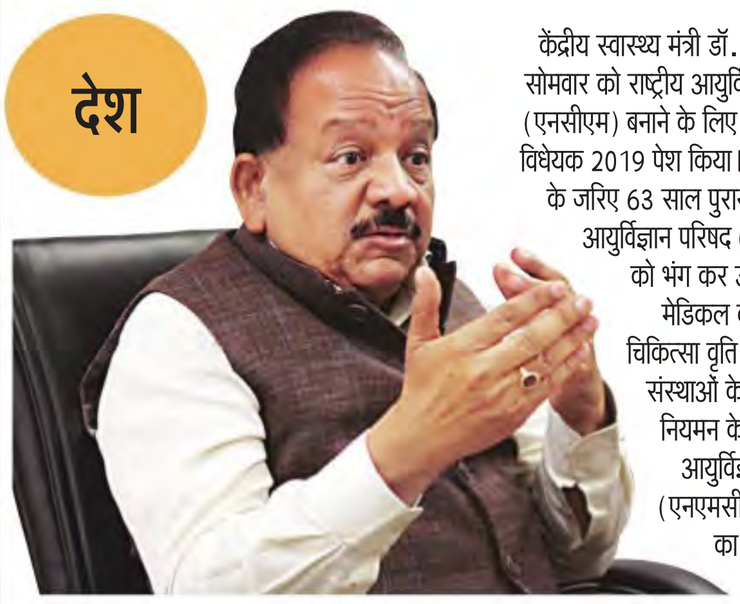

इस विधेयक में देश में चिकित्सा की शिक्षा को एक समान बनाने का प्रस्ताव है। मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट खत्म कर एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के परिणाम को आधार बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही विदेशों से एमबीबीएस करने वालों को पीजी में दाखिला देने के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) का प्रावधान प्रस्तावित है। एमबीबीएस और पीजी कोर्स में 50 फीसद सीटों के लिए फीस के नियंत्रण का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में आयोग को सलाह देने और सिफारिशें करने के लिए एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन हो जाने के बाद आयुर्वेद और होम्योपैथिक के चिकित्सक भी प्राथमिक स्तर पर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके लिए आयोग उन्हें बतौर सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता लाइसेंस जारी करेगा।

राज्य सरकारों को छूट होगी कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक, चिकित्सकों के अलावा, बीएससी (नर्सिंग), बीडीएस, बीफार्मा डिग्री धारकों को भी इसकी इजाजत दे सके।

63 साल पुरानी एमसीआइ को भंग कर नया ढांचा तैयार करने का विधेयक

देश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनसीएम) बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक 2019 पेश किया। इस विधेयक के जरिए 63 साल पुराने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआइ) को भंग कर उसकी जगह मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा वृति और मेडिकल संस्थाओं के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) गठित करने का प्रावधान किया गया है।

ब्रिज कोर्स का मसला

विधेयक में इसके लिए सीधे-सीधे किसी ब्रिज कोर्स का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि लाइसेंस जारी करने के लिए जरूरी मानदंड आयोग का गठन होने के बाद तैयार किए जाएंगे। किसी भी सूरत में इस श्रेणी में जारी करने वाले लाइसेंस की संख्या पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। विधेयक के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता प्राथमिक स्तर पर अपने स्तर पर मरीजों को कुछ खास दवाएं दे सकेंगे। प्रस्तावित विधेयक में मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के तरीकों में बदलाव का सुझाव है। मान्यता के लिए सालाना रीन्यूअल की जरूरत नहीं होगी। कॉलेज को अपने स्तर पर सीटें बढ़ाने की छूट होगी। अधिकतम सीमा अभी जैसी 250 ही रखी जाएगी।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का स्वरूप

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में 25 सदस्य होंगे, जिन्हें एक सर्च कमेटी चुनेगी। कैबिनेट सचिव इसके प्रमुख होंगे। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि आयोग के गठन के साथ ही प्रस्तावित नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) शुरू नहीं होगी। इसे आयोग के गठन से तीन साल के भीतर शुरू किया जाएगा। जब तक नेक्स्ट शुरू नहीं होता परीक्षा की पुरानी व्यवस्था ही कायम रहेगी।

एमसीआइ भंग का प्रस्ताव क्यों

परिवार एवं कल्याण पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट में एमसीआइ की आलोचना करते हुए कहा, 'सक्षम चिकित्सक तैयार करने और गुणवत्ता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाया। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा अपने निम्नतम स्तर पर है। चिकित्सा शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था सही ढंग के पेशेवरों को तैयार नहीं कर पा रही। देश की आधारभूत स्वास्थ्य जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि मेडिकल शिक्षा और पाठ्यक्रम को हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के मुताबिक तैयार नहीं किया गया है। मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले कई लोग तो गरीबों के लिए बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या जिला स्तर तक भी काम करने के योग्य नहीं हैं।

स्थायी समिति की राय का आधार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी 92वीं रिपोर्ट में आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय की विनियामक पद्धति का पुनर्गठन और सुधार की सिफारिश की है। सिफारिश डॉ. रंजीत रायचौधरी की अध्यक्षता वाले विशेष समूह द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में मॉडर्न डेंटल कालेज रिसर्च सेंटर व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में दो मई 2016 को केंद्र सरकार को रायचौधरी समिति की सिफारिशों पर विचार करने और समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लोकसभा में 29 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 लाया गया। इसे विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति ने बाद में इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश की। सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 28 मार्च, 2018 को लोकसभा में लंबित विधेयक के संबंध में शासकीय संशोधन प्रस्तुत किया था लेकिन 16वीं लोकसभा के विघटन के कारण इसे विचार एवं पारित किए जाने के लिए नहीं लाया जा सका।

'गरीबों की किताब' का बंद होगा अध्याय

सुशील राघव
नई दिल्ली।

कहते हैं कि 'दीवारों के भी कान होते हैं' लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की दीवारें तो 'बोलती' थीं। ये आंदोलनों में भाग लेतीं और हर आने जाने वाले को संघर्ष का संदेश देती थीं लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल, जेएनयू प्रशासन की ओर से स्वच्छता को देखते हुए विश्वविद्यालय में मौजूद भवनों की दीवारों पर कुछ भी लिखने या पोस्टर लगाने को प्रतिबंधित कर दिया है।

स्वच्छ जेएनयू के निदेशक प्रोफेसर पीके जोहरी की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि दिल्ली संपत्ति विरूपित रोकथाम अधिनियम 2007 और जेएनयू कार्यकारी परिषद (ईसी) की 13 मार्च 2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के प्रकाश में पहले 10 जून 2019 और फिर 1 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दीवारों पर गंदा नहीं करने के संबंध में परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें जेएनयू के सभी लोगों से कहा गया है कि वे अपने पोस्टर आदि को नियत स्थान पर लगाएं। इन नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ दिल्ली संपत्ति विरूपित रोकथाम अधिनियम 2007 और विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का यह फरमान विद्यार्थियों को रास नहीं आ रहा है और उन्होंन इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने को फैसला किया है।

देश/दिल्ली

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष एन साई बालाजी ने कहा कि दीवारें गरीबों की किताबें होने के साथ साथ समाज का आईना होती हैं। जेएनयू के विद्यार्थी किताबों के साथ इन दीवारों से भी अपनी पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि 40 साल से जारी जेएनयू की इस परंपरा को एक झटके में कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन दीवारों पर कई विद्यार्थियों ने अपनी एमफिल-पीएचडी की है और जेएनयू प्रशासन उन्हीं दीवारों को सूना करने पर आमादा है। जेएनयू में एबीवीपी के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने कहा कि जेएनयू प्रशासन अचानक एक तानाशाही निर्णय कैसे कर सकता है। उन्होंने छात्र संघ पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आज यह स्थिति विश्वविद्यालय के सामने आई है। उन्होंने छात्र संघ से सवाल भी किया कि 2015 के बाद दीवारों पर नए पोस्टर क्यों नहीं लगाए गए?

जेएनयू के विद्यार्थी और शिक्षक रहे प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताया कि दीवारों पर पोस्टर लगाने और कार्टून बनाने की परंपरा विश्वविद्यालय के शुरुआती सालों से ही है। उन्होंने बताया कि हमारे युवा बुद्धिजीवी इन पोस्टर और कार्टून के माध्यम से समसामयिक प्रश्न उठाते हैं और यह परंपरा पांच दशकों से लगातार जारी है। विद्यार्थी इन दीवारों पर पोस्टरों के माध्यम से प्रमुख विचारकों, मुद्दों और आंदोलनों की बातों को लोगों के सामने रखते हैं। इन पोस्टरों में अश्लीलता, हिंसा, जातिवाद, सांप्रदयिकता या राष्ट्रविरोधी विचारों को जगह नहीं मिलती। एक मायने में तो ये पोस्टर विश्वविद्यालय की शोभा हैं। अगर कोई व्यक्ति इन पोस्टरों को गंदगी से जोड़ता है तो मुझे उसकी सोच और निर्णय पर चिंता होती है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि इन दीवारों से हमें ज्ञान और चेतना मिलती है।

चिकित्सा महकमा ही बीमार, डॉक्टरों व नर्स के हजारों पद खाली

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान में लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाला चिकित्सा महकमा ही बीमारी की हालत में है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 7 हजार से ज्यादा तो डॉक्टरों के पद ही खाली हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के कई श्रेणियों की 20 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के बावजूद सरकार ने अपने बजट में मोहल्ला और जनता क्लीनिक खोलने का एलान कर दिया है।

प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला अस्पताल हैं तो संभाग स्तर पर सरकार के सात बडे मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अस्पताल हैं। इन सभी में काफी पद खाली हैं।

इनके अलावा प्रदेश 3 हजार 971 स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्रदेश भर में 1817 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2124 उप स्वास्थ्य केंद्र है। प्रदेश के इन सभी केंद्रों पर डॉक्टर और नर्स के स्वीकृत पदों के मुकाबले आधे से भी ज्यादा खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की तो बहुत ही बुरी हालत है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों के पद खाली रहने से दुर्घटना होने पर घायलों को जिला अस्पतालों में ही लाना पड़ता है। इसके बावजूद प्रदेश के हर साल के बजट में सरकार चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बडी रकम का प्रावधान करती है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के साथ ही अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों के हाल भी बुरे हैं। इसके कारण 10 वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई बड़े निजी अस्पताल खुल गए। जयपुर का एसएमएस अस्पताल सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान है पर इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है और न ही उच्च तकनीक अपनाई जा रही है।

राजस्थान

एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने के लिए शहर में सेटेलाइट अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की कवायद भी किसी स्तर पर नहीं चलने से हालात खराब होने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को अपने अस्पतालों की हालात में सुधार करना है तो सबसे पहले डॉक्टरों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ का पूरा इंतजाम करना होगा। राजस्थान चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह का कहना है कि सरकार को फौरन ही स्टाफ की कमी को दूर करना चाहिए। हालांकि सरकार ने हाल में डॉक्टरों और नर्स समेत अन्य पदों पर भर्तियां करने का फैसला किया है, पर यह बहुत कम है।

प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी है। सरकार इसे दूर करने में लगी हुई है। सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। डॉक्टरों के 737 पदों पर भर्तियों के लिए वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा विभाग ने 2000 डॉक्टरों के पदों के लिए भी विभाग ने वित्त महकमे को प्रस्ताव भिजवाया हुआ है। उनका कहना है कि सरकार का प्रयास है कि डॉक्टर का एक भी पद रिक्त नहीं रहे। विभाग प्रयास कर रहा है कि प्रदेश के हर हिस्से में विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवाएं लोगों को उपलब्ध हों। प्रदेश की जनता को निशुल्क दवा योजना के तहत 608 दवाएं निशुल्क मुहैया कराई जा रही है।अब इसमें कैंसर, हार्ट, किडनी आदि गंभीर रोगों की दवाइयां भी निशुल्क मिलने लगेंगी जिससे इन गंभीर बीमारियों का इलाज में लोगों को लाभ मिलेगा। जिला स्तर पर हैपेटाइटिस के उपचार की सुविधा सरकार ने 7 जून से उपलब्ध करवानी शुरू कर दी है।

प्रस्तावों को राज्यसभा की प्रवर समिति में भेजने की मांग

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली।

आरटीआइ (सूचना का अधिकार) कानून में संशोधन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में गया है। लेकिन इसे लेकर विरोध की आवाज उठने लगी है। आरटीआइ कार्यकर्ताओं का सवाल है कि बिना सार्वजनिक सूचना जारी किए कानून में संशोधन का प्रस्ताव क्यों रखा गया। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन चल रहा है। पिछले साल लखनऊ से आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने हजारों लोगों से पोस्टकार्ड लिखवाकर दिल्ली भेजे थे। इन प्रस्तावों को पहले चयन समिति में भेजने की मांग की जा रही है।

विरोध जताने वालों में केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल सभी सूचना आयुक्तों को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को गलत बताया था। उन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखकर इस संशोधन को पास न होने देने की मांग की है। सतर्क नागरिक संगठन और सूचना के जन अधिकार का राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआइ) से जुड़ी अंजलि भारद्वाज कहती हैं कि संशोधन के लिए दिए गए तर्क बेबुनियाद हैं। अगर हम किसी स्वतंत्र संस्था के वेतन और सेवा नियमावली से जुड़े अधिकार सरकार को देंगे तो जाहिर है कि हम उनकी स्वतंत्रता भी छीनेंगे।

देश

बकौल अंजलि, 'ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सांविधिक संस्था संवैधानिक संस्था के बराबर वेतन नहीं ले सकती।' अंजलि कहती हैं कि हमारी मांग है कि इसे राज्यसभा में रखने से पहले प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजा जाए। दिल्ली में काफी पहले परिवर्तन संस्था से जुड़े रहे आरटीआइ कार्यकर्ता रामाश्रेय, लखनऊ में आरटीआइ कार्यकर्ता संजय शर्मा और तनवीर, बरेली में आरटीआइ कार्यकर्ता मुहम्मद खालिद जीलानी और डॉक्टर प्रदीप मिश्र कहते हैं कि संशोधन के बाद आरटीआइ कानून में सरकार का दखल इसे पंगु बनाएगा। मौजूदा कानून में किसी सुधार की गुंजाइश नहीं है।

आरटीआइ कानून में संशोधन विधेयक

संशोधन प्रस्ताव का आधार

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवाकाल की शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होगा। केंद्र और राज्य के सूचना आयुक्तों के कार्यकाल की अवधि को भी केंद्र निर्धारित करेगा, जो मौजूदा समय में पांच साल है। चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 (1) के तहत एक संवैधानिक संस्था है, जिस पर संविधान के अनुसार लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जबकि सूचना आयुक्त एक सांविधिक संस्था है जो आरटीआइ कानून 2005 के तहत बनाई गई है। इसलिए, शासनादेश के मुताबिक चुनाव आयोग और सूचना आयोग भिन्न हैं। संवैधानिक संस्था वह है, जिसके बारे में संविधान में व्यवस्था दी गई हो और सांविधिक संस्था वह है जिसे कोई कानून बनाकर स्थापित किया गया हो।

सूचना का अधिकार

पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्तों के तर्क

2005 से 2010 तक बतौर सूचना आयुक्त तैनात प्रोफेसर एमएम अंसारी कहते हैं कि प्रस्ताव के संशोधन से पहले इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था जोकि नहीं किया गया। अंसारी कहते हैं कि यह वही कानून है जिससे बड़े-बड़े घोटाले सामने आए। 2008 से 2013 तक केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे एमएल शर्मा का कहना है कि अगर केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में बदलाव किए जाते हैं तो इससे पद की गरिमा और शक्ति कम हो जाएगी।

मजबूत होगा कानून

विधेयक का मकसद अधिनियम को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, व्यवस्थित तथा परिणामोन्मुखी बनाना है। इससे आरटीआइ का ढांचा संपूर्ण रूप से मजबूत होगा और यह विधेयक प्रशासनिक उद्देश्य से लाया गया है।

-जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री

इस संशोधन के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ चुनाव आयोग की नियुक्ति और वेतन से संबंधित फैसले लेने का अधिकार अब केंद्र सरकार के पास होगा।

-विजय गोयल, राज्यसभा सांसद

वर्तमान संशोधन विधेयक अधिनियम को और सुव्यवस्थित और संस्थागत बनाएगा और साथ ही साथ आरटीआइ अधिनियम के निष्पादन में और भी आसानी लाएगा।

-जेपी नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा

हिमालयी राज्य कर सकते हैं ग्रीन बोनस की मांग

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

पहाड़ों की रानी मसूरी में 28 जुलाई को 11 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जुटेंगे। वे हिमालयी राज्यों की समस्याओं पर मंथन और चिंतन करेंगे और तरक्की का रास्ता बनाएंगे। इस समय हिमालयी राज्य संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले ये हिमालयी राज्य विकास का कौन सा तरीका अपनाएं।

इन हिमालयी राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं इन राज्यों के जंगलों और नदियों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनरत हैं, वही इन राज्यों के मुखिया और नौकरशाह किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने-अपने राज्यों का विकास करें। एक विचार यह भी है कि इन पर्वतीय राज्यों को केंद्र सरकार ग्रीन बोनस दे। माना जा रहा है कि 28 जुलाई को सभी हिमालयी राज्य एक सुर से ग्रीन बोनस देने की मांग उठाएंगे।

2009 में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक बने थे तब उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड के पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करने के एवज में केंद्र सरकार से ग्रीन बोनस की मांग की थी। तब केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार थी। तब यूपीए सरकार ने निशंक सरकार की मांगों पर कोई गौर नहीं किया। परंतु जैसे-जैसे पर्यावरणविदों के आंदोलन तेज होते गए और राज्य की कई जल विद्युत परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी। उसके बाद निशंक के ग्रीन बोनस की मांग उनके बाद राज्य के अन्य मुख्यमंत्रियों की समझ में आयी।

उत्तराखंड

पूरी उम्मीद है कि नीति आयोग पर्वतीय राज्यों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझेगा और पर्यावरण की रक्षा करने वाले हिमालयी राज्यों के विकास के लिए ग्रीन बोनस की व्यवस्था करेगा।

-त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

जब मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपीए सरकार के समय केंद्र से उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों को पर्यावरण की रक्षा के एवज में ग्रीन बोनस देने की मांग की थी, तब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था और आज उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनेता ग्रीन बोनस की अहमियत को समझ रहे हैं। यह उनके लिए संतोष की बात है।

-डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड

सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने भी हिमालयी राज्यों का ग्रीन बोनस के मुद्दे को लेकर एक सर्वे करवाया था। इसके तहत उत्तराखंड के लिए 40 हजार करोड़ रुपए के ग्रीन बोनस का एक खाका भी तैयार किया गया था। मौजूदा राज्य सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष उत्तराखंड के लिए 95 हजार करोड़ रुपए के ग्रीन बोनस की मांग रखी थी। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो अन्य हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस के मामले में राह दिखा रहा है।

उत्तराखंड का 63.41 फीसद भू भाग सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यही स्थिति उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में 66.5 2 फीसद भूभाग पर जंगल है। उत्तराखंड के राजस्व विभाग के मुताबिक राज्य में 12 फीसद भूमि ऐसी है, जिसमें खेती होती है। बाकी भूमि पर चारागाह और झाड़ियां हैं या यह भूमि बंजर है। साथ ही हिमालयी राज्यों पर पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ जंगलों की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। इन राज्यों के विकास में जंगल सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन होने के कारण उत्तराखंड राज्य में कई जल विद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव जाने-माने अथर्शास्त्री इंदु कुमार पांडे का कहना है कि राज्य को ग्रीन बोनस मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार उत्तराखंड को दो तरह से ग्रीन बोनस प्रदान कर सकती है। पहला विशेष अनुदान के रूप में और दूसरा अधिमान के तौर पर। केंद्र सरकार को हिमालयी राज्यों के विकास के लिए अपनी योजनाओं में उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए। उत्तराखंड को 14 वित्त आयोग ने 75 फीसद अधिमान दिया था और 15वें वित्त आयोग में इस अधिमान में और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए।

देश भर के केंद्रीय विद्यालयों की 21 इमारतें असुरक्षित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

देश भर के केंद्रीय विद्यालयों की 21 इमारतों की स्थिति बदहाल है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने एक ऑडिट में इन इमारतों के आंशिक या पूरी तरह से असुरक्षित होने की बात कही है। जिसके बाद मंत्रालय ने विद्यालयों को वहां कक्षा न चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के आयुक्त संतोष कुमार मल्ल का कहना है कि जिन विद्यालयों की कक्षाएं असुरक्षित हैं वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों को सिर्फ सुरक्षित कक्षाओं में ही पढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए स्कूल को दो पालियों (शिफ्ट) में चलाया जा रहा है। साथ ही इन कक्षाओं को दूसरे इमारत में स्थानांतरित किया गया है। आयुक्त ने बताया कि इन विद्यालयों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इनका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पुरानी इमारतों में सबसे अधिक महाराष्ट्र (आठ) और फिर असम (तीन) में हैं। महाराष्ट्र के इन आठ भवनों में से तीन का निर्माण 1960 में हुआ था। उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऐसे दो-दो भवन हैं जबकि त्रिपुरा, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और सिक्किम में एक ऐसी इमारत है। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक केवीएस ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के जरिए 10 साल से अधिक पुराने भवनों की तकनीकी ऑडिट करने की शुरुआत की है। 21 असुरक्षित केंद्रीय विद्यालय भवन में से 18 आंशिक रूप से जबकि तीन को पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। पूरी तरह से असुरक्षित पाई गईं इमारतें गुजरात और महाराष्ट्र में हैं।

अधिकारी ने कहा कि चार केंद्रीय विद्यालयों में असुरक्षित स्कूल इमारतों को बदले जाने के काम को स्वीकृति दी गई है। इनमें गुजरात की एक और महाराष्ट्र की तीन इमारतें शामिल हैं। विद्यालय संगठन प्रायोजकों की तरफ से उपलब्ध कराए गए अस्थायी परिसरों में 260 से अधिक केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। कुल मिलाकर संगठन पूरे देश में 1,206 केंद्रीय विद्यालय चलाता है।

सही दिशा में बढ़ रहा है चंद्रयान-2

बंगलुरु, 23 जुलाई (भाषा)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को कहा कि 'चंद्रयान -2' अंतरिक्ष यान अच्छी स्थिति में है। यह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी-एमके ।।। -एम1 रॉकेट के माध्यम से 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण किया था। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को उतारना है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा, 'चंद्रयान-2 अच्छी स्थिति में है। वह सही दिशा में बढ़ रहा है।' उन्होंने कहा कि इस समय इस मिशन पर किसी अपडेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'वैसे तो एक छोटी सी उपलब्धि है जिसे हम अभी नहीं बताएंगे। लेकिन जब सही समय आएगा तो उसकी सूचना सामने रखेंगे।'

देश के महत्त्वाकांक्षी और निम्न लागत वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो ने सबसे जटिल मिशन को हाथ में लिया है। इसका लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर रोवर को उतारना है। यदि मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान -2 के रॉकेट से अलग होने के तत्काल बाद इस अंतरिक्ष यान का सौर पैनल सक्रिय हो गया और बंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमान नेटवर्क ने इस अंतरिक्ष यान का नियंत्रण सफलतापूर्वक अपने हाथ में ले लिया।

युवक पर शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाने का मामला दर्ज

जयपुर, 23 जुलाई (भाषा)।

जयपुर आयुक्तालय के करधनी थाना क्षेत्र में 22 साल की युवती ने एक युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस जांच अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता आरोपी हार्दिक शर्मा के साथ 2017 से साथ रह रही थी। सोमवार रात युवती ने आरोपी के खिलाफ शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया।

जांच अधिकारी ने बताया कि दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 496 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायतकर्ता युवती की मेडिकल जांच कराई गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

वहीं, भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने मोहम्मद सईद नाम के शख्स के खिलाफ इन आरोपों में केस दर्ज कराया है कि सईद ने उसके साथ कई बार 'गलत काम' किया, उसका वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पुलिस जांच अधिकारी शिवनारायण ने बताया कि दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

निजी विवि सुनिश्चित करें, परिसर में 'राष्ट्रविरोधी' गतिविधियां न हों

लखनऊ, 23 जुलाई (भाषा)

उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर के भीतर राष्ट्रविरोधी गतिविधियां न हों। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पेश किया गया है। विधेयक में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उनमें यह शर्त भी है कि विश्वविद्यालय के नाम से 'राष्ट्रविरोधी' क्रियाकलाप करने या उन्हें किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना होगा। विश्वविद्यालय में ऐसी कोई क्रियाकलाप देखे जाने पर इसे विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की शर्तों का महाउल्लंघन माना जाएगा। ऐसा होने पर सरकार प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।

विद्युत विभाग, अधिशासी अभियंता का कार्यालय (ई), एसएलडीसी डिवीजन
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद
कमरा नं 1610, 16वां तल, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली-110001
ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
निविदा आईडी सं. - 2019_NDMC_176807_1
निविदा प्रकाशन की तिथि : 22.07.2019
अनुमानित लागत राशि : ₹ 1,41,55,000/-
बयाना राशि : ₹ 2,83,100/-
निविदा-पूर्व बैठक की तिथि एवं समय : 05.08.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नं 1501, 15वीं मंजिल, पालिका केंद्र, नई दिल्ली-110001 में
बोली प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय : 23.08.2019 को अपराह्न 3.30 बजे
बोली खुलने की तिथि/समय : 23.08.2019 को अपराह्न 4.00 बजे
विस्तृत जानकारी के लिए https://govtprocurement.delhi.gov.in या www.ndmc.gov.in देखें
नोट: एनडीएमसी में ई-निविदा/आरएफपी में भाग लेने के लिए आवेदन सेवा प्रदाता एनआईसी के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। पूर्व में आईडी नं. 2019_NDMC_176344_1 के माध्यम से आमंत्रित आरएफपी को निरस्त किया जाता है।
अधिशासी अभियंता (ई) एसएलडीसी
To be the global Benchmark for a Capital City

HDFC
WITH YOU, RIGHT THROUGH

हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-67
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : एल70100एमएच1977पीएलसी019916, वेबसाइट : www.hdfc.com, फोन: 011-41596568/676

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अन्तर्गत।

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (एचडीएफसी लिमिटेड)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचनाएं निर्गमित की थीं, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ताओं/ विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधिगणों को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार सम्बन्धित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सम्बन्धित मांग सूचनाओं में वर्णित राशियों का भुगतान करने को कहा गया था। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा इन सूचनाओं को उक्त उधारकर्ताओं/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधिगणों के अन्तिम ज्ञात सम्बन्धित पतों के परिसरों पर चिपकाया गया है। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा उक्त उधारकर्तागण/विधिक वारिस/विधिक प्रतिनिधिगण, यदि वे चाहें, तो किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बन्धित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्तागणों/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधिगणों को **एचडीएफसी लिमिटेड** को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर, यहां इसमें नीचे उनके सम्बन्धित नामों के समक्ष वर्णित राशियों का, उक्त मांग सूचनाओं में विवरणितानुसार 18% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित ऋण अनुबन्ध तथा अन्य प्रलेखों/दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ पठित, निम्न वर्णित स्तम्भ (ग) में सम्बन्धित तिथियों से भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक भुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ताओं द्वारा क्रमशः निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु एचडीएफसी लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में बन्धक रखा गया है।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के एवज में उपलब्ध समय में सुरक्षित सम्पत्तियों हेतु उधारकर्तागणों/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधिगणों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया देयराशियां	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1.	श्री संदीप पुंज एवं श्रीमती हेमा रंचन पुंज **दोनों का निवास** : मकान नं. : 167, सराय जुलेना ओखला रोड, नई दिल्ली - 110025 (ऋण खाता संख्या 601487438)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 24,87,452/-	18-जून-2019	आबंटन पत्र दिनांक 25.08.2010 को श्री संदीप पुंज पुत्र श्री नरेन्दर पाल पुंज और श्रीमती हेमा रंचन पुंज पत्नी श्री संदीप पुंज के पक्ष में आबंटित निचली भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ अंसल गोल्फ लिंक, सैक्टर-114, खरार लैंड्रान रोड, खरार, मोहाली-160055 में स्थित यूनिट नं. 927-जीएफ, एक्सक्लुसिव फ्लोर, जिसका निर्मित क्षेत्र 1275 वर्ग फीट है।
2.	श्री हर्षवर्धन बागेरिया, श्री सत्य प्रकाश बागेरिया, मैसर्स रोजवुड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती संतोष बागेरिया (ऋण खाता संख्या 625579733 और 625352059)	31 मई 2019 के अनुसार* रु. 1,52,48,154/-	5-जुलाई-2019	1. यूनिट/शॉप नं. 25, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। 2. यूनिट/शॉप नं. 26, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। 3. फ्लैट नं. 1001, 10वीं मंजिल, रायल रिट्रीट-II, चार्मवूड विलेज, लक्कड़पुर विलेज, इरोज गार्डन, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
3.	श्री हर्षवर्धन बागेरिया, श्री सत्य प्रकाश बागेरिया, मैसर्स रोजवुड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती संतोष बागेरिया (ऋण खाता संख्या 626265821 और 625392727)	31 मई 2019 के अनुसार* रु. 64,84,150/-	5-जुलाई-2019	1. यूनिट/शॉप नं. 26, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। 2. यूनिट/शॉप नं. 25, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। 3. फ्लैट नं. 1001, 10वीं मंजिल, रायल रिट्रीट-II, चार्मवूड विलेज, लक्कड़पुर विलेज, इरोज गार्डन, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
4.	श्री हर्षवर्धन बागेरिया, श्री सत्य प्रकाश बागेरिया, मैसर्स रोजवुड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती संतोष बागेरिया (ऋण खाता संख्या 625063209, 626221702, 626145075 और 625351515)	30 जून 2019 के अनुसार* रु. 3,38,41,565/-	5-जुलाई-2019	1. फ्लैट नं. 1001, 10वीं मंजिल, रायल रिट्रीट-II, चार्मवूड विलेज, लक्कड़पुर विलेज, इरोज गार्डन, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा। 2. यूनिट/शॉप नं. 25, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण। 3. यूनिट/शॉप नं. 26, प्रथम तल, चार्मवूड प्लाजा, इरोज गार्डन टाउन, फरीदाबाद, हरियाणा के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
5.	श्री हर्षवर्धन बागेरिया, श्री सत्य प्रकाश बागेरिया, मैसर्स रोजवुड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती संतोष बागेरिया (ऋण खाता संख्या 624944203 और 624305740)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 67,17,870/-	14-मई-2019	फ्लैट नं. जे-301, तीसरी मंजिल, वर्ल्ड रेजिडेंसी : जेएडीई, सुचेताकृपलानी मार्ग, शक्ति खण्ड IV, इंदिरापुरम, गाजियाबाद भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ।
6.	श्री हर्षवर्धन बागेरिया, श्री सत्य प्रकाश बागेरिया, मैसर्स रोजवुड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड एवं श्रीमती संतोष बागेरिया (ऋण खाता संख्या 624944289 और 624433027)	31 मई 2019 के अनुसार* रु. 67,71,299/-	5-जुलाई-2019	फ्लैट नं. जे-201, दूसरी मंजिल, वर्ल्ड रेजिडेंसी: टॉवर जेएडीई, सुचेताकृपलानी मार्ग, शक्ति खण्ड IV, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ।
7.	श्री अरूण प्रकाश गौतम, श्री विरेन्दर प्रकाश गौतम, श्री चन्द प्रकाश गौतम (कर्जदार), श्री संजय गौतम, श्री ललित गौतम (कर्जदारों/श्रीमती पन्ना देवी (सह-कर्जदार) (अब मृतक) के कर्जदार के कानूनी उत्तराधिकारी/ प्रतिनिधि और अन्य ज्ञान एवं अज्ञात कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं वारिस) (ऋण खाता संख्या 615389359)	30 जून 2019 के अनुसार* रु. 72,81,893/-	9-जुलाई-2019	प्लॉट नं. ए-120, ग्राउण्ड फ्लोर, अशोक एन्क्लेव पार्ट-II, सैक्टर 37, फरीदाबाद, हरियाणा और इस पर वर्तमान और भविष्य में निर्माण।
8.	श्री संजय टारी एवं श्रीमती प्रीती संजय टारी (ऋण खाता संख्या 617723991)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 12,03,851/-	29-मई-2019	अपार्टमेंट/फ्लैट नं. 1905, टाइप 2बी/आर, 19वां तल, ब्लॉक-टी6, पचशील हाइनिश, प्लॉट नं. जीएच-08ए, सैक्टर-1, ग्रेटर नोएडा-201308, उत्तर प्रदेश, लीज योग्य एरिया- 900 वर्ग फीट लगभग, निर्मित क्षेत्र-702.23 वर्ग फीट लगभग के साथ "पंचशील हाइनिश" में उससे सम्बद्ध सभी भाग और निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
9.	श्री भावेश लोहनी एवं सुश्री सलमा सुल्ताना (ऋण खाता संख्या 612172569)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 34,81,639/-	16-मई-2019	फ्लैट नं. 1108, 11वीं मंजिल, टॉवर ई, आम्रपाली स्प्रिंग मीडोज, प्लॉट जीएच-07ए, टैकजोन-IV, ग्रेटर नोएडा भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ
10.	सुश्री सौम्या अग्रवाल (सह-कर्जदार एवं श्री अर्पित कुमार गुप्ता (कर्जदार) (अब मृतक) की पत्नी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि) (ऋण खाता संख्या 621476403 और 621979172)	31 मई 2019 के अनुसार* रु. 43,93,990/-	12-जुलाई-2019	फ्लैट नं बी-1506, 15वीं मंजिल, टॉवर बी, अरिहंत अम्बरए प्लॉट नं. जीएच-16सी, सैक्टर 1, ग्रेटर नोएडा भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्सेदारी के साथ और इस पर वर्तमान और भविष्य में निर्माण।
11.	श्री रोहित त्यागी (ऋण खाता संख्या 626328079)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 37,64,419/-	30-मई-2019	"पैरामाउंट सिम्फोनी, यूक्का टॉवर के रूप में ज्ञात भवन", प्लॉट नं. 6, एनएच-24, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक, डुंडाहेडा, गाजियाबाद-201005, उत्तर प्रदेश में अपार्टमेंट/फ्लैट नं. 1001, 10वां तल के साथ उससे सम्बद्ध सभी भाग जिसका सुपर एरिया 1,425 वर्ग फीट (132.39 वर्ग मीटर) एव कवर्ड एरिया 1,206 वर्ग फीट (112.02 वर्ग मीटर है) के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
12.	श्री राहुल ममगई, श्री हरीश चंदा एव श्रीमती अनिता चंद्रा (ऋण खाता संख्या 613836464)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 32,26,278/-	31-मई-2019	प्लॉट नं 6/66, सैक्टर-6, वैशाली, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्लैट नं. 302 (एमआईजी), दूसरा तल, (छत अधिकार के साथ), कवर्ड एरिया 45 वर्ग मीटर और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
13.	श्री हिमाद्री हलदर, सुश्री मोउमिता हलदर एव सुश्री रेवा पॉल (ऋण खाता संख्या 605373971)	31 मार्च 2019 के अनुसार* रु. 45,31,975/-	26-अप्रैल-2019	यूनिट/फ्लैट नं. 2डी, दूसरा तल, ब्लॉक नं. 6, श्रीजन मिडलैंड्स, 83, जैसोर रोड, साउथ, 24 परगना-नार्थ, कोलकाता और उस पर वर्तमान एव भावी निर्माण।
14.	श्री देव रॉय (ऋण खाता संख्या 586661779)	31 अक्टूबर 2018 के अनुसार* रु. 9,63,373/-	16-नवम्बर-2018	फ्लैट नं. बी-1, भूतल, दक्षिण-पूर्व-पश्चिम साइड परिमाप लगभग 760 वर्ग फीट, सुपर निर्मित क्षेत्र एवं एक खुली कार पार्किंग स्थान लगभग 100 वर्ग फीट, 1467, विद्यासागर, सरानी, (मेल का पताः 5, आर एन टैगोर रोड), पी.एस. ठाकुरपुर, कोलकाता और उस पर वर्तमान एवं भावी निर्माण।
15.	श्री श्वेतक सिंह एव श्री पदमेन्द्र प्रभाकर सिंह (ऋण खाता संख्या 614852094)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 29,27,321/-	31-मई-2019	प्लॉट न. जीएच-05, सैक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (डब्ल्यू)-201308, उत्तर प्रदेश में स्थित श्री राधा स्काईगार्डन में यूनिट/फ्लैट नं. 1602, फ्लोर-16, टॉवर-20, टाइप-3बीएचके, सुपर एरिया-1465 वर्ग फीट (लगभग) के साथ उससे सम्बद्ध सभी भाग सहित निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।
16.	श्री इमरान अहमद (ऋण खाता संख्या 615121102)	30 अप्रैल 2019 के अनुसार* रु. 17,51,404/-	30-मई-2019	बीसीसी भारत सिटी टॉवर ई3 के रूप में ज्ञात भवन, गांव निस्तोली एव अफजलपुर, परगना लोनी, इन्द्रप्रस्थ योजना, गाजियाबाद-201003 में अपार्टमेंट/यूनिट न. ई3-101, प्रथम तल के साथ उससे सम्बद्ध सभी भाग, सुपर निर्मित क्षेत्र 630 वर्ग फीट लगभग एवं कार्पेट एरिया 395.^5/ वर्ग फीट लगभग के साथ निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्सा।

*भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत किए गए यथा लागू 18% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों इत्यादि के साथ।

यदि उक्त उधारकर्ता उपर्युक्तानुसार **एचडीएफसी लिमिटेड** को भुगतान करने में विफल होते हैं, तो **एचडीएफसी लिमिटेड** लागतों एवं परिणामों से सम्बन्धित उक्त उधारकर्ताओं/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधिगणों के सम्पूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं लागू नियमावली के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा।

उक्त उधारकर्तागण/विधिक वारिसों/विधिक प्रतिनिधिगणों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत **एचडीएफसी लिमिटेड** की पूर्ण लिखित सहमति के बिना विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा उपर्युक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को हस्तान्तरण करने से प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अन्तर्गत सृजित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन को बढ़ावा देता है, उसे अधिनियम के अधीन उपलब्धानुसार कारावास तथा/अथवा अर्थदण्ड भुगतना होगा।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 23-जुलाई-2019

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

चंडीगढ़ शाखा : एससीओः 153-155, सैक्टर 8-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़
पंजीकृत कार्यालय : रेमन भवन, एचटी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई- 400020

खबर कोना

जापान के सैटामा में मंगलवार को दोस्ताना फुटबॉल मैच में बार्सीलोना के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाते चेल्सी के टैमी अब्राहम। चेल्सी ने इस मैच को 2-1 से अपने नाम किया।

आइसीसी की अहम समिति के अध्यक्ष बने एहसान मनि

कराची, 23 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनि को आइसीसी की प्रभावशाली वित्त एवं व्यावसायिक मामलों की समिति का प्रमुख बनाया गया है। पिछले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान यह नियक्ति की गई। पीसीबी ने साथ ही मंगलवार को घोषणा की कि पीसीबी के एक अन्य अधिकारी सलमान नसीर को आइसीसी के 'सेफगार्डिंग पैनल' में शामिल किया गया है। पीसीबी ने कहा कि दोनों नियुक्तियां आइसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने की हैं। वित्त एवं व्यावसायिक मामलों की समिति सभी वित्तीय और व्यावसायिक मामलों में जिम्मेदारी के निर्वहन में आइसीसी की मदद करती है। समिति के अन्य सदस्य इंदिरा नूई, अमिताभ चौधरी, क्रिस नेनजानी, इमरान ख्वाजा, अर्ल एडिंग्स और कोलिन ग्रेव्स हैं। मनोहर और आइसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी पदेन सदस्यों के रूप में समिति का हिस्सा होंगे। आइसीसी के पूर्व अध्यक्ष मनि को आइसीसी की आडिट समिति में भी शामिल किया गया है जिसके अध्यक्ष भारत के युवराज नारायण होंगे।

साइ प्रणीत जापान ओपन के दूसरे दौर में

तोक्यो, 23 जुलाई (भाषा)।

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साइ प्रणीत जापान ओपन पुरुष एकल के दूसरे दौर में पहुंच गए जिन्होंने सीधे गेमों में केंतो निशिमोतो को हराया। गैर वरीय प्रणीत ने जापानी प्रतिद्वंद्वी को 42 मिनट में 21-17, 21-13 से मात दी। अब बीडब्लूएफ विश्व सुपर 750 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में उनका सामना जापान के कांता सुनेयामा से होगा। मिश्रित युगल में सात्विक साइराज रांकिरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा ने पहले दौर में जर्मनी के मर्विन सेइडेल और लिंडा एफलेर को 21-14, 21-19 से मात दी। पुरुष युगल में मनु अत्री और सुमीत बी रेड्डी पहले दौर में मलेशिया के गोह जे फेइ और नूर इजुद्दीन से 12-21, 16-21 से हारकर बाहर हो गए।

लाड्र्स में ऐतिहासिक टैस्ट खेलने को तैयार आयरलैंड

लंदन, 23 जुलाई (भाषा)।

आइसीसी का पूर्ण सदस्य बनने के बाद आयरलैंड क्रिकेट के लिए एक और बड़ी बात यह है कि टीम क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लाड्र्स मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से अपना दूसरा टैस्ट मैच खेलेगा। यह मुकाबला हालांकि पांच दिनों के बजाय चार दिन का होगा। उधर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन दाहिनी पिंडली में चोट के कारण टैस्ट से बाहर हो गए हैं।

आयरलैंड की क्रिकेट टीम ने पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ डबलिन में टैस्ट पदार्पण किया था। टीम ने पाकिस्तान को टक्कर भी दी लेकिन पांचवें दिन उसे हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड की टीम ने हालांकि एकदिवसीय विश्व कप में पाकिस्तान (2007) और इंग्लैंड (2011) को हरा कर उलटफेर किया है लेकिन टैस्ट दर्जा मिलना उनके के लिए सपने के सच होने जैसा है। एकदिवसीय विश्व कप इस साल 10 टीमों के प्रारूप में खेला गया जहां आयरलैंड टीम अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी थी। आयरलैंड में बढ़ते राष्ट्रवाद और गेलिक एथलेटिक्स संघ (स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने वाला) के अस्तित्व में आने के बाद क्रिकेट को 'विदेशी' खेल करार दिया गया। टीम के कई मौजूदा खिलाड़ी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं जिसमें से मिडिलसेक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्गज टिम मुर्ताघ ने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना 800वां विकेट लिया। तेज गेंदबाज ब्योड रैंकिन ने टैस्ट में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है।

इंग्लैंड के खिलाफ यह मुकाबला पांच दिनों के बजाय चार दिन का होगा

पॉल स्टर्लिंग लॉड्र्स में अभ्यास सत्र के दौरान। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल डबलिन में टैस्ट पदार्पण किया था आयरलैंड की टीम।

आस्ट्रेलिया दौरे पर एशेज 2013-14 में एशेज श्रृंखला में एक टैस्ट खेलने वाले रैंकिन ने कहा, यह सपने के सच होने जैसा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे करियर के दौरान यह संभव होगा। उन्होंने कहा, लाड्र्स में टैस्ट मैच से बड़ा शायद ही कुछ हो। इयोन मोर्गन की कप्तानी ने इंग्लैंड विश्व चैंपियन बना लेकिन आयरलैंड का यह खिलाड़ी टैस्ट क्रिकेट नहीं खेलता जहां टीम का नेतृत्व जो रूट करते हैं।

इंग्लैंड टीम में समरसेट के लुई ग्रेगोरी और वारविकशर के ओली स्टोन को भी मौका मिल सकता है। बल्लेबाजी में इंग्लैंड विश्व कप विजेता सलामी बल्लेबाज जेसन राय टैस्ट पदार्पण कर सकते हैं।

आइसीसी टैस्ट रैंकिंग

कोहली शीर्ष पर बरकरार

भारत टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर बना हुआ है। **गेंदबाजी** में शीर्ष 10 में भारत के दो गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (छठे पायदान पर) और रविन्द्र जड़ेजा (10वें स्थान) शामिल हैं।

दुबई, 23 जुलाई (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली आइसीसी की नवीनतम टैस्ट रैंकिंग में शीर्ष बल्लेबाज बने हुए हैं जबकि टीम रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर हैं।

आस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से जीत दर्ज करने वाले कप्तान कोहली सोमवार को जारी हुई रैंकिंग में 922 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (913) दूसरे पायदान पर हैं जबकि चेतेश्वर पुजारा (881) तीसरे स्थान पर हैं। टीम रैंकिंग में भारत पहले जबकि न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका (तीसरे), इंग्लैंड (चौथे) और आस्ट्रेलिया (पांचवें) की टीमें शीर्ष पांच में शामिल हैं।

गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में भारत के दो गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (छठे पायदान पर) और रविन्द्र जड़ेजा (10वें स्थान) शामिल हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बुधवार को लाड्र्स के मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एक मात्र टैस्ट मैच (चार दिवसीय) मुकाबले से चोट के कारण बाहर हो गए नहीं तो उनके पास शीर्ष पर पहुंचने का मौका होता। गेंदबाजों की रैंकिंग में

शीर्ष पर काबिज पैट कमिंस और इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टैस्ट विकेट लेने वाले एंडरसन के बीच 16 अंक का फासला है। एंडरसन को दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबादा (मौजूदा रैंकिंग तीन) ने नवंबर में शीर्ष स्थान से हटा दिया था। इसके बाद आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने इस स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया और एंडरसन दूसरे पायदान पर काबिज हैं। रैंकिंग में शीर्ष पर बने रहे के लिए हालांकि एंडरसन और कमिंस के बीच एक अगस्त से शुरू होने वाली एशेज श्रृंखला में कड़ी टक्कर होगी।

हरफनमौला खिलाड़ियों की रैंकिंग में जड़ेजा सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। वह वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

एशेज श्रृंखला से टैस्ट क्रिकेट में नाम और नंबर वाली जर्सी पहनेंगे खिलाड़ी

लंदन, 23 (भाषा)।

इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच आगामी एशेज श्रृंखला के दौरान टैस्ट क्रिकेट में पहली बार क्रिकेटरों की सफेद जर्सी पर उनका नाम और नंबर लिखा नजर आएगा।

खेल के पारंपरिक प्रारूप को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य के साथ आइसीसी ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है जिसके बाद विराट कोहली और उनकी टीम भी भारत-वेस्ट इंडीज श्रृंखला के दौरान नाम और नंबर लिखी जर्सी के साथ उतरेगी। खिलाड़ी एकदिवसीय और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लंबे समय से नाम और नंबर लिखी जर्सी का इस्तेमाल करते रहे हैं लेकिन टैस्ट क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कप्तान जो रूट की तस्वीर डाली गई है जिसके साथ लिखा गया है 'टैस्ट जर्सी के पीछे नाम और नंबर!'। रूट का नंबर 66 है।

इस नई व्यवस्था पर हालांकि क्रिकेट जगत बंटा हुआ है। कई लोगों ने इसे सकारात्मक बदलाव कहा है तो परंपरावादियों को इस प्रारूप से जुड़ी परंपरा और विरासत से छेड़छाड़ का विचार पसंद नहीं आया। इंग्लैंड की काउंटी टीमों के अलावा शेफील्ड शील्ड में आस्ट्रेलिया की राज्य टीमें नाम और नंबर वाली जर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं। पांच टैस्ट की एशेज श्रृंखला एक अगस्त से शुरू होगी।

मिशन तोक्यो : भारतीय महिला हॉकी टीम ने की मिठाई, चाकलेट से तौबा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

किसी ने अपने पसंदीदा 'राजमा चावल' खाना छोड़ दिए तो किसी ने मसालेदार खाने से तौबा कर ली है और मिठाई, चाकलेट की तरफ तो अब ये देखती भी नहीं है। यह किसी बालीवुड अभिनेत्री का नहीं, बल्कि 'मिशन तोक्यो ओलंपिक' के लिए अपनी फिटनेस पर जोर दे रही भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों का 'डाइट प्लान' है।

पिछले दो साल से शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय महिला हॉकी टीम नवंबर में होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के जरिए तोक्यो ओलंपिक 2020 का टिकट कटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कप्तान रानी रामपाल का दावा है कि यह अब तक की सबसे फिट महिला हॉकी टीम है और सभी खिलाड़ी वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोंबार्ड का 'डाइट प्लान' का ईमानदारी से अनुसरण कर रहे हैं। पिछले महीने हिरोशिमा में एफआइएच हॉकी सीरिज फाइनल्स में खिताबी जीत के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं कप्तान रानी रामपाल ने बंगलुरु से एजंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, मैं कह सकती हूं कि यह सबसे फिट महिला हॉकी टीम है। वेन लोंबार्ड ने हर खिलाड़ी और पूरी टीम की फिटनेस पर काफी काम किया है। हम सभी उनके डाइट प्लान पर चल रहे हैं क्योंकि हमें ओलंपिक खेलना ही नहीं, पदक जीतना है। उन्होंने कहा, हमने कार्बोहाइड्रेट, मसालेदार, तैलीय खाना, मिठाई, चाकलेट सब छोड़ दिया है। काफी संतुलत खाना खाते हैं और खुद भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। महिला हॉकी टीम ने 1980 में मास्को ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था जो ओलंपिक में इस महिला हॉकी का पदार्पण भी था। इसके 36 साल बाद टीम ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया और 12वें स्थान पर रही। रानी ने कहा, पिछले चार साल में बहुत कुछ बदल गया है।

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का चयन ट्रॉयल सोनीपत की जगह अब दिल्ली में होगा

नई दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा)।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआइ) ने मंगलवार को बताया कि 'बेहतर आयोजन सुविधाओं' को देखते हुए विश्व चैंपियपशिप के लिए पुरुष का चयन ट्रॉयल सोनीपत साइ सेंटर की जगह यहां के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा।

डब्लूएफआइ ने हालांकि उन बातों को नकार दिया जिसमें कहा गया था कि स्थल इसलिए बदला गया क्योंकि बहालगढ़ स्थित परिसर में दर्शकों से अभद्र व्यवहार की आशंका थी। हाल ही में कुछ रेफरियों ने भी डब्लूएफआइ से शुक्रवार को होने वाले परीक्षणों के स्थल को बदलने की मांग की थी क्योंकि सोनीपत के साइ केंद्र में उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर था। बहालगढ़ केंद्र में प्रशंसकों के बैठने और मुकाबला देखने की व्यवस्था नहीं है और कई बार जब दर्शक रेफरी और जजों के फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।

डब्लूएफआइ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने एजंसी से कहा, विश्व चैंपियनशिप के चयन परीक्षणों को लेकर काफी उत्सुकता है इसलिए हमने इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी (आइजी) स्टेडियम में कराने का फैसला किया है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में प्रशंसकों के आने की उम्मीद हैं। बहालगढ़ में ज्यादा प्रशंसक स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते। जब उनसे पूछा गया कि क्या रेफरियों ने आयोजन स्थल को बदलने की मांग की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं यह सहीं नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह रेफरियों के कारण नहीं हुआ है। डब्लूएफआइ जहां भी चयन परीक्षण कराएगा रेफरी को वहां मौजूद रहना होगा।

स्कूल कबड्डी लीग का आगाज कल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जुलाई।

स्कूल गेम्स फडरेशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में स्कूल कबड्डी लीग फेडरेशन द्वारा स्कूल कबड्डी लीग-2019 का आयोजन 25 जुलाई को यहां के भारतीय संविधान क्लब में किया जाएगा।

स्कूल कबड्डी लीग-2019 फेडरेशन के सचिव एमएल साहू ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस लीग में स्कूल गेम्स फेडरेशन से जुड़े 44 राज्यों एवं स्वायत संगठनों से जुड़े बच्चे हिस्सा लेंगे। कुल 760 जिलों में मुकाबले खेले जाएंगे। 1520 सह जिला संयोजक एवं संयोजक यह प्रतियोगिता सम्पन कराएंगे।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजी. कार्या.: सी-4, जिला सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत
टेली. फोन: +91-11-29565666, फैक्स: +91-11-26854000,
वेबसाइट: www.ircon.org, CIN-L45203DL1976GOI008171

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुपालन में, एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन **गुरूवार, दिनांक 08 अगस्त, 2019** को किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के कंपनी के अनंकेक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।

यह सूचना कंपनी के वेबसाईट www.ircon.org एवं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./-
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक : 23.07.2019
स्थान : नई दिल्ली

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
आईजीएल भवन, प्लॉट नंबर 4, कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-9, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110022, फोन: 46074607, फैक्स: 26171863, ई-मेल: investors@igl.co.in
वेबसाइट : www.iglonline.net, सीआईएन - L23201DL1998PLC097614

सूचना
(निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए)

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 ('आईईपीएफ नियम') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

नियमों में अन्य मामलों के साथ-साथ ऐसे सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) खाते में अंतरण के लिए प्रावधान शामिल हैं जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा निरंतर सात या अधिक वर्षों से लाभांश का भुगतान नहीं लिया है या दावा नहीं किया है।

उपरोक्त आईईपीएफ नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के संदर्भ में कम्पनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजी है जिनके शेयर उचित कार्यवाही के लिए आईईपीएफ खाते को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं।

इसके अलावा, शेयरधारकों की सूची, जिनका लाभांश अप्रदत्त है और शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण / खाते में अंतरण के लिए देय है, उसे वेबसाइट www.iglonline.net पर प्रदर्शित किया गया है।

संबंधित शेयरधारक, जिन्होंने भौतिक प्रारूप में शेयर धारण किये हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में अंतरण किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कम्पनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयर जारी होने के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वतः निरस्त हो जाएंगे और यह गैर-विनिमेय माने जाएंगे। शेयरधारक कृपया यह भी नोट करें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट में अपलोड किये गये विवरण को नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना समझा एवं माना जाएगा।

यदि संबंधित शेयरधारकों द्वारा कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को 5 सितम्बर, 2019 तक या ऐसी बढ़ाई गई अन्य किसी तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी आईईपीएफ नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन एवं नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि तक शेयरों को आईईपीएफ खाते में अंतरित कर देगी और इस संबंध में कम्पनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ को अंतरित संगत शेयरों, इन पर उपार्जित सभी लाभ, यदि कोई हो, सहित को वापस पाने के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से इसे वापिस पाने का दावा किया जा सकता है।

इस विषय एवं नियमों पर किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट: इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गोचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, फोन नं.:+9140-67162222; फैक्स नं.: +9140-23001153; ई-मेल: einward.ris@karvy.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
हस्ता./-
एस. के. जैन
(कम्पनी सचिव)

तिथि: 23 जुलाई, 2019
स्थान: नई दिल्ली

वनडे से संन्यास लेंगे मलिंगा, टी-20 में खेलते रहेंगे

कोलंबो, 23 जुलाई (एएफपी)।

श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच के बाद एकिदवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे लेकिन टी-20 क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे।

मलिंगा ने शुक्रवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले अपने विदाई वनडे के लिए प्रशंसकों को आमंत्रित किया और कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने 50 ओवरों के प्रारूप से संन्यास लेने के उनके आग्रह को मान लिया है। मलिंगा ने अपनी पत्नी के फेसबुक पेज पर अपने प्रशंसकों को जारी वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उन अधिकारियों या खिलाड़ियों के प्रति कोई शिकवा नहीं है जिन्होंने उन्हें टीम से बाहर करने की कोशिश की। इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि चयनकर्ताओं ने दो साल पहले उन्हें बाहर कर दिया था लेकिन वह हाल में संपन्न हुए विश्व कप में अपनी काबिलियत साबित करने में सफल रहे। मलिंगा ने कहा, शुक्रवार को आखिरी बार आप मुझे वनडे मैच खेलते हुए देखोगे। अगर संभव हो तो कृपया मैच देखने के लिए पहुंचे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे से पूर्व अभ्यास के दौरान मलिंगा ने कहा कि उन्हें टी-

20 में खेलने की उम्मीद है और वह आस्ट्रेलिया में 2020 में होने वाले टी-20 विश्व कप में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे अगले टी-20 विश्व कप में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है। आशा है कि मुझे इसका मौका मिलेगा लेकिन अगर कोई मुझसे बेहतर खिलाड़ी मौजूद रहता है तो मुझे बाहर होने में कोई परेशानी नहीं होगी।

अलग तरह के गेंदबाजी एक्शन से पहचान बनाने वाले मलिंगा ने 15 साल के अपने अंतरराष्ट्रीय करिअर में अब तक 225 एकदिवसीय में 335 विकेट चटकाए हैं। टैस्ट क्रिकेट को 2010 में अलविदा कहने वाले 35 वर्षीय इस गेंदबाज ने 30 मैचों में 101 विकेट लिए हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8 व 9 के अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) / गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **सांकेतिक/भौतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओं) / गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 06/09/2019 एवं 09/08/2019** को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तियों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि को हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।
नीलामी प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बिना कारण बताये निरस्त/निलम्बित करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। उपयुक्त मामलों में बैंक खुद सम्पत्ति खरीदने हेतु बोली लगाने को स्वतंत्र हैं।

क्रं. सं.	ऋणी एवं शाखा का नाम	मांग नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि का विवरण	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ईएमडी जमा के अंतिम तिथि	खाते का विवरण जिसमे ईएमडी आरटीजीएस/एनईएफी जमा की जायेगी एवं आईएफएससी कोड	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति-दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।								
1.	शाखा : ऋषिकेश पशुलोक ऋणी/बंधककर्ता: श्रीमती अंजु देवी पत्नी श्री ललित कुमार, निवासी: टी-103, शिवालिक नगर, BHEL रानीपुर हरिद्वार गारन्टर: श्री अमरीश कुमार पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी: मोतीचूर हरिपुर कलाँ रायवाला तहसील ऋषिकेश देहरादून, पिन-249205	15.04.2019 रु0 33,02,047/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2019 से	बंधक आवासीय संपत्ति/भूमि के सभी भाग व खंड खाता खतौनी नं0 00124, फसली वर्ष 1411 से 1461 के अनुसार, खसरा नं0 5370 मी0जु0, क्रय क्षेत्रफल 131 वर्ग मीटर या 109.57 वर्ग मीटर स्थित मौजा माजरीग्रांट तहसील डोईवाला जिला देहरादून। सीमायें:- उत्तर: विक्रेता की भूमि, साईड माप 44.9 फीट, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा रोड, साईड माप 44.9 फीट, पूर्व: विक्रेता की सम्पत्ति, साईड माप 26 फीट, पश्चिम: 25 फीट चौड़ा रोड, साईड माप 26 फीट	सांकेतिक	रु0 23.00 लाख रु0 2.30 लाख रु0 0.50 लाख	04.09.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या 6189003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0618900)	06.09.2019 दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक
2.	शाखा : पल्टन बाजार, देहरादून ऋणी: श्री शौकत अली पुत्र श्री शमसुद्दीन, निवासी: ग्राम बुलर्कीवाला विकासनगर, देहरादून गारन्टर: श्री रमेश सेठी पुत्र जय करन दास सेठी, निवासी : 156, राजपुर रोड, देहरादून	06.12.2018 रु0 8,53,945/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.07.2016 से	बंधक संपत्ति के सभी भाग व खंड खाता खतौनी नं0 460 (फसली वर्ष 1415 से 1420), भूमि खसरा नं0 95 का भाग, क्षेत्रफल 2690 वर्ग फीट अर्थात 250 वर्ग गज, स्थित मौजा बदामवाला, परगना पछवा दून तहसील, विकासनगर, जिला देहरादून, वास्तविक विक्रय विलेख उप -निबन्धक विकासनगर कार्यालय में बुक नं0 1, वोल्यूम नं0 01, पेज 404, अतिरिक्त बुक नं0 1, वोल्यूम नं0 347, पेज 191 से 206, क्रमांक संख्या 2505 दिनांक 21.06.2012 पर दर्ज है।	सांकेतिक	रु0 11.50 लाख रु0 1.50 लाख रु0 0.50 लाख	04.09.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या 0111003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0011100)	06.09.2019 अपराहन 03:00 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक
ऋणी(ओं) एवं गारंटर(ओं) प्रत्याभूति-दाता को सूचित किया जाता है कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।								
3.	शाखा : पल्टन बाजार, देहरादून मैसर्स- तिरुपति फूडस	29.11.2014 रु0 12416619/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	समस्त चल सम्पत्ति प्लॉट व मशीनरी जो कि जमीन में लगी हुई /चल जो कि मैसर्स- तिरुपति फूडस, गांव सहसपुर, परगना पछवा दून, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्थित है।	भौतिक	रु0 0.90 लाख रु0 0.09 लाख रु0 0.05 लाख	08.08.2019 सायं 05:00 बजे तक	पंजाब नैशनल बैंक खाता सख्या 0111003171160 (आईएफएससी कोड: PUNB0011100)	09.08.2019 दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

ई-नीलामी के लिये नियम व शर्तें : विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट www.pnbindia.biz, www.pnbindia.in, www.tenders.gov.in पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।
ऋणियो/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चा सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि, यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चो सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 23.07.2019 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 248, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।